सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

विषयवस्तु

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	उर्वरक विभाग: एक सिंहावलोकन	1-13
2.	उर्वरक उद्योग का विकास और प्रगति	14-25
3.	प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता और संचलन	26-27
4.	वित्तीय निष्पादन	28-29
5.	उर्वरक क्षेत्र के लिए सहायता के उपाय	30-46
6.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	47-98
7.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	99-100
8.	सतर्कता कार्यकलाप	101
9.	राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	102-106
10.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और बेंचमार्क नि:शक्तताओं वाले व्यक्तियों का कल्याण	107-108
11	अनुलग्नक I- XIV	109-138

अध्याय– 1

उर्वरक विभाग: एक सिंहावलोकन

1.1. उर्वरक विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत आता है जिसके प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री इनकी सहायता करते हैं। सचिव उर्वरक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं जिनकी सहायता 1 विशेष सचिव, 1 अपर सचिव, 1 संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार एवं आर्थिक सलाहकार सहित 3 संयुक्त सचिव करते हैं। उर्वरक विभाग का संगठनात्मक ढांचा **अनुलग्नक 1** में दिया गया है।

1.2. उर्वरक विभाग का मुख्य उद्देश्य देश में कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उर्वरक विभाग के मुख्य कार्यों में उर्वरक उद्योग की आयोजना, संवर्धन और विकास, उर्वरकों के उत्पादन, आयात और वितरण की आयोजना और निगरानी तथा स्वदेशी और आयातित उर्वरकों के लिए सब्सिडी/रियायत के माध्यम से वित्तीय सहायता का प्रबंधन करना शामिल है। समय–समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार उर्वरक विभाग को आबंटित विषयों की सूची **अनुलग्नक–II** में दी गई है।

1.3 विजन और मिशन:

1.3.1. विज़न स्टेटमेंट:

उर्वरक विभाग के सुदृढ़ घरेलू उर्वरक उद्योग के सहयोग से सतत कृषि विकास हेतु देश के लिए उर्वरक सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना। अंतिम लक्ष्य सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तंत्रों को पुन: डिजाइन करने के लिए डेटा आधारित अंतर्दृष्टि का उपयोग करके डेटा संचालित नीति निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

1.3.2. मिशन स्टेटमेंट:

देश में उर्वरकों के नियोजित उत्पादन और आयात तथा वितरण के माध्यम से देश भर के 140 मिलियन किसानों को प्रत्येक फसल मौसम में वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापरक उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए योजना बनाना उर्वरक विभाग का मिशन है।

1.4 विभाग का उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) नामक एक संबद्ध कार्यालय है जिसके प्रमुख कार्यकारी निदेशक हैं। यह

कार्यालय नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए मालभाड़ा दरों सहित समूह रियायत दरों को आवधिक रूप से तैयार करने और समीक्षा करने, खातों का रखरखाव करने, भुगतान करने और उर्वरक कंपनियों से राशि वसूलने, लागत–निर्धारण और अन्य तकनीकी कार्य करने तथा उत्पादन आंकड़ों, लागतों और अन्य जानकारी को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग के 9 उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) अर्थात आरसीएफ/एनएफएल/ एमएफएल/ एफएसीटी/ बीवीएफसीएल/ फैगमिल/ पीडीआईएल/ एफसीआईएल/एचएफसीएल भी हैं जो इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं।

1.5 उर्वरक विभाग में निम्नलिखित प्रभाग/ संबद्ध कार्यालय हैं जो निम्नलिखित कार्य करते हैं :

1. उर्वरक परियोजनाएं और आयोजना (यूरिया नीति प्रभाग)
2. फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक (पीएंडके डिवीजन)
3. विदेश में संयुक्त उद्यम (आईसी डिवीजन)
4. उर्वरक आयात, संचलन और वितरण (संचलन प्रभाग)
5. पीएसयू प्रभाग (पीएसयू से संबंधित कार्य देखता है) और बोर्ड स्तर की नियुक्तियां
6. संबद्ध कार्यालय, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी)
7. उर्वरक सब्सिडी (एफएस विंग) जो सब्सिडी के भुगतान से संबंधित कार्य करता है
8. सामान्य प्रशासन, स्थापना, संसद, सूचना प्रौद्योगिकी, आरटीआई मामले
9. समन्वय प्रभाग
10. आयोजना, निगरानी और नवाचार (पीएमआई)
11. वित्त एवं बजट (आईएफडी)
12. सतर्कता प्रभाग
13. जहाजरानी प्रभाग
14. राजभाषा (हिंदी प्रकोष्ठ)
15. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)
16. ऑर्गेनिक उर्वरकों का संवर्धन
17. एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) प्रकोष्ठ
18. उर्वरक नवाचार
19. उर्वरक अधिनियम

1.5.1 यूपीपी विंग देश में यूरिया उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को वहनीय मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए यूरिया नीतियों नामतः संशोधित नई मूल्य निर्धारण स्कीम– III, संशोधित नई मूल्य निर्धारण स्कीम–III, नई यूरिया नीति–2015 और नई निवेश नीति–2008

और 2012 से संबंधित कार्य करता है। इन नीतियों के अतिरिक्त, यूपीपी अनुभाग यूरिया उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस और अन्य आदान अर्थात नेफ्था, कोयला आदि की आवश्यकता से संबंधित मामलों का कार्य देखने के अलावा देश में सम्पुष्ट और लेपित यूरिया के उत्पादन और उपलब्धता को प्रोत्साहित करने की नीति से संबंधित कार्य भी करता है।

1.5.2 **पीएण्डके विंग** कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए मृदा में पीएण्डके के संतुलित अनुप्रयोग को प्रोत्साहन देने और देश में पीएण्डके उर्वरक उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित मामलों से संबंधित कार्य करता है। पीएण्डके प्रभाग को एसएसपी सहित नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए पोषक–तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति के प्रशासन/कार्यान्वयन से संबंधित कार्य भी सौंपा गया है।

1.5.3 **आईसी विंग** – पीएण्डके उर्वरकों और कच्चे माल/मध्यवर्तियों के साथ–साथ यूरिया आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, आईसी डिवीजन को उर्वरक/कच्ची सामग्री के संसाधनों से समृद्ध देशों के साथ संयुक्त उद्यम और दीर्घावधि उठान व्यवस्था शुरू करने और उसे अंतिम रूप देने का कार्य सौंपा गया है। डब्ल्यूटीओ/एक्जिम नीति/वाणिज्य/खान आदि से संबंधित मामलों पर भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) विंग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

1.5.4 **मूवमेंट विंग** डीएएंडएफडब्ल्यू के परामर्श से सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके) के मौसमवार आकलन से संबंधित कार्य करता है और देश के सभी भागों में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, देश में मासिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादकों/आयातकों के परामर्श से सम्मत आपूर्ति योजना तैयार करता है। सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों के संचलन की निगरानी एक ऑनलाइन वेब–आधारित निगरानी प्रणाली अर्थात एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) और ई–उर्वरक डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है।

1.5.5 **पीएसयू विंग** वित्तीय निष्पादन, वार्षिक लेखा, समझौता ज्ञापन, कारपोरेट मामलों को बजटीय सहायता (योजनेतर), रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुज्जीवन/पुनर्वास से संबंधित मामलों और 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे आरसीएफ/एनएफएल/ एमएफएल/एफएसीटी/बीवीएफसीएल/फैगमिल/पीडीआईएल/एफसीआईएल/एचएफसीएल के संबंध में प्रासंगिक सभी मामलों से संबंधित कार्यों, दो बहुराज्यीय सहकारी समितियों अर्थात इफको/कृभको से संबंधित कार्य, कंपनियों के विनिवेश से

संबंधित कार्य, बोर्ड स्तर की नियुक्तियों, उर्वरक पीएसयू में अंशकालिक अधिकारी और गैर–सरकारी निदेशकों के नामांकन सहित पीएसयू से जुड़े सभी स्थापना संबंधी मामलों के कार्य देखता है।

1.5.6 उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी)

- प्रतिधारण मूल्य के प्रशासन और प्रचालन के लिए 1 दिसम्बर, 1977 को गठित उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) का यूरिया की नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस) के अंतर्गत रियायत स्कीम लागू करने के लिए दिनांक 13 मार्च 2003 को पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में, एनयूपी 2015 लागू है।

- एफआईसीसी उर्वरक विभाग के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय है और कार्यकारी निदेशक इसके प्रमुख हैं। एफआईसीसी के अध्यक्ष सचिव (उर्वरक) हैं और सदस्यों में (1) डीपीआईआईटी (2) कृषि और सहकारिता विभाग, (3) व्यय विभाग (4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, (5) प्रशुल्क आयोग (6) उर्वरक उद्योग के दो प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व है। कार्यकारी निदेशक (एफआईसीसी) इसके सदस्य सचिव हैं।

- एफआईसीसी स्वदेशी यूरिया की रियायत दर की गणना के लिए उत्तरदायी है। 36 यूरिया इकाइयों के लिए आदानों की लागत में अंतर के कारण अनंतिम तिमाही रियायत दरें पूरी कर ली गई थीं और अंतिम रियायत दर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद शुरू की जाएगी।

- एफआईसीसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी गैस पूलिंग दिशानिर्देशों के अनुसार गैस पूल डेटा के संकलन के लिए एग्रीगेटर है। 28 गैस आधारित यूरिया इकाइयों का मासिक भारित औसत गैस पूल मूल्य संकलित किया गया और अधिसूचना जारी करने के लिए इसे पूल ऑपरेटर (गेल) को अग्रेषित कर दिया गया।

- मौजूदा अनुबंधित मात्रा में अंतर को पूरा करने के लिए यूरिया इकाइयों द्वारा अपेक्षित गैस की अनुमानित त्रैमासिक अतिरिक्त मात्रा संकलित की जाती है एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी गैस पूलिंग दिशानिर्देशों के तहत ईपीएमसी की देखरेख में यथाअपेक्षित गैस की सोर्सिंग के लिए पूल ऑपरेटर (गेल) को अग्रेषित की जाती है।

- यूरिया इकाइयों से प्राप्त चालान–वार गैस डेटा की जांच और गणना की कार्रवाई के समय को सुव्यवस्थित और कम करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल "गैस पूल प्राइस फिक्सेशन" विकसित किया गया है और 01.01.2020 से "एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस)" के तहत एकीकृत कर दिया गया है।

- एनबीएस नीति के अनुपालन में, एनपीके उत्पादकों/आयातकों से प्राप्त लागत आंकड़ों की आयातित और स्वदेशी दोनों

एनपीके उर्वरकों अर्थात् डीएपी, एमओपी, एसएसपी, मिश्रित उर्वरकों के एमआरपी/लाभ की अनुचितता के संबंध में जांच की गई थी और वर्ष 2012–13 से 2020–21 के लिए लगभग 150 उत्पादकों/आयातकों के मिश्रणों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उर्वरक विभाग को भेज दिया गया था।

- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, पिछले वित्तीय वर्षों की सभी अग्रेनीत देयताओं का भुगतान स्वदेशी यूरिया इकाइयों को कर दिया गया। यूरिया सब्सिडी बजटीय आबंटन के अनुसार जारी की जाती है।

- इस अवधि के दौरान, एफआईसीसी द्वारा आदानों अर्थात् यूरिया के उत्पादन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की गैसों और अन्य ईंधनों, यूरिया के स्वदेशी उत्पादन से संबंधित आंकड़ों, नीति निर्माण के लिए विभिन्न प्रस्तावों के वित्तीय निहितार्थ पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के संबंध में संकलित किए गए मात्रात्मक और वित्तीय आंकड़े उर्वरक विभाग को उपलब्ध कराये गए।

- एफआईसीसी का कार्यक्षेत्र और कार्य निम्नानुसार हैं: –

क) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक (यूरिया) का निर्माण करने वाली इकाइयों के लिए रियायत दरों का निर्धारण करना;

ख) खातों का रखरखाव करना, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी भुगतान करना।

ग) उर्वरक उत्पादन इकाइयों का निरीक्षण करना।

घ) लागत–निर्धारण और अन्य तकनीकी कार्य करना।

ङ) उत्पादन डेटा, लागत और अन्य संबंधित जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण करना।

च) समय–समय पर सामूहिक रियायत दरों की समीक्षा करना और जहां आवश्यक हो, सरकार की पूर्व सहमति से इन दरों में समायोजन करना।

छ) भविष्य की मूल्य निर्धारण अवधियों के लिए समूह रियायत दरों को तैयार करने के लिए आवश्यक जांच करना।

ज) उर्वरक इकाइयों के लिए आवश्यक आदानों की आवश्यकता का आकलन करना और आपूर्ति की सिफारिश करना।

झ) परिवहन सूचकांक के आधार पर मालभाड़ा सब्सिडी दरों में वार्षिक वृद्धि/कमी की सिफारिश करना।

ञ) मासिक/वार्षिक गैस पूल दर की गणना करना।

ट) पीएण्डके उर्वरक मॉड्यूलों पर लाभ की युक्तिसंगतता का आकलन।

ठ) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के अंतर्गत स्वदेशी यूरिया के लिए सब्सिडी जारी करना।

ड) ऐसे अन्य कार्य करना जो सरकार

समय–समय पर समिति को सौंपे।

- एफआईसीसी यूरिया का उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए मालभाड़ा दरों सहित रियायत दर की आवधिक गणना करने और सब्सिडी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। एफआईसीसी स्वदेशी यूरिया की रियायत दर की गणना के लिए यूरिया इकाइयों से अपेक्षित आंकड़े एकत्र करती है।

1.5.7 एफएस (उर्वरक सब्सिडी) विंग उर्वरक उत्पादक/आयातक कंपनियों को सब्सिडी के भुगतान से संबंधित कार्य करता है। यह आयातित और स्वदेशी पीएण्डके (एसएसपी सहित) और आयातित यूरिया से संबंधित सभी दावों पर कार्रवाई करता है। भुगतान पीओएस के माध्यम से वास्तविक बिक्री के आधार पर सब्सिडी के लिए शेष, मालभाड़ा और डीबीटी साप्ताहिक दावों के लिए गैर–डीबीटी दावों के लिए किए जाते हैं। एफएस विंग आयातित यूरिया के संबंध में अग्रिम और शेष भुगतान, एसटीई/ओमिफ्को द्वारा आयातित यूरिया की लागत, एफएमई से यूरिया के पूल इश्यू मूल्य की वसूली, पोत मालिकों को समुद्री मालभाड़ा भुगतान, बीमा प्रभार, सीमा शुल्क, हैंडलिंग शुल्क आदि और संस्थाओं से की जाने वाली किसी वसूली से संबंधित कार्य करता है।

1.5.8 प्रशासन विंग में प्रशासन, स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), आरटीआई और रोकड़ शामिल हैं। प्रशासन कार्यालय के सुचारू संचालन, हाउसकीपिंग सेवाओं, एयर कंडीशनर, फोटोकॉपियर आदि सहित कार्यालय उपकरणों के रखरखाव के लिए आवश्यक दिन–प्रतिदिन की वस्तुओं की आपूर्ति, वार्षिक रिपोर्ट की छपाई, आउटकम बजट, विस्तृत अनुदान मांगों आदि, आतिथ्य सेवाओं और आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित कार्य करता है। स्थापना **(पूर्ववर्ती एचआर–II)** उर्वरक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा संबंधी सभी मामलों को देखता है। **आईटी अनुभाग** कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर और उसके बाह्य उपकरणों, प्रिंटर, ई–ऑफिस से संबंधित कार्य और आरटीआई से जुड़े सभी मामलों से संबंधित कार्य करता है। **रोकड़ अनुभाग** वेतन और अन्य अग्रिमों और इस विभाग के वेतन और लेखा कार्यालय के समन्वय में भुगतान के लिए विभिन्न बिलों पर कार्रवाई करने, अधिकारियों के वार्षिक आयकर की गणना, विभिन्न वित्तीय पुस्तकों/अभिलेखों आदि के रखरखाव से संबंधित कार्य करता है।

1.5.9 समन्वय अनुभाग समन्वय कार्य से संबंधित उन सभी मामलों, जिनमें विभाग के 2–3 से अधिक अनुभाग/प्रभाग शामिल हों, शिकायत से संबंधित मामले, व्यक्तिगत अभ्यावेदन से संबंधित वीआईपी पत्र, ई–समीक्षा, क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आईजीओटी पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन, वार्षिक रिपोर्टों आदि से जुड़े कार्य करता है ।

1.5.10 पीएमआई अनुभाग में निम्नानुसार दो विंग हैं:

I) उत्पादन और आदान (पीएंडआई) अनुभाग और

II) निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) अनुभाग

(I) उत्पादन और आदान (पीएंडआई) अनुभाग:

- प्रमुख उर्वरक क्षेत्र अर्थात यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों से संबंधित उत्पादन के सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण, संकलन, विश्लेषण।
- दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक और मौसमी आधार पर कंपनीवार, इकाई–वार, उत्पाद–वार, पोषकतत्व–वार और राज्यवार उत्पादन अनुमान तैयार करना।
- मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजे जाने वाले मासिक अ.शा. पत्र तैयार करना/जारी करना।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के लिए उर्वरकों के उत्पादन का मासिक त्वरित अनुमान।
- कृषि मंत्रालय के लिए सांख्यिकीय सामग्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) डेटा और डीआईपीपी (वाणिज्य मंत्रालय) के लिए आठ मूल उद्योगों (आईसीआई) का सूचकांक, रेलवे बोर्ड के लिए उर्वरक उत्पादन डेटा आदि।

(II) निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) अनुभाग:

- पीएमआई–II अनुभाग द्वारा निपटाये जाने वाले विषय विभाग के मासिक बुलेटिन तैयार करने, उर्वरक आंकड़ों के संकलन, उर्वरक विभाग से संबंधित नीतिगत अधिसूचनाओं के संग्रह आदि से संबंधित हैं।

1.5.11 एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) वार्षिक बजट तैयार करने, पूरक अनुदान मांगों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने, निधियों के पुनर्विनियोजन जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। इनके अलावा, आईएफडी द्वारा विभाग की विस्तृत अनुदान मांगें भी तैयार की जाती हैं। आईएफडी विस्तृत अनुदान मांगों, विभिन्न नीतिगत मामलों की वित्तीय सहमति और सब्सिडी भुगतान से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के मामलों को भी देखता है और लेखापरीक्षा पैरा से संबंधित निगरानी के कार्य भी करता है।

1.5.12 सतर्कता विंग उर्वरक विभाग के कर्मचारियों और उर्वरक विभाग के तहत पीएसयू और जेवी के बोर्ड स्तर के कर्मचारियों के बारे में सीवीसी, डीओपीटी आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। यह सीवीसी और डीओपीटी के परामर्श से उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पीएसयू और

संयुक्त उद्यमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा, सतर्कता अनुभाग सम्मत सूची, ओडीआई सूची, वार्षिक संपत्ति रिटर्न आदि का रखरखाव और समीक्षा करता है और उर्वरक विभाग के कर्मचारियों और पीएसयू के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी जारी करता है।

1.5.13 **जहाजरानी प्रभाग** हैंडलिंग एजेंटों से संबंधित कार्गो के आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त शिपिंग दस्तावेजों की जांच करने, संभलाई प्रचालन में व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए जहाज के चार्टर पक्ष समझौते के निबंधनों, शर्तों और अपवादों की जांच करने, पत्तनों पर कार्गो के निर्वहन और निकासी की निगरानी करने, लोड और डिस्चार्ज पोर्ट पर विलंब शुल्क/प्रेषण के निपटान और सी.पी. में शर्तों में निर्धारित समय गणना को अंतिम रूप देने से संबंधित कार्य करता है। यह प्राप्त यूरिया कार्गो की गुणवत्ता और मात्रा को सुनिश्चय करने के लिए संयुक्त मसौदा सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच करने, ओमान इंडिया फर्टिलाइजर्स कंपनी द्वारा दानेदार यूरिया के उत्पादन, स्टॉक और उत्पादन की दैनिक दर की निगरानी करने, यूरिया कार्गो लोड करने के लिए आरसीएफ द्वारा प्रस्तावित जहाजों के विनिर्देशनों की जांच करने, फिक्स्चर नोट और चार्टर पार्टी के निबंधन, शर्तों और अपवादों की जांच करने, ओमिफ्को यूरिया सहित यूरिया जहाजों के निर्धारण और डिस्चार्ज पोर्ट के नामांकन, सामान्य औसत मामलों का अध्ययन और समुद्री मध्यस्थता में परामर्शों के लिए सार/लेख तैयार करने, शिपिंग व्यवस्थाओं के संबंध में ओमिफ्को, हैंडलिंग एजेंटों इफको और कृभको तथा आरसीएफ के साथ समन्वय करने, भारतीय पत्तनों पर आयातित यूरिया की हैंडलिंग और वितरण के लिए पूर्व–अर्हता प्राप्त हैंडलिंग एजेंटों से प्राप्त निविदाओं की जांच करने और उन्हें अंतिम रूप देने से संबंधित कार्य भी करता है।

1.5.14 **राजभाषा (हिंदी प्रकोष्ठ) राजभाषा** के कार्यान्वयन, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, विभाग के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण आयोजित करने, विभाग और उर्वरक कंपनियों में राजभाषा नीति के तहत जारी आदेशों को लागू करने, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करने, हिंदी भाषा के प्रचार और हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में बैठकें आयोजित करने से संबंधित मामलों से संबंधित कार्य करता है।

1.5.15 **डीबीटी सेल** उर्वरक सब्सिडी भुगतानों में डीबीटी की शुरुआत से संबंधित कार्य करता है। यह प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करता है और एक निदेशक और एक अवर सचिव उनकी सहायता के लिए होते हैं। डीबीटी सेल ने सभी राज्यों में डीबीटी के अखिल भारतीय रोलआउट के लिए

पीओएस उपकरणों की तैनाती की निगरानी, खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षण आदि के लिए विभिन्न राज्यों में पीएमयू और राज्य समन्वयक और प्रायोगिक जिलों में जिला सलाहकार नियुक्त किए हैं।

1.5.16 गैर–रासायनिक उर्वरकों का संवर्धन (एमडीए स्कीम) – बजट घोषणा 2023 के अनुसरण में और ईएफसी की सिफारिशों पर, सीसीईए ने 28 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में, अम्ब्रेला गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो–एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) पहल के तहत संयंत्रों में उत्पादित जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए ₹1,500/मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता को मंजूरी दी है जिसमें हितधारक मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न बायोगैस/सीबीजी सहायता स्कीमों/ कार्यक्रमों जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) की वहनीय परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) स्कीम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) का 'अपशिष्ट से ऊर्जा' कार्यक्रम, पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) आदि के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) आदि को कवर करते हुए, ₹1451.84 करोड़ (वित्त वर्ष 2023–24 से 2025–26) के कुल परिव्यय के साथ रिसर्च गैप फंडिंग के लिए ₹ 360 करोड़ का कोष शामिल है।

1.5.17 एसएसपी सेल को एसएसपी उद्योगों से संबंधित सभी कार्यों का काम सौंपा गया है, जिनमें एनबीएस के तहत इकाइयों को शामिल करना, संयंत्रों का निरीक्षण/लेखा परीक्षा/रॉक फॉस्फेट के यादृच्छिक नमूने लेना, ट्रायल रन/यादृच्छिक नमूने लेने/प्रथम बार की तकनीकी रिपोर्टों के संबंध में पीडीआईएल/एफईडीओ की रिपोर्टों की जांच करना, विपणन व्यवस्था और पट्टा करार, एसएसपी से संबंधित विभिन्न आंकड़ों अर्थात लागत, एमआरपी, बिक्री, सम्पुष्ट/दानेदार एसएसपी के लिए अनुमति और एसएसपी आदि से संबंधित अन्य नीतिगत मामले शामिल हैं।

1.5.18 उर्वरक नवाचार उर्वरक क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया के उपयोग, नैनो यूरिया सहित नैनो उर्वरक, उर्वरकों के अनुप्रयोग के लिए ड्रोन के उपयोग, एक राष्ट्र–एक उर्वरक और उर्वरक क्षेत्र में किसी भी अन्य नई पहल से संबंधित मामलों से संबंधित कार्य करता है।

1.5.19 उर्वरक अधिनियम अनुभाग को विभिन्न उर्वरक उत्पादों के संवर्धन और विनियमन के लिए एक अलग अधिनियम बनाने के लिए गठित किया गया है। यह अनुभाग भारत में उर्वरकों के उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, वितरण और मूल्य निर्धारण के सभी पहलुओं को विनियमित करने और सलाह देने के लिए एक नए केंद्रीय कानून का मसौदा तैयार करने में सहायता करता है।

1.6 सेवोत्तमः

1.6.1 सेवोत्तम मॉडल को देश में सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार लाने के व्यापक उद्देश्य के साथ विकसित किया गया है। इस मॉडल के तीन घटक हैं– नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण और सेवा सुपुर्दगी की उत्कृष्टता, जिसका समग्र उद्देश्य नागरिकों को बेहतर जानकारी प्रदान करना और उनका सशक्तीकरण करना है ताकि वे बेहतर सेवाओं, शिकायत निवारण और निरंतर बेहतर वितरण प्रणाली की मांग करने में सक्षम हो सकें।

1.6.2 सेवोत्तम का कार्यान्वयनः

1.6.3 उर्वरक विभाग सेवा सुपुर्दगी में प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन तथा उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है और इसने भारत सरकार के सेवोत्तम ढांचे को पूर्णतया कार्यान्वित किया है। विभाग ने एक सेवोत्तम अनुपालन नागरिक/ग्राहक चार्टर के साथ–साथ सेवोत्तम अनुपालन शिकायत निवारण तंत्र बनाया है। उर्वरक विभाग का नागरिक/ग्राहक चार्टर तैयार कर लिया गया है और विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

1.6.4 विभाग नागरिकों, विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उर्वरक उत्पादक कंपनियों, उर्वरकों के आयातकों/उर्वरक कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, कृषि और किसान कल्याण विभाग आदि को नागरिक/ग्राहक चार्टर में दर्शाए गए सेवा मानकों के अनुसार सेवाएं प्रदान करता है, जो निम्नानुसार हैं:–

- उर्वरक उत्पादन इकाई की स्थापना/सुधार के लिए समय पर मंजूरी देना।
- उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी का समय पर भुगतान।
- उर्वरक कंपनियों के लिए उत्पादन/आदान लक्ष्य समय पर निर्धारित करना।
- पूंजीगत वस्तुओं के लिए आयातित मशीनरी और उपकरण के संबंध में उर्वरक क्षेत्र में परियोजना आयात स्कीम के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर के लिए राजस्व विभाग को सिफारिशें।
- विक्रेताओं को बिलों का समय पर भुगतान।
- त्वरित शिकायत निवारण।
- क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नयन, संयंत्रों, मशीनरी आदि के आधुनिकीकरण के प्रस्तावों पर निर्णय।

1.6.5 शिकायत निवारण तंत्रः –

1.6.6 शिकायतों के त्वरित निवारण और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से उर्वरक विभाग में एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। संयुक्त सचिव रैंक के एक नोडल अधिकारी को लोक शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है। कर्मचारियों की शिकायतों और पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए अलग नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। सेवा प्राप्तकर्ता या तो प्रशासनिक सुधार और

लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के शिकायत पोर्टल http://pgportal.gov.in पर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर अथवा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पोर्टल http://pensionersportal.gov.in/CPENGRAMS (पेंशनभोगियों की शिकायतों के लिए) पर केंद्रीकृत पेंशनभोगी शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजी–आरएएमएस) पर अथवा उर्वरक विभाग की वेबसाइट पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं अथवा वे इसे व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं अथवा इसे विभाग के लोक शिकायत निदेशक को व्यक्तिगत रूप से या डाक अथवा ई–मेल अथवा फैक्स द्वारा भेज सकते हैं। उर्वरक विभाग में प्राप्त शिकायतों की निगरानी केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में की जाती है। शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से संबंधित सीपीएसई/उर्वरक विभाग के प्रभागों को अंतरित किया जाता है और निपटान की स्थिति की निगरानी पोर्टल के आधार पर की जाती है।

1.6.7 ई–समीक्षा पोर्टलः

ई–समीक्षा एक रियल टाइम, ऑनलाइन प्रणाली है, जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरणों के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी करती है। प्रत्येक निर्णय के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई को संबंधित मंत्रालय/ विभाग/एजेंसी द्वारा स्थिति में परिवर्तन होने पर या कम से कम हर सप्ताह अद्यतन किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिव ई–समीक्षा पोर्टल के माध्यम से मंत्रालयों की परियोजनाओं और योजनाओं की सीधे निगरानी करते हैं। विभाग ई–समीक्षा पोर्टल पर इससे संबंधित सामग्री को सक्रिय रूप से अद्यतन करता है और इसकी निगरानी संयुक्त सचिव/सचिव स्तर पर की जाती है।

1.7 प्रगति (अग्र–सक्रिय अभिशासन और समय पर कार्यान्वयन)

1.7.1 प्रगति एक अन्य मंच है जिसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री हर महीने केंद्र और राज्यों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करते हैं। विभाग प्रगति पोर्टल पर इससे संबंधित सामग्री को सक्रिय रूप से अपडेट करता है और इसकी निगरानी संयुक्त सचिव/सचिव स्तर पर की जाती है।

1.8 उर्वरक विभाग द्वारा शुरू की गई स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 पहलः

उर्वरक विभाग और इसके 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 के तहत स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों में पूरे

जोश के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया। विशेष अभियान 3.0 गतिविधियों की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की गई और समय–समय पर उर्वरक विभाग के सचिव द्वारा समीक्षा की गई। सचिव, उर्वरक विभाग ने आर्थिक सलाहकार के साथ 16.09.2023 को मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के तृतीय सम्मेलन और स्वच्छता ही सेवा अभियान की समीक्षा बैठक में भाग लिया ।

1.8.1 उर्वरक विभाग और इसके 09 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 01.10.2023 को राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान 'एक तारीख, एक घंटा' मनाया। उर्वरक विभाग द्वारा शास्त्री भवन परिसर में उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ 01.10.2023 को सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व सचिव, उर्वरक विभाग ने किया।

1.8.2 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) को उर्वरक विभाग द्वारा सर्वोत्तम प्रक्रियाओं में से एक के रूप में पहचाना गया है। इस संबंध में उर्वरक विभाग द्वारा स्वच्छता अभियान–3 पहल के भाग के रूप में लगभग 3513 स्थलों की पहचान स्वच्छता स्थलों के रूप में की गई थी। पीएमकेएसके केंद्र स्वच्छ परिसरों और किसानों के लिए बढ़ी हुई सुविधाओं के साथ स्वच्छता अभियान 3.0 के उत्कृष्ट उदाहरण बन गए हैं।

1.8.3 स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 कार्यकलापों में व्यापक भागीदारी के लिए जागरूकता भी

पैदा की गई। इस संबंध में, उर्वरक विभाग और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा (पूर्वतः ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से उनके द्वारा की गई विभिन्न स्वच्छता अभियान 3.0 पहलों के संबंध में 420 से अधिक आधिकारिक ट्वीट किए गए।

1.8.4 उर्वरक विभाग और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार पुरानी फाइलों (भौतिक और ई–फाइल दोनों) की समीक्षा और छंटाई, संसदीय आश्वासनों, लोक शिकायतों के निपटान, सांसदों के पत्रों, अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कागजी कार्रवाई में कमी करने, ई–कचरे, स्क्रैप सामग्री आदि के निपटान की दिशा में प्रगति करने के लिए सभी प्रयास किए गए ताकि दक्षता और स्थान में सुधार कर सकें। जनपथ भवन में उर्वरक विभाग के रिकॉर्ड रूम और उर्वरक विभाग के सम्मेलन कक्ष को स्वच्छता अभियान 3.0 पहल के हिस्से के रूप में नवीनीकृत किया गया। विशेष अभियान 3.0 की प्रगति की निगरानी डीएआरपीजी द्वारा एक समर्पित पोर्टल www.scdpm.gov.in पर भी की गई और उर्वरक विभाग द्वारा नियमित आधार पर एससीडीपीएम पोर्टल पर अद्यतन जानकारी अपलोड की गई।

*****

अध्याय–2

उर्वरक उद्योग का विकास और प्रगति

2. परिचयः

2.1. भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने ठोस फॉरवर्ड लिंकेज के साथ, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके देश की समग्र प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24 में उल्लेख किया गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3 प्रतिशत आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है और वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 18.2 प्रतिशत है। देश में उच्च कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए उर्वरक, पानी और बीज महत्वपूर्ण आदान हैं। उर्वरकों के बढ़ते उपयोग ने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने और देश में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत दुनिया में तैयार उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत उर्वरकों, जिनमें तैयार उत्पाद और कच्चा माल दोनों शामिल हैं, का निवल आयातक है।

2.2. उर्वरक उद्योग की प्रगतिः

2.2.1 उर्वरकों के उत्पादन और आयात की स्थिति : सरकार ने पिछले दशक के दौरान विभिन्न प्रयास किए हैं, जिसके कारण कुल उर्वरक उत्पादन 2014–15 के 385.39 एलएमटी से बढ़कर 2023–24 में 503.35 एलएमटी हो गया है। वर्ष 2023–24 के दौरान कुल उर्वरक उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 17.43%, सहकारी क्षेत्र का 24.81% और निजी क्षेत्र का 57.77% रहा। वर्ष 2022–23 और 2023–24 के दौरान यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का क्षेत्रवार उत्पादन नीचे दी गई तालिका 1 में दिया गया हैः

2022-23 और 2023-24 के दौरान यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का क्षेत्रवार उत्पादन

(आंकड़े एलएमटी में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2022-23			2023-24				
		यूरिया	डीएपी	मिश्रित उर्वरक	यूरिया	डीएपी	मिश्रित उर्वरक	कुल योग	कुल में % योगदान
1.	सार्वजनिक क्षेत्र	68.73	-	14.79	64.83	-	14.05	78.88	17.43

2.	**सहकारी क्षेत्र**	71.01	29.99	16.76	72.21	26.08	14.00	112.29	24.82
3.	**निजी क्षेत्र**	145.20	13.48	61.40	177.06	16.84	67.43	261.33	57.75
कुल		**284.94**	**284.94**	**43.47**	**92.95**	**314.09**	**42.93**	**95.48**	**452.5**

वर्ष 2023–24 के दौरान, देश में उर्वरकों की कुल वार्षिक खपत लगभग 601 लाख मीट्रिक टन और स्वदेशी उत्पादन 503 लाख मीट्रिक टन तथा आयात 177 लाख मीट्रिक टन था। यूरिया की लगभग 87% खपत, एनपीके की 90% खपत, डीएपी की 40% खपत स्वदेशी उत्पादन से पूरी होती है। तथापि, म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) के मामले में हमारे देश को अभी भी 100% आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। उर्वरक उत्पादन के लिए 90% कच्चा माल जैसे कि गैस, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया, रॉक फॉस्फेट आदि भी आयात किए जाते हैं। वर्ष 2018–19 से 2023–24 के दौरान भारत में कुल उर्वरकों के उत्पादन, खपत और आयात के रुझान नीचे दिए गए हैं।

2018–19 से 2023–24 के दौरान भारत में कुल उर्वरकों के उत्पादन, खपत और आयात के रुझान (आंकड़े एलएमटी में)

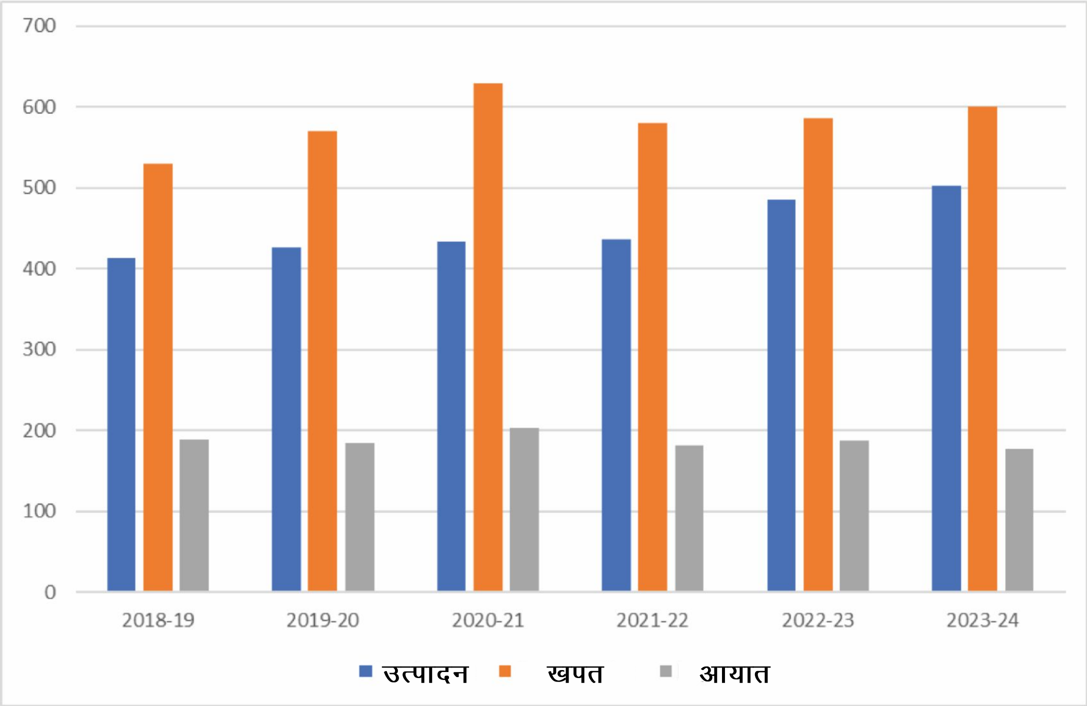

उर्वरकों की खपत का रुझान (आंकड़े 'एलएमटी' में)					
वर्ष	उर्वरकों के प्रकार				
	यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीके	कुल
2018-19	320.04	87.35	26.98	95.66	530.03
2019-20	336.96	101.01	27.80	105.01	570.78
2020-21	350.51	119.18	34.32	125.82	629.83
2021-22	341.73	92.64	23.93	121.37	579.67
2022-23	357.26	105.31	16.32	107.31	586.20
2023-24	357.81	109.73	16.45	116.80	600.79

एनयूपी–2015 और एनआईपी–2012 ने मिलकर स्वदेशी यूरिया उत्पादन को 2018–19 के लगभग 239 एलएमटी के स्तर से बढ़ाकर 2023–24 के दौरान 314.09 एलएमटी के रिकॉर्ड यूरिया उत्पादन तक पहुंचा दिया है, जो नीचे दर्शाया गया है:

उर्वरक उत्पादन का रुझान (आंकड़े 'एलएमटी' में)					
वर्ष	उर्वरक का प्रकार				
	यूरिया	डीएपी	एनपीकेएस	एसएसपी	कुल
2018-19	238.99	38.99	95.15	40.72	413.85
2019-20	244.58	45.50	93.34	42.53	425.95
2020-21	246.05	37.74	100.54	49.35	433.68
2021-22	250.72	42.22	89.67	53.34	435.95
2022-23	284.94	43.47	100.4	56.44	485.25
2023-24	314.09	42.97	101.85	44.44	503.35

2023–24 के दौरान यूरिया का आयात 70 लाख मीट्रिक टन था, जबकि 2022–23 के दौरान यह 76 लाख मीट्रिक टन था, अर्थात लगभग 7% की कमी हुई।

2018–19 से 2023–24 के दौरान प्रमुख उर्वरकों के आयात के रुझानों का विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है:

उर्वरकों के आयात का रुझान

(आंकड़े एलएमटी में)

वर्ष	उर्वरक का प्रकार				
	यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीकेएस	कुल
2018-19	74.81	66.02	42.14	5.46	188.43
2019-20	91.23	48.70	36.70	7.46	184.09
2020-21	98.28	48.82	42.27	13.90	203.27
2021-22	91.36	54.62	24.60	11.70	182.28
2022-23	75.80	65.83	18.66	27.52	187.81
2023-24	70.42	55.67	28.69	22.17	176.95

2.2.3 यूरिया, डीएपी और एमओपी जैसे प्रमुख उर्वरकों के अंतरराष्ट्रीय मूल्य अप्रैल 2023 से मार्च, 2024 तक (पीएमटी में) निम्नानुसार है:

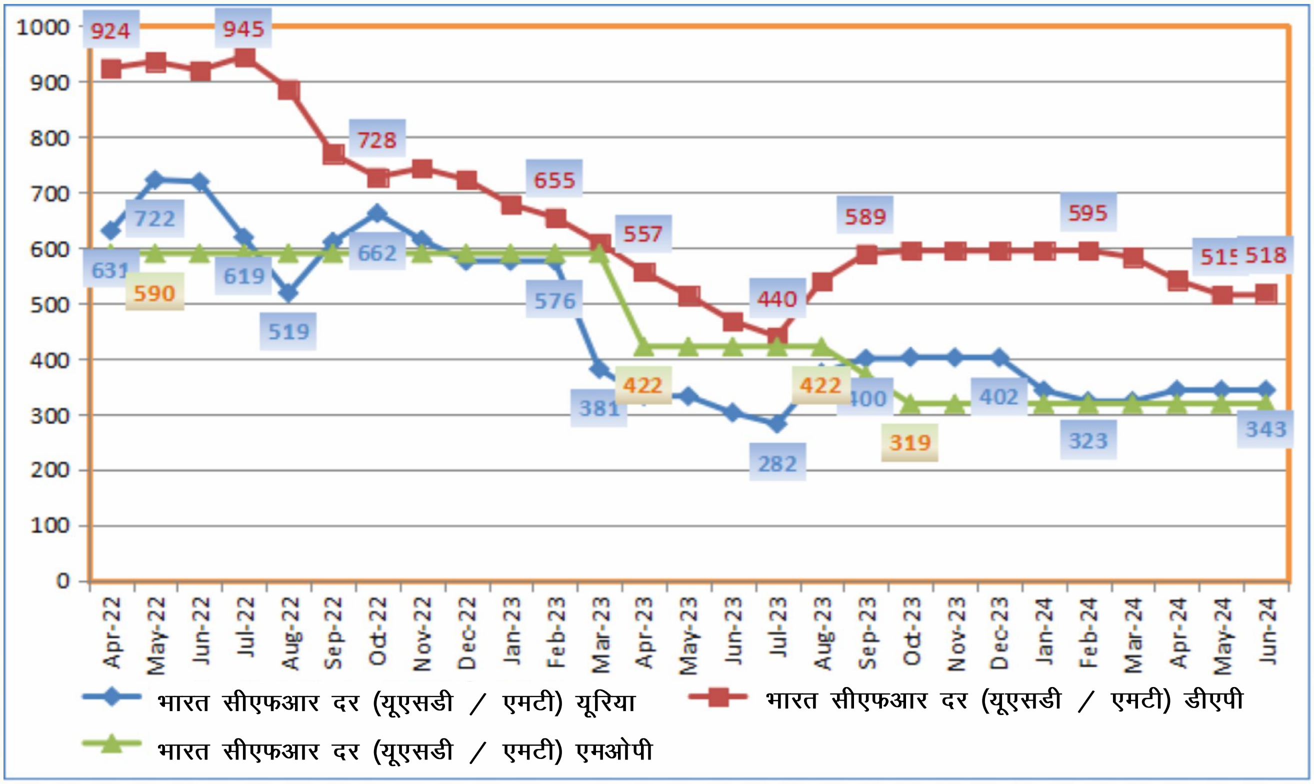

2.2.4 देश में प्रमुख प्रचालनरत उर्वरक उत्पादन इकाइयों तथा उनकी उत्पादन क्षमता का विवरण **अनुलग्नक–III** में दिया गया है ।

2.2.5 2001–02 से 2023–24 के दौरान यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

2.2.6 2014–15 से 2023–24 के दौरान यूरिया का संयंत्रवार उत्पादन **अनुलग्नक–V** पर दिया गया है।

2.3 उर्वरक विभाग में की गई प्रमुख पहलें :

2.3.1. नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रमः

- माननीय प्रधान मंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के दौरान "नमो ड्रोन दीदी (एनडीडी)" कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 2023–24 से 2025–26 की अवधि के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की 15,000 महिलाओं को ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करते हुए नैनो उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव हेतु ड्रोन उपलब्ध करवाना है। यह स्कीम संवर्धित कार्यकुशलता के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने, कृषि उपज को बढ़ाने और किसानों के लाभ के लिए प्रचालनों की लागत को कम करने में सहायक होगी।

- उर्वरक कंपनियों ने प्रशिक्षित पायलटों के साथ 1094 ड्रोन प्रायोजित किए, जिससे नमो ड्रोन दीदी स्कीम को प्रोत्साहन मिला। ये ड्रोन दीदियाँ पीएमकेएसके से जुड़ी हैं। नैनो/उर्वरक/कीटनाशकों के छिड़काव के अंतर्गत 4967.82 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और एनडीडी द्वारा अब तक 38,17,100/– रुपये की राशि अर्जित की गई है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, आईसीएआर, पूसा, नई दिल्ली में सशक्त नारी विकास भारत कार्यक्रम के दौरान ड्रोन दीदियों के साथ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देते हुए।

2.3.2 विकसित भारत संकल्प यात्राः

- विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) पहल 15 नवंबर, 2023 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न फसलों और पौधों में नैनो और पानी में घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव का प्रदर्शन करते हुए किसानों के बीच ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- 29 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 1.79 लाख से अधिक ड्रोन प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए।

माननीय केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मोती दाऊ, मेहसाणा, गुजरात में ड्रोन प्रदर्शन के लिए फील्ड पर।

सचिव, उर्वरक विभाग ने पंजाब के मोहाली के शहीद भगत सिंह नगर के मानकपुर कल्लर में वीबीएसवाई कार्यक्रम में भाग लिया।

2.3.3 यूरिया गोल्डः

- उर्वरक विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद सल्फर लेपित यूरिया (एससीयू) अर्थात "यूरिया गोल्ड" की शुरुआत की। नीम लेपित यूरिया की तुलना में सल्फर लेपित यूरिया की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बेहतर है।

- सल्फर लेपित यूरिया से जल प्रदूषण और नमक सूचकांक में कमी आएगी, मिट्टी का संघनन कम होगा और फसल की गुणवत्ता तथा पैदावार में सुधार होगा। आरसीएफ ने सल्फर लेपित यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया है।

- 31.07.2024 तक आरसीएफ द्वारा सल्फर लेपित यूरिया का उत्पादन 4675 मीट्रिक टन था।

2.3.4 नैनो यूरियाः

- भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत नैनो यूरिया के विनिर्देशनों को अधिसूचित किया।

- **नैनो उर्वरकः**

  - आकार–आधारित गुणों, उच्च सतह–आयतन अनुपात और अद्वितीय ऑप्टिकल गुणों के कारण पौधों के पोषण में इसके अनुप्रयोग की अच्छी संभावना है।

  - नैनो उर्वरक पौधों में पोषकतत्वों को नियंत्रित तरीके से छोड़ता है, जिससे पोषकतत्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ती है; और इसे खेत में ले जाना भी आसान होता है।

- 27.62 करोड़ बोतलों की उत्पादन क्षमता वाली 6 नैनो यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं। 2025 तक 5 और इकाइयां चालू हो जाएंगी।

- 31.07.2024 तक नैनो यूरिया की 1015.28 लाख बोतलों का उत्पादन किया गया है और 800.72 लाख बोतलें (500 मिली प्रत्येक) बेची गई हैं।

2.3.5 नैनो डीएपी:

- भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत नैनो डीएपी के विनिर्देशनों को अधिसूचित किया।

- बीज उपचार और पत्तियों पर छिड़काव के लिए नैनो डीएपी के प्रयोग से, पारंपरिक रूप से प्रयुक्त दानेदार डीएपी की बचत होने की संभावना है।

- 10.74 करोड़ बोतलों की उत्पादन क्षमता वाली 4 नैनो डीएपी इकाइयां स्थापित की गई हैं।

- 2025 तक 2 और इकाइयां चालू हो जाएंगी। नैनो डीएपी की 181.61 लाख बोतलों का उत्पादन किया गया है और 31.07.2024 तक 118.41 लाख बोतलें (500 मिलीलीटर प्रत्येक) बेची गई हैं।

2.3.6 धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम प्रणाम):

- पीएम प्रणाम स्कीम का उद्देश्य कृषि में वैकल्पिक उर्वरकों (ऑर्गेनिक/ जैविक/ नैनो), प्राकृतिक/ऑर्गेनिक खेती और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी।

- रासायनिक उर्वरकों की कम खपत वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान मिलेगा। इसके बाद, 22 राज्यों से कार्य–योजना प्राप्त हो गई है।

2.3.7 बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम:

- सरकार गोबरधन पहल के तहत सीबीजी/बायो गैस संयंत्रों में उत्पादित जैविक उर्वरकों जैसे कि किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम), तरल एफओएम, फॉस्फेट युक्त ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) के विपणन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के तहत ₹1,500/एमटी की सहायता प्रदान कर रही है। इस स्कीम का कुल परिव्यय ₹1,451.84 करोड़ (वित्त वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक) है जिसमें रिसर्च गैप फंडिंग आदि के लिए ₹360 करोड़ का कॉर्पस शामिल है।

- सरकार की इन पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग में कमी होने की उम्मीद है, जिससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी।

- एमडीए के लिए आईएफएमएस पोर्टल पर 65 सीबीजी संयंत्र पंजीकृत किए गए हैं। एफएमसी और सीबीजी संयंत्रों के बीच 31 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

01.08.2024 तक की स्थिति के अनुसार, बिक्री 1,52,470 मीट्रिक टन है।

2.3.8 प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके):

- मौजूदा गांव, ब्लॉक/उप जिला/तालुका और जिला स्तर की उर्वरक खुदरा दुकानों को प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा है जो बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे सभी कृषि संबंधी आदानों के लिए "वन स्टॉप शॉप" के रूप में कार्य करेगा, मृदा, जल आदि के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करायेगा, और सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करेगा।

- देश भर में पीएमकेएसके केंद्रों का शुभारंभ, स्वच्छ परिसर और किसानों के लिए बढ़ी हुई सुविधाओं के साथ स्वच्छता अभियान 3.0 पहल का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है।

- उर्वरक कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अब तक 2.14 लाख से अधिक मौजूदा दुकानों को संबंधित उर्वरक कम्पनियों द्वारा पूर्णतः/आंशिक रूप से मॉडल पीएमकेएसके में परिवर्तित कर दिया गया है।

2.3.9 एक राष्ट्र एक उर्वरक:

- भारत सरकार ने "प्रधानमंत्री भारतीय जन–उर्वरक परियोजना" (पीएमबीजेपी) नामक उर्वरक सब्सिडी स्कीम के तहत उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) के लिए एकल भारत ब्रांड और लोगो की शुरुआत करके एक राष्ट्र एक उर्वरक स्कीम कार्यान्वित की है।

- इससे उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाने, बाजारों में उपलब्ध ढेरों ब्रांडों में से चुनने की किसानों की दुविधा को दूर करने और उर्वरकों के वितरण को कारगर बनाने में मदद मिली है। वर्तमान में, सभी उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की आपूर्ति भारत ब्रांडेड बैग के तहत की जाती है।

2.3.10 उर्वरक सब्सिडी भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) परियोजना:

- उर्वरक विभाग ने डीएएंडएफडब्ल्यू के परामर्श से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले को उर्वरकों में लक्षित डीबीटी के लिए प्री–पायलट आयोजित करने के लिए अभिचिह्नित किया है। इस प्रस्तावित लक्षित डीबीटी के तहत, किसान की सब्सिडी वाले उर्वरकों की पात्रता का निर्धारण डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा भूमि क्षेत्र, फसल पैटर्न, मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई आदि कारकों के आधार पर किया जाता है।

2.3.11 उर्वरक संचलन और उपलब्धता का कुशलतापूर्वक प्रबंधन–संभारतंत्र का युक्तिसंगतीकरण:

- यूरिया, डीएपी, एनपीके आदि जैसे उर्वरकों की उपलब्धता भारत में 2023–24 और 2024–25 (31.7.2024 तक) के दौरान सहज रही है। उर्वरक विभाग ने देश भर में सभी उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और

सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की है।

2.3.12 उर्वरक आपूर्ति के माध्यम से पड़ोसी देशों की मदद करना:

- भारत में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार भारतीय उर्वरक कंपनियों को संसाधन संपन्न देशों में उर्वरक कंपनियों के साथ दीर्घकालिक समझौते (एलटीए), समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि भारत को तैयार उर्वरकों के साथ–साथ इसके कच्चे माल/मध्यवर्ती पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- **वैश्विक सहभागिता – कच्चे माल/तैयार उर्वरकों के लिए दीर्घकालिक समझौता:**

(i) भूटान को उर्वरक आपूर्ति:

भूटान की शाही सरकार ने भारत सरकार से लगातार 5 वर्षों तक यूरिया, सुफला (एनपीके), सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और बोरेक्स जैसे उर्वरकों की 5000 मीट्रिक टन/वर्ष आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है। भूटान की शाही सरकार ने भारत सरकार से भूटान को उपर्युक्त उर्वरकों की आपूर्ति भारतीय किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी दर पर करने का भी अनुरोध किया है। उर्वरक विभाग ने उर्वरकों की आपूर्ति के लिए ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) को नामित किया है। बीवीएफसीएल और राष्ट्रीय बीज केंद्र भूटान को उर्वरकों के निर्यात के लिए विभिन्न तौर–तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं।

(ii) श्रीलंका में निवेश का प्रस्ताव:

एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल), जो उर्वरक विभाग के तहत एक मिनीरत्न II पीएसयू है, ने रॉक फॉस्फेट के खनन और 800 टीपीडी की क्षमता वाले एसएसपी संयंत्र के लिए फैगमिल और लंका फॉस्फेट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम (90:10) स्थापित करने के लिए प्रस्ताव का मसौदा साझा किया था। योजना के अनुसार, अगले तीन से चार वर्षों में फैगमिल द्वारा लगभग 25–30 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश प्रस्तावित है। उर्वरक विभाग ने प्रस्ताव के सफल निपटान के लिए श्रीलंकाई पक्ष से विचारार्थ विषय/इनपुट मांगने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है।

(iii) नेपाल को उर्वरक आपूर्ति:

भारत सरकार और नेपाल सरकार ने अपने घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों को स्वीकारते हुए 28 फरवरी, 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन भारत से नेपाल को यूरिया और डाइ–अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की आपूर्ति पर केंद्रित है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उनके सहयोग को मजबूत करता है। हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता

ज्ञापन दोनों सरकारों के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

वर्ष 2023 में नेपाल को उर्वरकों की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित निर्यात अनुमतियाँ दी गई हैं:

(I) 20,000 मीट्रिक टन डीएपी

(ii) 27,500 मीट्रिक टन (+/–2%) यूरिया।

(iii) 44,000 मीट्रिक टन (+/–2%) यूरिया।

2.3.13 2023–24 में यूरिया का सर्वोच्च रिकॉर्ड घरेलू उत्पादनः

सिंदरी (झारखंड) और बरौनी (बिहार) में दो पुनर्जीवित यूरिया संयंत्र 2023–24 में राष्ट्र को समर्पित किए जाने के साथ ही, देश ने 314 एलएमटी से अधिक का अब तक का सर्वाधिक घरेलू यूरिया उत्पादन हासिल कर लिया है। पिछले छह वर्षों में, देश में कुल 6 नए यूरिया संयंत्र (2 निजी और 4 पुनर्जीवित यूरिया संयंत्र) स्थापित किए गए हैं जिनसे देश में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटी की वृद्धि हुई है। टीएफएल कार्यान्वयन के अधीन है और मार्च, 2024 तक वास्तविक प्रगति 58.10%है।

*****

अध्याय—3

प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता और संचलन

3.1 खरीफ और रबी मौसम के लिए उर्वरकों की आवश्यकता/मांग का आकलन प्रत्येक फसली मौसम के आरंभ होने से पहले कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंड एफडब्ल्यू) द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से किया जाता है। उर्वरक विभाग को अनुमानित आवश्यकता सूचित की जाती है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा उर्वरकों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए हर महीने संचलन प्रभाग उत्पादकों और आयातकों के परामर्श से सहमत आपूर्ति योजना तैयार करता है। उर्वरक विभाग द्वारा आपूर्ति योजना के अनुसार उर्वरकों की राज्यवार उपलब्धता तैयार की जाती है और उसकी मानीटरिंग की जाती है।

3.2 यूरिया:

3.2.1 खरीफ एवं रबी 2023—24 के समस्त मौसम में यूरिया की उपलब्धता संतोषजनक बनी रही।

3.2.2 खरीफ 2023: खरीफ 2023 के लिए यूरिया की अनुमानित आवश्यकता 170.67 (आरक्षित आवंटन के बिना) थी। मौसम की शुरुआत राज्यों के पास 57.20 एलएमटी के प्रारंभिक स्टॉक के साथ हुई थी। कुशल संचलन और यूरिया के समय पर आयात ने पूरे मौसम में सभी राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की। खरीफ 2023 के दौरान यूरिया की कुल उपलब्धता 228.84 एलएमटी थी। खरीफ 2023 के दौरान डीबीटी बिक्री 183.95 एलएमटी थी।

3.2.3 रबी 2023—24: रबी 2023—24 के लिए यूरिया की आकलित आवश्यकता 185.41 एलएमटी (आरक्षित आवंटन के बिना) थी। मौसम की शुरुआत राज्यों के पास 45.02 एलएमटी के प्रारंभिक स्टॉक के साथ हुई थी। कुशल संचलन और यूरिया के समय पर आयात ने पूरे मौसम में सभी राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की। यूरिया की कुल उपलब्धता 253.64 एलएमटी थी। रबी 2023—24 के दौरान बिक्री 173.86 एलएमटी थी।

3.3 डीएपी:

3.3.1 खरीफ 2023 एवं रबी 2023—24 मौसमों में डीएपी की उपलब्धता संतोषजनक बनी रही।

3.3.2 खरीफ 2023: खरीफ 2023 के लिए डीएपी की अनुमानित आवश्यकता 55.19 एलएमटी थी। मौसम की शुरुआत 25.41 एलएमटी के प्रारंभिक स्टॉक के साथ हुई थी। कुशल संचलन और डीएपी के समय पर आयात ने पूरे मौसम में सभी राज्यों में पर्याप्त

उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की। खरीफ 2023 के दौरान डीएपी की कुल उपलब्धता 85.69 एलएमटी थी। खरीफ 2023 के दौरान डीबीटी बिक्री 63.95 एलएमटी थी।

3.3.3 **रबी 2023–24:** रबी 2023–24 के लिए डीएपी की अनुमानित आवश्यकता 54.99 एलएमटी थी। मौसम की शुरुआत राज्यों के पास 21.76 एलएमटी के प्रारंभिक स्टॉक के साथ हुई थी। कुशल संचलन और डीएपी के समय पर आयात ने पूरे मौसम में सभी राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की। राज्यों के पास डीएपी की उपलब्धता 63.48 एलएमटी थी। रबी 2023–24 के दौरान डीबीटी की बिक्री केवल 45.78 एलएमटी थी।

3.4 एनपीके:

खरीफ 2023 और रबी 2023–24 के पूरे मौसम में एनपीके की उपलब्धता संतोषजनक बनी रही।

3.4.1 **खरीफ 2023:** खरीफ 2023 के लिए एनपीके की अनुमानित आवश्यकता 62.71 एलएमटी थी। मौसम की शुरुआत राज्यों के पास 30. 51 एलएमटी के प्रारंभिक स्टॉक के साथ हुई थी। कुशल संचलन और एनपीके के समय पर आयात ने पूरे मौसम में सभी राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की। राज्यों के पास एनपीके की कुल उपलब्धता 97.29 एलएमटी थी। खरीफ 2023 के दौरान डीबीटी बिक्री 64.23 एलएमटी थी।

3.4.2 **रबी 2023–24:** रबी 2023–24 के लिए एनपीके की अनुमानित आवश्यकता 63.60 एलएमटी थी। मौसम की शुरुआत राज्यों के पास 33.24 एलएमटी के प्रारंभिक स्टॉक के साथ हुई थी। कुशल संचलन और एनपीके के समय पर आयात ने पूरे मौसम में सभी राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की। राज्यों के पास एनपीके की कुल उपलब्धता 92.47 एलएमटी थी। रबी 2023–24 के दौरान डीबीटी बिक्री केवल 52.57 एलएमटी थी।

3.5 एमओपी:

खरीफ 2023 और रबी 2023–24 के पूरे मौसम में एमओपी की उपलब्धता संतोषजनक बनी रही।

3.5.1 **खरीफ 2023:** खरीफ 2023 के लिए एमओपी की अनुमानित आवश्यकता 15.02 एलएमटी थी। मौसम की शुरुआत राज्यों के पास 3.20 एलएमटी के प्रारंभिक स्टॉक के साथ हुई थी। कुशल संचलन और एमओपी के समय पर आयात ने पूरे मौसम में सभी राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की।

3.5.2 **रबी 2023–24:** रबी 2023–24 के लिए एमओपी की अनुमानित आवश्यकता 12.60 एलएमटी थी। मौसम की शुरुआत राज्यों के पास 5.06 एलएमटी के प्रारंभिक स्टॉक के साथ हुई थी। कुशल संचलन और एमओपी के समय पर आयात ने पूरे मौसम में सभी राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की। राज्यों के पास एमओपी की उपलब्धता 15.02 एलएमटी थी। रबी 2023–24 के दौरान डीबीटी बिक्री केवल 8.71 एलएमटी थी।

*****

अध्याय–4

वित्तीय निष्पादन

4.1 उर्वरक विभाग का बजटः

उर्वरक विभाग क्रमशः यूरिया सब्सिडी स्कीम और पोषकतत्व आधारित सब्सिडी नीति के तहत यूरिया और फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) मिश्रित उर्वरकों पर सब्सिडी के वितरण का कार्य करता है। सचिवालय बजट के अलावा, उर्वरक विभाग के संबंध में वर्ष 2023–2024 और 2024–25 के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार हैंः–

(करोड़ रुपए में)

विवरण	बजट अनुमान 2023-24	संशोधित अनुमान 2023-24
सचिवालय आर्थिक सेवा (एमएच 3451)	**42.51**	**43.29**
एमएच 5475- सामान्य आर्थिक सेवा पर पूंजीगत परिव्यय (डीबीटी को छोड़कर)	**2.44**	**2.44**
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति (एमएच 2401)	**44000.00**	**60300.00**
स्वदेशी पीएंडके	25500.00	32370.00
आयातित पीएंडके	18500.00	27930.00
यूरिया सब्सिडी (एमएच 2852)	**135083.47**	**132133.50**
स्वदेशी यूरिया	104063.18	102121.00
आयातित यूरिया	31000.00	30000.00
एमडीए सब्सिडी	0.00	5.00
एमडीए के लिए आरएंडडी	0.00	1.00
उर्वरक सब्सिडी में डीबीटी (इसमें डीबीटी-एमएच 5475 से संबंधित पूंजीगत व्यय शामिल है)	16.94	5.00
आईसीएफएफटीआर	0.00	0.00
भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता	3.25	1.50
आर एंड डी	0.10	0.00
वसूली	**3980.00**	**3532.00**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	**0.01**	**0.01**
पूंजी खंड - उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण (एमएच 6855)	**0.05**	**0.05**
कुल- उर्वरक विभाग (सकल)	**179128.48**	**192479.29**
उर्वरक विभाग का कुल (निवल)	175148.48	188947.29

4.2 आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर):

वर्ष 2023–24 के लिए उर्वरक सीपीएसई अर्थात एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल), प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) द्वारा सृजित आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	संशोधित अनुमान 2022-23	बजट अनुमान 2023-24	संशोधित अनुमान 2023-24	बजट अनुमान (2024-25)
1	बीवीएफसीएल	23.37	82.49	-	26.07
2	फैगमिल	18.24	57.81	15.6	112
3	एनएफएल	411.55	641.16	341.25	672.17
4	पीडीआईएल	4.54	5.01	-	-
5	आरसीएफ	395.20	403.39	485.02	480.97

*****

अध्याय–5

उर्वरक क्षेत्र के लिए सहायता के उपाय

उर्वरक विभाग उर्वरक सब्सिडी भुगतान के लिए यूरिया सब्सिडी स्कीम, पोषकतत्व आधारित सब्सिडी स्कीम (एनबीएस) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) परियोजनाओं जैसी स्कीमों को लागू कर रहा है, जो किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर लागू की जाती हैं:

5.1 यूरिया सब्सिडी नीतिः

5.1.1 वर्तमान में 36 गैस आधारित/कोयला आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयां हैं जिनकी संस्थापित वार्षिक क्षमता लगभग 283.74 एलएमटी है। यूरिया उद्योग की रूपरेखा इस प्रकार हैः

यूरिया उद्योग की रूपरेखा

- 36 यूरिया इकाइयां – सभी गैस आधारित यूरिया इकाइयां
- कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता – 283.74 एलएमटी
- 36 यूरिया इकाइयों में से, 6 इकाइयां नामतः सीएफसीएल– गड़ेपान–।।।, मैटिक्स – पानागढ़, आरएफसीएल–तेलंगाना, एचयूआरएल–गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी हाल ही में एनआईपी–2012 के तहत शुरू हुई हैं।

क्रम.सं	एनपीएस	एनपीएस/एनयू पी-15	नेफ्था में परिवर्तित	एनआईपी-12	कुल
इकाइयों की संख्या	2(बीवीएफसीएल)	25	3(स्पिक,एमसीएफएल,एमएफएल)	6	36
कुल आरएसी (एलएमटी)	5.55	187.12	14.87	6 X 12.7= 76.20	283.74

- एक विशेष नीति के तहत कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर 12.7 एलएमटी प्रति वर्ष की क्षमता वाली 1 इकाई नामतः टीएफएल–तालचेर की स्थापना की जा रही है।
- इस प्रकार, वर्ष 2025 से कुल क्षमता 296.44 एलएमटी हो जाने की संभावना है।

5.1.2 यूरिया की एमआरपी भारत सरकार द्वारा सांविधिक रूप से नियत की जाती है और वर्तमान में प्रति 45 किलोग्राम की बोरी के लिए यह 242 रु. (केंद्रीय/राज्य करों को छोड़कर) है। नीम लेपित यूरिया पर उर्वरक विनिर्माता कंपनियों द्वारा 5% की अतिरिक्त एमआरपी ली जाती है। फार्म गेट पर उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत और किसान द्वारा देय एमआरपी के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा उर्वरक विनिर्माता/ आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।

5.1.3 यूरिया सब्सिडी, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम का एक हिस्सा है। यह स्कीम पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित की जाती है। यूरिया सब्सिडी स्कीम के तीन घटक हैं, अर्थात स्वदेशी यूरिया, आयातित यूरिया और समान मालभाड़ा सब्सिडी। स्वदेशी यूरिया उत्पादन के लिए यूरिया इकाइयों को स्वदेशी यूरिया सब्सिडी दी जाती है। आयातित यूरिया सब्सिडी देश में यूरिया की अनुमानित मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को पाटने के लिए किए गए आयात के लिए दी जाती है। दोनों घटकों में समान मालभाड़ा सब्सिडी नीति के तहत देश भर में यूरिया के संचलन के लिए मालभाड़ा सब्सिडी भी शामिल है।

5.1.4 यूरिया सब्सिडी स्कीमों के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) देश भर के किसानों को सांविधिक रूप से नियंत्रित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(ii) स्वदेशी यूरिया उत्पादन को इष्टतम करना।

(iii) सरकार के सब्सिडी परिव्यय को युक्तिसंगत बनाना।

(iv) यूरिया इकाइयों को उनके प्रचालन और ऊर्जा दक्षता को बनाए रखने में सक्षम बनाना।

(v) आकलित मांग और अनुमानित उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पाटना।

5.1.5 यूरिया विनिर्माण इकाइयों को सब्सिडी का भुगतान रियायती दरों (मौजूदा यूरिया नीतियों के तहत उत्पादन की मानक लागत) के माध्यम से किया जाता है, जिसमें नियत लागत और परिवर्तनीय लागत नामक दो प्रमुख घटक शामिल होते हैं। रियायत की दरें यूनिट दर यूनिट उनके पुराना होने, ऊर्जा मानकों, जल मानकों, बिजली, बोरी की दरों आदि के आधार पर भिन्न होती हैं। समय–समय पर जारी विभिन्न नीतियों (सीसीईए द्वारा अनुमोदित) में गणना और संवितरण की विधि और पद्धति निर्धारित की गई है। वर्तमान नीतियां जिनके द्वारा यूरिया इकाइयों को सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है, निम्नानुसार हैं:

(i) **नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस)– III तथा संशोधित नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस)– III:(अनुलग्नक–VI)** एनपीएस– III तथा एमएनपीएस– III को क्रमशः दिनांक 8 मार्च, 2007 तथा 2 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित किया गया था। ये नीतियां निर्धारित लागत तथा परिवर्तनशील लागत जैसे बोरी की लागत, जल प्रभार तथा

बिजली प्रभार आदि की प्रतिपूर्ति के संबंध में हैं, जो अगले आदेशों तक जारी रहेंगी।

(ii) **यूरिया इकाइयों हेतु निर्धारित लागतों के निर्धारण हेतु संशोधित नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस)–।।। की अस्पष्टताओं को दूर करना:** ऊपर किए गये उल्लेख के अनुसार, संशोधित एनपीएस–।।। को 02 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित किया गया था। तथापि, इस अधिसूचना की अस्पष्ट भाषा के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने यूरिया इकाइयों की नियत लागतों के निर्धारण हेतु संशोधित नई मूल्य निर्धारण स्कीम–।।। (एनपीएस–।।।) में अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को 13.03.2020 को अनुमोदित कर दिया है, जिसे उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या 12012/3/2010–एफपीपी के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

(iii) **नई निवेश नीति (एनआईपी)–2012 और एनआईपी–2012 में संशोधन:** सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुगम बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्म–निर्भर बनाने के लिए 02 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)–2012 तथा 07 अक्तूबर, 2014 को इसमें संशोधन की घोषणा की थी। अपने संशोधन के साथ पठित एनआईपी–2012 के तहत मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स), ने पानागढ, पश्चिम बंगाल में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) आधारित एक नया ग्रीनफील्ड अमोनिया–यूरिया काम्प्लेक्स स्थापित किया है। मैटिक्स का वाणिज्यिक उत्पादन 01 अक्तूबर, 2017 से शुरू हुआ। तथापि, सीबीएम/प्राकृतिक गैस उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 16 नवम्बर, 2017 से यह प्रचालन में नहीं रहा। गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी मिल जाने के बाद, मैटिक्स ने 9 सितम्बर, 2021 से उत्पादन पुनः शुरू कर दिया है। चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) ने भी गड़ेपान, राजस्थान में एक ब्राउनफील्ड परियोजना शुरू की है। सीएफसीएल–।।। का वाणिज्यिक उत्पादन 01 जनवरी, 2019 से शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की एक बंद इकाई अर्थात रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) ने 22 मार्च, 2021 से अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। गोरखपुर इकाई ने 7 दिसम्बर, 2021 से उत्पादन शुरू कर दिया था। बरौनी और सिंदरी उर्वरक संयंत्रों ने क्रमशः 18.10.2022 और 05.11.2022 को यूरिया उत्पादन शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, 28 अप्रैल, 2021 को अधिसूचित विशेष नीति के तहत एफसीआईएल की तालचेर इकाई को 12.7 एलएमटीपीए वाले नए

ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र की स्थापना करके पुनर्जीवित किया जा रहा है।

(vi) **नई यूरिया नीति (एनयूपी)–2015: (अनुलग्नक–VII)** सीसीईए के निर्णय के आधार पर, उर्वरक विभाग ने दिनांक 25 मई, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने, यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने तथा सरकार पर सब्सिडी के भार को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्यों से नई यूरिया नीति–2015 (एनयूपी–2015) को अधिसूचित किया था।

एनयूपी–2015 के अनुसार, इन गैस आधारित 25 यूरिया इकाइयों को उनके पूर्व–निर्धारित ऊर्जा मानकों के आधार पर तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एनयूपी–2015 के पैरा 3.1 के अनुसार, इन इकाइयों के लिए वर्ष 2015–16 (01 जून, 2015 से), वर्ष 2016–17 और वर्ष 2017–18 के लिए संशोधित ऊर्जा मानक एनपीएस–III के पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानकों का साधारण औसत तथा वर्ष 2011–12, 2012–13 और 2013–14 के दौरान प्राप्त औसत वास्तविक ऊर्जा खपत अथवा एनपीएस–III के पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानक, जो भी कम हो, थे। नई यूरिया नीति–2015 के पैरा 3.1 के अनुसार 25 यूरिया इकाइयों के संशोधित ऊर्जा मानकों को दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को नियत और अधिसूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एनयूपी–2015 के पैरा 3.2 के अनुसार, प्रत्येक समूह को वर्ष 2018–19 के लिए नीचे तालिका में सारबद्ध किए गए अनुसार लक्ष्य ऊर्जा मानक दिए गए थे:–

समूह	ऊर्जा स्तर (जीकैल/एमटी में)	लक्ष्य ऊर्जा मानक (2018-19) (जीकैल/एमटी में)	कंपनियों के नाम/संख्या
समूह-I	5.0 से 6.0	5.5	एनएफएल-विजयपुर-I एवं II, कृभको-हजीरा, इण्डो-गल्फ, इफको-आंवला-I एवं II और फूलपुर-II, केएसएफएल-शाहजहांपुर , सीएफसीएल-गढ़ेपान I एवं II, टीसीएल-बरबाला, एनएफसीएल- काकीनाड़ा I एवं II (तेरह इकाइयां)
समूह-II	6.0 से 7.0	6.2	इफको-कलोल,जीएसएफसी बरोड़ा,आरसीएफ-थल, जीएनवीएफसी (चार इकाइयां)
समूह-III	7.0 से अधिक	6.5	एनएफएल-नांगल,एनएफएल-पानीपत,भटिंडा, जेडएसीएल गोवा, एसएफसी-कोटा, आरसीएफ-ट्रांबे-V, इफको-फूलपुर-I, केएफसीएल-कानपुर (आठ इकाइयां)

दिनांक 14 मई, 2019 की अधिसूचना के जरिये, नई यूरिया नीति–2015 की अवधि को, सिवाय उन प्रावधानों के जो दिनांक 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना द्वारा पहले ही संशोधित किए गए थे, 1 अप्रैल, 2019 से अगले आदेशों तक बढ़ाया गया, जिसे बाद में दिनांक 7 जुलाई, 2020 की अधिसूचना के जरिये 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। दिनांक 18 नवंबर, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से प्रावधानों को और संशोधित किया गया है। 28 मार्च 2018, 7 जुलाई, 2020 और 18 नवंबर, 2022 की अधिसूचनाओं के प्रावधानों पर अलग–अलग पैरा में चर्चा की गई है।

अन्य परिवर्तनीय लागत उदाहरणार्थ, बोरी की लागत, जल प्रभार और बिजली प्रभार तथा नियत लागत के लिए प्रतिपूर्ति का निर्धारण एनपीएस–III और संशोधित एनपीएस–III के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। एनयूपी–2015 में 25 गैस आधारित मौजूदा यूरिया इकाइयां शामिल हैं।

(v) **अधिसूचना दिनांक 17 जून, 2015 (अनुलग्नक–VIII)** – नेफ्था आधारित 3 इकाइयों (मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड–मणलि, सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन–तूतीकोरिन तथा मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) पर लागू है। नेफ्था आधारित तीन यूरिया इकाइयां नामतः मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड–मणलि (सीपीएसयू), सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (एसपीआईसी) – तूतीकोरिन तथा मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमसीएफएल) दिनांक 17 जून, 2015 की नीतिगत अधिसूचना द्वारा शासित होती हैं, जो इन इकाइयों को गैस की उपलब्धता तथा गैस पाइपलाइन अथवा किसी अन्य माध्यम से इन तीनों इकाइयों को कनेक्टिविटी प्राप्त होने तक फीडस्टॉक के रूप में नेफ्था का प्रयोग करते हुये यूरिया उत्पादन का प्रचालन करने की अनुमति देती है। इन तीन इकाइयों हेतु ऊर्जा मानक भी निर्धारित किये गये थे और वर्ष 2018–2019 से 6.5 जीकैल/एमटी का ऊर्जा मानक लक्ष्य दिया गया था जिसे बाद में वर्ष 2020–2021 से करने का निर्णय लिया गया था।

(vi) **नई यूरिया नीति (एनयूपी) – 2015 के तहत ऊर्जा मानकों का संशोधन, दिनांक 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना (अनुलग्नक–IX)**: सीसीईए के अनुमोदन के साथ 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना के जरिये उर्वरक विभाग ने सभी यूरिया विनिर्माण इकाइयों (बीवीएफसीएल को छोड़कर) को दिए गए लक्ष्य ऊर्जा मानकों के संबंध में निम्नलिखित निर्णयों को अनुमोदित किया है:

- 11 यूरिया विनिर्माण इकाइयों अर्थात वाईएफआईएल, एनएफएल–विजयपुर–।।, जीआईएल, सीएफसीएल–गड़ेपान–। और ।।, इफको–आंवला–।।, आरसीएफ–थल, इफको– कलोल, इफको–आंवला–।, इफको–फूलपुर–। और ।। के लिए

एनयूपी–2015 के पैरा 3.2 में यथा–उल्लिखित लक्ष्य ऊर्जा खपत मानक 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगे।

- शेष 14 यूरिया विनिर्माण इकाइयों, अर्थात एनएफएल विजयपुर–I, कृभको–हजीरा, केएफएल–शाहजहांपुर, एनएफसीएल–काकीनाड़ा–I, एनएफसीएल– काकीनाड़ा–II, जीएनएफसी– भरुच, जीएसएफसी –वड़ोदरा, एनएफएल–बठिण्डा, एनएफएल–नंगल, एनएफएल–पानीपत, एसएफसी–कोटा, केएफसीएल–कानपुर, आरसीएफ ट्रॉम्बे–V जेडएसीएल–गोवा के लिए नई यूरिया नीति–2015 के तहत मौजूदा मानकों को 2 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 31 मार्च 2020 तक निम्नलिखित दंडों के साथ बढ़ाया जाता है:

(क) प्रथम वर्ष अर्थात 2018–19 के लिए एनयूपी–2015 के एनयूपी ऊर्जा मानकों और लक्ष्य ऊर्जा मानकों के बीच अंतर की 2% ऊर्जा के समतुल्य जुर्माना।

(ख) दूसरे वर्ष अर्थात 2019–20 के लिए एनयूपी–2015 के एनयूपी ऊर्जा मानकों और लक्ष्य ऊर्जा मानकों के बीच अंतर की 5% ऊर्जा के समतुल्य जुर्माना।

(ग) यूरिया विनिर्माण इकाइयां 2018–19 से 2019–20 तक बढ़ाई गई अवधि के दौरान लक्ष्य ऊर्जा मानकों को अवश्य प्राप्त करें जिसके न होने पर चूककर्ता इकाइयों पर व्यय विभाग के परामर्श से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

उपर्युक्त लक्ष्य ऊर्जा मानकों को 31 मार्च 2025 तक जारी रखा जा सकता है। इस दौरान, नीति आयोग के अंतर्गत एक विशेषज्ञ निकाय 01 अप्रैल 2025 से प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा मानकों की सिफारिश करने का कार्य करेगा। तीन नेफ्था आधारित यूरिया इकाइयों अर्थात एमएफएल, एमसीएफएल, स्पिक को भी दिनांक 17 जून 2015 की नीतिगत अधिसूचना के पैरा (2) के तहत मौजूदा ऊर्जा मानकों की अन्य दो वर्ष अर्थात 31 मार्च 2020 तक अथवा इन इकाइयों के पाइपलाइन कनेक्टिविटी प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, अनुमति दी गयी है। दिनांक 8 मार्च 2007 की एनपीएस–III नीति के पैरा 3(viii) और 5(ii) के अनुसार गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी की तारीख से 5 वर्ष की नियत अवधि के लिए ऊर्जा दक्षता की कोई मॉपिंग नहीं होगी।

टिप्पणी: गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी मिल जाने के बाद एमएफएल–मणलि, एमसीएफएल–मंगलौर तथा स्पिक–तूतीकोरिन ने क्रमशः 29 जुलाई, 2019, 12 दिसम्बर, 2020 तथा 13 मार्च, 2021 से प्राकृतिक गैस फीडस्टॉक पर अपना उत्पादन शुरू कर दिया है।

(vii) नई यूरिया नीति (एनयूपी)–2015 के तहत ऊर्जा मानकों का संशोधन, अधिसूचना दिनांक 07 जुलाई, 2020 (अनुलग्नक–X): उर्वरक विभाग ने दिनांक 07 जुलाई, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से 14 यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लिए एनयूपी–2015 के

एनयूपी मौजूदा ऊर्जा मानकों तथा लक्ष्य ऊर्जा मानकों के बीच अंतर के 10% के बराबर बढ़ाए गए जुर्माने के साथ नई यूरिया नीति 2015 के तहत मौजूदा ऊर्जा मानकों को दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया है। इन संशोधित ऊर्जा मानकों को 01 अक्तूबर, 2020 से लागू कर दिया गया है।

(viii) अधिसूचना, दिनांक 18 नवम्बर, 2022:– दिनांक 18 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से उर्वरक विभाग ने सीसीईए के अनुमोदन को निम्न प्रकार से अधिसूचित किया है:

(क) दिनांक 7 जुलाई, 2020 की अधिसूचना के प्रावधानों को 14 यूरिया विनिर्माण इकाइयों नामतः कृभको–हजीरा, एनएफएल–विजयपुर–I, एनएफसीएल– काकीनाड़ा– I, केएफएल–शाहजहांपुर, एनएफसीएल–काकीनाड़ा–।।,जीएनएफसी–भरूच, जीएसएफसी–वड़ोदरा, केएफसीएल–कानपुर, एसएफसी–कोटा, आरसीएफ–ट्रॉम्बे–V जेडएसीएल–गोवा, एनएफएल–नंगल, एनएफएल–बठिंडा और एनएफएल–पानीपत के लिए 1 अक्टूबर, 2020 से 30 सितंबर, 2022 तक एनयूपी–2015 के एनयूपी ऊर्जा मानकों और लक्ष्य ऊर्जा मानकों के बीच अंतर के 10% ऊर्जा के बराबर जुर्माने के साथ 30 सितंबर, 2022 तक अथवा इन इकाइयों द्वारा लक्ष्य ऊर्जा मानक (टीईएन) हासिल कर लेने तक जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है।

(ख) 1 अक्टूबर, 2022 से टीईएन का अनुपालन नहीं करने वाली सभी इकाइयों पर 2% का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। पूर्व में लगाए गए जुर्माने के साथ यह अतिरिक्त जुर्माना 31 मार्च, 2023, जिस तारीख तक सभी इकाइयों को अनिवार्य रूप से टीईएन का पालन कर लेना चाहिए, तक लागू रहेगा तथा इसे और आगे बढ़ाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) यदि छह यूरिया विनिर्माण इकाइयों नामतः कृभको–हजीरा, एनएफसीएल–काकीनाड़ा–।, एनएफसीएल–काकीनाड़ा–।।, जीएसएफसी– वड़ोदरा, आरसीएफ– ट्रॉम्बे–V तथा जेडएसीएल–गोवा (उन 8 यूरिया विनिर्माण इकाइयों, जिन्होंने या तो सफलतापूर्वक ईएसएस को कार्यान्वित कर लिया है अथवा मिश्रित ऊर्जा के रूप में कोयले का प्रयोग करने की अनुमति दी जा रही है, को छोड़कर) 31 मार्च, 2023 तक बढ़ी हुई समय–सीमा तक भी पूरा नहीं कर सकें तो ऐसी स्थिति में उर्वरक विभाग गहन जांच के पश्चात व्यय विभाग के विचारार्थ प्रस्ताव रखेगा तथा उक्त प्रस्ताव को उसके गुण–दोषों के आधार पर परखा जाएगा।

(ix) नई यूरिया नीति (एनयूपी)–2015 दिनांक 31 मार्च, 2023 के तहत ऊर्जा मानकों में संशोधन। जैसाकि 18 नवंबर, 2022 की अधिसूचना में विचार किया गया है, दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना के जरिये एनयूपी–2015 के लक्ष्य ऊर्जा मानक (टीईएन) उपर्युक्त 7 इकाइयों पर लागू किए गए,जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	इकाई का नाम	टीईएन प्रवर्तन की तिथि
1	कृभको-हजीरा	1 अक्टूबर, 2020
2	आरसीएफ-ट्रॉम्बे	1 अप्रैल, 2021
3	केएफएल - शाहजहांपुर	1 जुलाई, 2021
4	जीएनएफसी-भरूच	1 जुलाई, 2021
5.	एनएफएल-नंगल, एनएफएल-पानीपत और एनएफएल-बठिंडा	1 अप्रैल, 2022

(x) **दिनांक 14 अगस्त, 2023, 14 जून, 2024 और 15 अप्रैल 2024 की अधिसूचना।** दो इकाइयों नामतः एसएफसी–कोटा और केएफसीएल–कानपुर के मामले में, जिन्हें ऊर्जा के मिश्रण के रूप में कोयले का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है, नीति आयोग के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह से एसएफसी–कोटा और केएफसीएल– कानपुर के ऊर्जा मानकों की जांच करने और इन इकाइयों के लिए संशोधित टीईएन की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है। इस बीच, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और व्यय विभाग की सहमति से, 14 अगस्त, 2023 और 14 जून ,2024 की अधिसूचनाओं के माध्यम से इन इकाइयों के संशोधित ऊर्जा मानक (आरईएन) को आरईएन और टीईएन के बीच अंतर के 30% की कटौती के साथ 31 मार्च, 2025 तक या इन इकाइयों के संशोधित टीईएन के निर्धारण तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है।

पीपीएल–गोवा के मामले में, दिनांक 14 अगस्त, 2023 की अधिसूचना के जरिये सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और व्यय विभाग की सहमति से, आरईएन को एनयूपी–2015 (टीईएन) के तहत निर्धारित आरईएन और टीईएन के बीच अंतर के 30% के जुर्माने के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक या पीपीएल–गोवा द्वारा टीईएन प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, टीईएन को पीपीएल–गोवा पर 1 जनवरी, 2024 से लागू किया गया।

जीएसएफसी के मामले में, दिनांक 14 अगस्त, 2023 की अधिसूचना के जरिये, एनयूपी–2015 के आरईएन को आरईएन और टीईएन के बीच अंतर के 30% के जुर्माने के साथ 31 मार्च, 2024 या जब तक इकाई टीईएन प्राप्त नहीं कर लेती, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है। दिनांक 15 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से, जीएसएफसी–बड़ौदा के आरईएन को एनयूपी–2015 के तहत निर्धारित उनके संशोधित ऊर्जा मानकों (आरईएन) और लक्ष्य ऊर्जा मानकों (टीईएन) के बीच अंतर के 35% के जुर्माने के साथ 31.12.2024 तक की अवधि के लिए या जीएसएफसी– बड़ौदा के टीईएन प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया था। इसके बाद, आगे विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एनएफएल–विजयपुर–I के मामले में, उर्वरक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल, 2024 के अनुसार, एनयूपी–2015 के तहत एनएफएल–विजयपुर–I के आरईएन को

एनयूपी–2015 के तहत निर्धारित उनके संशोधित ऊर्जा मानकों (आरईएन) और लक्ष्य ऊर्जा मानकों (टीईएन) के बीच अंतर के 35% के जुर्माने के साथ 31.12.2024 तक की अवधि के लिए या एनएफएल–विजयपुर–I के टीईएन प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो बढ़ाया गया था। इसके बाद, आगे विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.1.6 नीति आयोग ने दिनांक 25 अगस्त, 2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित विचारार्थ विषयों (टीओआर) के साथ एक विशेषज्ञ समूह का पुनर्गठन किया है:

- नई यूरिया नीति (एनयूपी)–2015 के तहत कवर की गई सभी पच्चीस गैस आधारित यूरिया इकाइयों द्वारा 1 अप्रैल, 2025 से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों के संबंध में सिफारिशें देना। (यह सिफारिशें एक वर्ष के भीतर करनी होगी)।

- एनयूपी–2015 के तहत कोयला आधारित संयंत्रों एसएफसी–कोटा और केएफसीएल कानपुर के लिए संशोधित लक्ष्य ऊर्जा मानकों के संबंध में सिफारिशें देना, जिन्हें अपने ऊर्जा मिश्रण में कोयले के उपयोग को जारी रखने की अनुमति दी गई है।

- नेफ्था परिवर्तित इकाइयों अर्थात एमसीएफएल, मैंगलोर, स्पिक–तूतीकोरिन और एमएफएल, मद्रास द्वारा 1 अप्रैल 2025 से प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट (लक्ष्य) ऊर्जा मानकों के संबंध में सिफारिशें देना।

- यूरिया उत्पादन के संदर्भ में इष्टतम और निरंतर प्रदर्शन के लिए ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का सुझाव देना। जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और दुनिया भर में विकसित होते हुए ऊर्जा परिदृश्य के अनुरूप यूरिया उत्पादन में हाइड्रोजन के लाभकारी उपयोग की संभावना का पता लगाना ।

- कोई अन्य मामला जो उर्वरक विभाग द्वारा विशेषज्ञ निकाय को सौंपा जा सकता है या जिसे विशेषज्ञ निकाय उपर्युक्त मुद्दे के लिए उपयुक्त मानता है। विशेषज्ञ समूह यथावश्यक अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकता है। इस दल को तकनीकी सहायता उर्वरक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

5.1.7 गत वर्षों में 2023–24 तक यूरिया संयंत्रों की भारित औसत ऊर्जा खपत का रुख निम्नवत है:

वर्ष	भारित औसत ऊर्जा खपत (जीकैल/एमटी यूरिया
2013-14	6.04
2014-15	6.04
2015-16	5.95
2016-17	5.94
2017-18	5.91
2018-19	5.88
2019-20	5.79
2020-21	5.78
2021-22	5.82
2022-23	5.60
2023-24	5.60

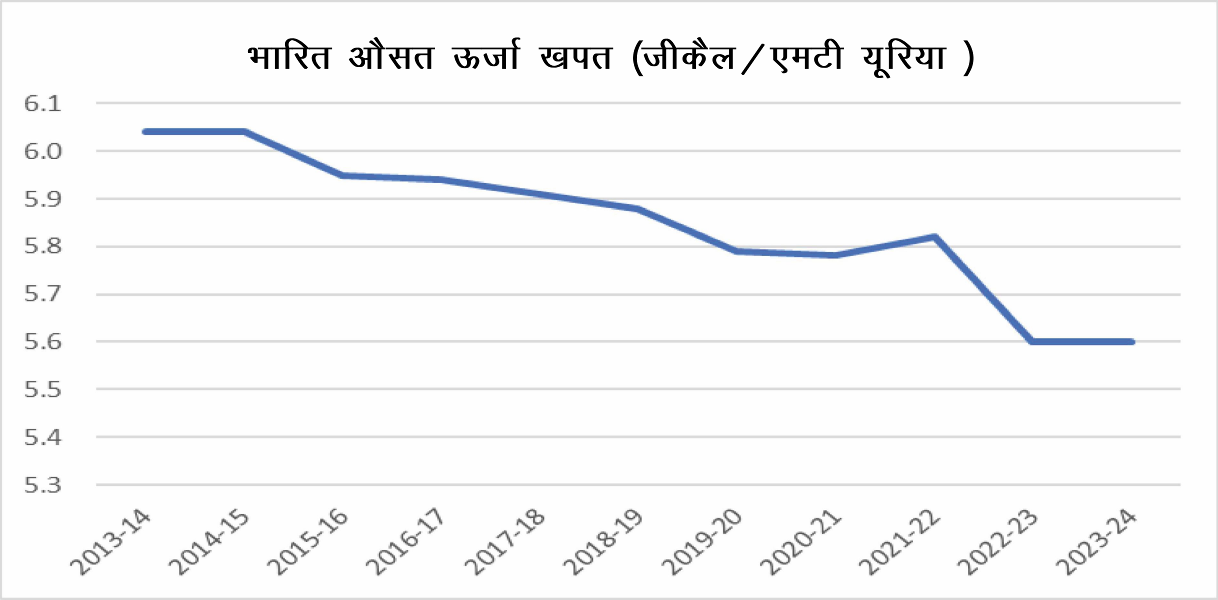

5.1.8. एक समान मालभाड़ा नीति (यूएफपी)–2008: एक समान मालभाड़ा नीति (यूएफपी) को दिनांक 17 जुलाई, 2008 की अधिसूचना के माध्यम से 01 अप्रैल, 2008 से कार्यान्वित किया गया है। यूएफपी का उद्देश्य विशेषकर सबसे ज्यादा मांग की अवधि के दौरान देश के सभी हिस्सों में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा एनपीएस–।।। के अनुसार मालभाड़ा की प्रतिपूर्ति कार्यान्वित करना है। प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर 500 किलोमीटर तक प्राथमिक सड़क संचलन के संबंध में स्लैब–वार दरों को वार्षिक रूप से अधिसूचित किया जाता है। उर्वरकों के द्वितीयक संचलन के मामले में सड़क परिवहन हेतु बढ़ी हुई/घटी हुई प्रति टन प्रति किलोमीटर (पीटीपीके) दरों को भी उर्वरक विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

5.1.9. तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से उत्पादित यूरिया हेतु विशेष राजसहायता नीति दिनांक 28 अप्रैल, 2021 (अनुलग्नक–XI): कोयला खानों की निकटता तथा यूरिया के उत्पादन हेतु वैकल्पिक फीडस्टॉक के रूप में विकसित करने के कारण उर्वरक विभाग ने पूर्व तालचेर फर्टिलाइजर्स संयंत्र की अवस्थिति के कार्यनीतिक लाभ पर विचार करते हुए कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से तालचेर फर्टिलाइजर्स संयंत्र के पुनरुद्धार की संभावना की खोज की है। कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर एफसीआईएल के पूर्व तालचेर संयंत्र को नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) तथा कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के संघ के माध्यम से पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि कोयला गैसीकरण में अपनी तरह का पहले संयंत्र होने के कारण टीएफएल हेतु यूरिया नीति को

सुरक्षित (रिंग फेंस) किया जाना अनिवार्य है। तदनुसार उर्वरक विभाग ने एक सीसीईए नोट प्रस्तुत किया जिसके तहत टीएफएल हेतु विशेष सब्सिडी नीति का प्रस्ताव किया गया था। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया कि तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से उत्पादित यूरिया हेतु उत्पादन शुरू होने की तिथि से 8 वर्षों की अवधि हेतु रियायत दर/सब्सिडी का निर्धारण साम्या पर कर पश्चात 12% आईआरआर प्रदान करके किया जाएगा। इसे उर्वरक विभाग के दिनांक 28 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

5.1.10 डीलर / वितरण मार्जिन (अनुलग्नक–XII):–

यूरिया की बिक्री हेतु वितरण/डीलर मार्जिन को पिछली बार 18 जून, 1999 को अधिसूचित किया गया था। निजी व्यापार के माध्यम से बिक्री हेतु 180 रुपये प्रति मी.टन तथा संस्थागत एजेंसियों के माध्यम से बिक्री हेतु 200 रुपये प्रति मी.टन की राशि का भुगतान किया गया था। उर्वरक क्षेत्र में डीबीटी के लागू किए जाने के परिणामस्वरूप उर्वरक विभाग को वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित किए जाने हेतु वितरण/डीलर मार्जिन को बढ़ाए जाने के लिए डीलरों तथा उर्वरक कंपनियों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। भारत सरकार ने मांग पर विचार किया तथा दिनांक 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से उर्वरक विभाग ने 01 अप्रैल, 2018 से डीलर मार्जिन को 180/200 रुपये प्रति मी.टन यूरिया (प्राइवेट एजेंसियों/संस्थागत एजेंसियों के लिए) से संशोधित करके 354 रुपये प्रति मी.टन यूरिया कर दिया है, जिसका केवल पीओएस डिवाइस के माध्यम से बेची गई मात्रा पर भुगतान किया जाएगा। इससे डीबीटी के कार्यान्वयन के पश्चात लगभग 23000 डीलरों/वितरकों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ी है।

5.1.11 उर्वरक विभाग की दिनांक 20 मई, 2019 की अधिसूचना के अनुसार पीओएस डिवाइस की खरीद, पीओएस डिवाइस के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) तथा खुदरा विक्रेता द्वारा आईएफएमएस में उर्वरकों की प्राप्ति की सूचना की लागत हेतु खुदरा विक्रेता मार्जिन के रूप में 50 रुपये प्रति मी. टन का भुगतान किया जाता है।

5.1.12 नीम लेपित यूरिया (अनुलग्नक–XIII): नीम लेपन वाले सामान्य यूरिया (एनयू) को नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) कहा जाता है। शोधकर्ताओं के निरंतर प्रयासों से फसलों में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (एनयूई) बढ़ाने के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया का विकास हुआ। विकास, उपज विशेषताओं, अनाज और पुआल की पैदावार, नाइट्रोजन ग्रहण और स्वच्छ नाइट्रोजन (एन) की पुनः प्राप्ति जैसे कई कृषि संबंधी गुणों के मामले में अन्य लेपन एजेंटों की तुलना में नीम काफी बेहतर

सामग्री साबित हुआ है। इसके अलावा, एनयू की तुलना में एनसीयू के अतिरिक्त फायदे हैं क्योंकि यह तेज गति से रिलीज होने वाले यूरिया की गति को धीमा कर देता है, फसलों द्वारा एन–अपटेक तथा दक्षता के उपयोग के मामले में एनयूई को बेहतर बनाकर अवशोषित नहीं की गई नाइट्रोजन को भूजल जलभृतों के स्तर या खुली हवा में निक्षालित करता है। नीम लेपित यूरिया के अतिरिक्त फायदों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सीसीईए के अनुमोदन से 2 जून, 2008 को देश में संपुष्ट और लेपित उर्वरकों के उत्पादन और उपलब्धता को प्रोत्साहित करने के लिए नीति अधिसूचित की थी, जिसमें सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के स्वदेशी विनिर्माताओं/उत्पादकों को संबंधित सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के उनके कुल उत्पादन का अधिकतम 20% तक संपुष्ट/लेपित सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी। दिनांक 11 जनवरी, 2011 की अधिसूचना के माध्यम से इस सीमा को कुल उत्पादन के 20% से बढ़ाकर अधिकतम 35% कर दिया गया था। इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 7 जनवरी, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से नीम लेपित यूरिया के उत्पादन की सीमा/प्रतिबंध को हटा दिया और बाद में दिनांक 24 मार्च, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से यूरिया के सभी स्वदेशी उत्पादकों के लिए सब्सिडी प्राप्त यूरिया के कुल उत्पादन का 75% नीम लेपित यूरिया के रूप में उत्पादन करना अनिवार्य कर दिया। एनयूई, जिसके परिणामस्वरूप मृदा की उर्वरता और फसल की पैदावार में वृद्धि होती है, को बढ़ाने के उद्देश्य से और कृषि के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए यूरिया के विपथन को रोकने के लिए, 13 मई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने संपूर्ण उत्पादन को नीम लेपित यूरिया के रूप में उत्पादित करना अनिवार्य करने का निर्णय लिया। तदनुसार, उर्वरक विभाग द्वारा 25 मई, 2015 को अधिसूचना जारी की गई थी। स्वदेशी रूप से उत्पादित यूरिया और आयातित यूरिया की पूरी मात्रा क्रमशः 1 सितंबर, 2015 और 1 दिसंबर, 2015 से नीम लेपित की जा रही है।

5.1.13. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) को नीम लेपित यूरिया के प्रभाव का निर्धारण करने हेतु एक अध्ययन कराने का कार्य सौंपा गया था। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एण्ड रुरल ट्रांसफारमेशन सेंटर (एडीआरटीसी) बंगलूरू द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, नीम लेपित यूरिया के परिणामस्वरूप:

(i) मृदा गुणवत्ता में सुधार होता है।

(ii) कीटनाशक तथा रोग नियंत्रण तथा खरपतवार प्रबंधन की लागत में कमी होती है।

(iii) सभी फसलों तथा उनके उप–उत्पादों की पैदावार में सुधार होता है।

(iv) तुअर तथा इसके बाद गन्ना, सोयाबीन, धान, जूट तथा मक्का की फसलों के मामले में उच्चतम वृद्धिशील आय होती है।

यूरिया के नीम लेपन को शुरू किए जाने से फील्ड से यह रिपोर्ट मिली कि किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है। नीम लेपन के प्राथमिक लाभों में से एक है कि यह धीमे घुलने के कारण सामान्य यूरिया की तुलना में एनसीयू की खपत को कम करता है।

5.1.14. **यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी की शुरुआत (अनुलग्नक–XIV):** नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) की शुरुआत के बाद तथा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु, यह महसूस किया गया था कि यदि यूरिया को 50 कि.ग्रा. के बजाय 45 कि.ग्रा. की बोरियों में उपलब्ध कराया जाए तो यूरिया की खपत कम हो सकती है क्योंकि एनसीयू धीमी गति से रिलीज होने के कारण नाइट्रोजन के प्रयोग की प्रभावकारिता को बढ़ा देता है। अतः उर्वरक विभाग ने दिनांक 4 सितंबर, 2017 की अधिसूचना के जरिये 50 कि.ग्रा. की बोरी के स्थान पर 45 कि.ग्रा. की बोरी की शुरुआत की। यूरिया की 50 कि.ग्रा. की बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य 268 रु. प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभारों तथा यथा लागू करों को छोड़ कर) था जबकि 45 कि.ग्रा. की बोरी के एमआरपी में समानुपातिक कमी के साथ–साथ बोरियों की संख्या में वृद्धि के कारण बोरी की लागत में वृद्धि के मद्देनजर, यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रु. प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभारों तथा यथा लागू करों को छोड़ कर) की दर पर नियत किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) द्वारा 1 मार्च, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के जरिये यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी का एमआरपी अधिसूचित किया गया था।

5.2. पीएंडके राजसहायता नीतिः

5.2.1. सभी पीएण्डके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य शर्तों पर आयात किए जाते हैं। सरकार लंबी अवधि के समझौता ज्ञापनों/करारों आदि के माध्यम से पीएण्डके उर्वरक कंपनियों द्वारा अन्य उर्वरक कंपनियों से उर्वरकों/कच्चे माल के आयात की सुविधा प्रदान करती है।

5.2.2. सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनके पोषकतत्व की मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्ध–वार्षिक रूप से तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। इस नीति के तहत, अधिकतम खुदरा मूल्य उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार के उतार–चढ़ाव के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर नियत किया जाता है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। तदनुसार, खरीफ 2023–24 और रबी 2023–24 हेतु एनबीएस स्कीम के तहत पीएण्डके उर्वरकों हेतु रुपए प्रति कि.ग्रा. सब्सिडी दरें निम्नानुसार हैंः–

क्र.सं.	पोषकतत्व	खरीफ 2023-24 हेतु एनबीएस दरें (रु. प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) (01.04.2023 से 30.9.2023 तक)	रबी 2023- 24 हेतु एनबीएस दरे प्रति कि.ग्रा. पोषकतत्व) 1.10.2023 से 31.03.2024 तक)
		रुपए. /कि.ग्रा.	रुपए. /कि.ग्रा.
1.	एन	76.49	47.02
2.	पी	41.03	20.82
3.	के	15.91	2.38
4.	एस	2.80	1.89

- एनबीएस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए बोरॉन से संपुष्ट हेतु 300 रूपए प्रति एमटी और जिंक से सुंपुष्ट हेतु 500 रूपए प्रति एमटी की दर से भी अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है।

- रबी 2023–24 तक, एनबीएस डीएपी, एमओपी, एसएसपी आदि सहित पीएण्डके उर्वरकों के 25 ग्रेड पर लागू था। खरीफ 2024 से, 3 नए उर्वरक ग्रेड अर्थात् मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन और सल्फर से संपुष्ट एनपीके (11:30:14), मैग्नीशियम, जिंक और बोरोन से संपुष्ट यूरिया–एसएसपी (5:15:0:10) और एसएसपी (0:16:0:11) एनबीएस स्कीम में शामिल किए गए हैं।

5.2.3. देश तैयार उत्पादों अथवा इनकी कच्ची सामग्री के लिए पोटाशयुक्त क्षेत्र में संपूर्ण रूप से और फास्फेटयुक्त क्षेत्र में 90% की सीमा तक आयात पर निर्भर है। सब्सिडी नियत होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में किसी उतार–चढ़ाव का पीएण्डके उर्वरकों के घरेलू मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है।

5.2.4. एनबीएस नीति के तहत कंपनियों को एमआरपी खुद तय करने की अनुमति है। एनबीएस को लागू करने का उद्देश्य उर्वरक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना था ताकि बाजार में उचित मूल्यों पर विविधीकृत उत्पादों की उपलब्धता को सुकर बनाया जा सके। तथापि, पीएण्डके उर्वरकों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है और कंपनियों द्वारा निर्धारित मूल्यों के औचित्य के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल /तैयार उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि, अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्यह्रास और कंपनियों द्वारा संभवत अधिक लाभ मार्जिन के कारण भी कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। इससे विभिन्न वर्गों से काफी विरोध हुआ है और इससे उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन भी पैदा हुआ है। तदनुसार, पीएण्डके कंपनियों द्वारा निर्धारित मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने दिनांक 8–7–2011 की अधिसूचना द्वारा उर्वरक कंपनियों को निदेश दिया कि वे पीएण्डके उर्वरकों के मूल्य एनबीएस व्यवस्था के अंतर्गत उचित स्तर

पर नियत करें। उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित मूल्यों की युक्तिसंगतता सुनिश्चित करने के लिए एनबीएस नीति और वर्ष 2013–14 के लिए दरों की घोषणा करते समय दिनांक 01.04.2012 से लागू एनबीएस नीति में निम्नलिखित खंड शामिल किए गए हैं :

i. सभी उर्वरक कंपनियों के लिए सब्सिडी के अपने दावों के साथ उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी की निगरानी के प्रयोजनार्थ आवश्यकता के अनुसार और निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित लागत आंकड़े प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ii- ऐसे मामलों में, जहां जांच के बाद एमआरपी की अतर्कसंगतता सिद्ध हो जाती है अथवा जहां उत्पादन अथवा अधिग्रहण की लागत तथा बोरी पर मुद्रित एमआरपी के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है, सब्सिडी प्रतिबंधित अथवा अस्वीकार की जा सकती है भले ही उत्पाद अन्यथा रूप से एनबीएस के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र हो। सब्सिडी तंत्र के दुरुपयोग के सिद्ध मामले में उर्वरक विभाग आईएमसी की सिफारिश पर किसी कंपनी विशेष के उर्वरकों के किसी ग्रेड/ग्रेड अथवा उर्वरक कंपनी को ही एनबीएस स्कीम से बाहर कर सकता है।

iii. एमआरपी की तर्कसंगतता बोरी पर मुद्रित एमआरपी के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

5.2.5 उर्वरक विभाग ने दिनांक 15.11.2019 के अपने कार्यालय ज्ञापन के जरिये अंतिम पीएण्डके उर्वरक उत्पादों की एमआरपी की तर्कसंगतता की जांच के लिए औचित्य दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप दिया। अंतिम पीएण्डके उत्पाद के उत्पादन की लागत से 12% अधिक लाभ को अनुचित माना जाता है। एनबीएस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत अंतिम पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन की लागत की गणना करने के लिए विभाग में एफआईसीसी के माध्यम से लागत आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है।

5.3 मालाभाड़ा सब्सिडी नीतिः

दिनांक 1.4.2010 से 31.12.2010 तक एनबीएस नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) के वितरण/संचलन के लिए मालभाड़ा राजसहायता रेल भाड़े तक सीमित थी जबकि द्वितीयक मालभाड़ा (रेक पॉइंट से जिलों तक) को नियत राजसहायता का भाग माना जाता था। सीधे सड़क संचलन के संबंध में मालभाड़ा प्रतिपूर्ति वास्तविक दावों के अनुसार अदा की जाती थी बशर्ते यह अधिकतम 500 कि.मी. तक के रेल मालभाड़े के बराबर हो।

दिनांक 01.01.2011 से 31.3.2012 तक, सभी पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) के प्राथमिक संचलन (संयंत्र या बन्दरगाह से रेल द्वारा विभिन्न रेक पॉइंटों तक) तथा द्वितीयक संचलन (नजदीकी रेक पॉइंटों से सड़क द्वारा जिलों के ब्लॉक मुख्यालयों तक) के संबंध में मालभाड़े की प्रतिपूर्ति उस अवधि के दौरान यूरिया के

लिए लागू समान मालभाड़ा राजसहायता नीति के अनुसार अदा की जाती थी। सभी पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) के सीधे सड़क संचलन के लिए (संयंत्र या बंदरगाह से सड़क द्वारा ब्लॉक तक) मालभाड़ा राजसहायता की वास्तविक दावों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती थी जो कि अधिकतम 500 कि.मी. तक के रेल भाड़े के बराबर थी। 1.4.2010 से 31.3.2012 तक सीधे सड़क संचलन के लिए मालभाड़े की प्रतिपूर्ति हेतु दरें निम्न प्रकार में थीं :–

संचलन (कि.मी.)	दरें रु./मी.टन
तक 100	108
101-200	183
201-300	256
301-400	327
401-500	400

दिनांक 01–04–2012 से पीएंडके उर्वरकों के लिए मालभाड़ा राजसहायता इस प्रकार है

(i) सभी पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) के प्राथमिक संचलन के संबंध में मालभाड़े की प्रतिपूर्ति रेलवे रसीद के अनुसार वास्तविक रेल मालभाड़े के आधार पर की जाती है।

(ii) सभी पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी सहित) के द्वितीयक संचलन की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाती।

(iii) सभी पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) की सीधे सड़क मार्ग से संचलन के लिए मालभाड़ा राजसहायता की प्रतिपूर्ति वास्तविक दावे के आधार पर की जाती है जो उर्वरक विभाग द्वारा समय–समय घोषित समान रेल मालभाड़ा के अधीन है। तथापि, सीधे सड़क मार्ग से संचलन के लिए अधिकतम अनुमत्य दूरी 500 कि.मी. तक ही होगी।

(iv) दुर्गम क्षेत्रों नामतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, 7 पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सभी पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) के द्वितीयक संचलन के लिए विशष प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

(v) उर्वरक संचलन को तटीय जहाजरानी/अंतरदेशीय जलमार्ग माध्यम के साथ ही ऐसे सड़क संचलन की अनुमति है जोकि गंतव्य जिला में रेक प्वाइंट तक तटीय संचलन/अंतर्देशीय जलमार्ग संचलन का अनुसरण करते हैं, जिससे वे प्राथमिक संचलन के तहत मालभाडा सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के पात्र हो जाते हैं।

अब, 1.9.2022 से सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) को प्रायोगिक आधार पर खरीफ 2022 हेतु मालभाड़ा सब्सिडी प्रणाली के तहत शामिल कर लिया गया है।

i. मालभाड़ा सब्सिडी केवल उन्हीं इकाइयों को अनुमत्य होगी, जिनकी आपूर्ति योजना उर्वरक विभाग द्वारा जारी की गई है।

ii. एसएसपी के केवल 200 किलोमीटर से अधिक संचलन पर मालभाड़ा राजसहायता अनुमत्य है।

iii. रेल मालभाड़ा 200 किलोमीटर से अधिक वास्तविक आधार पर अनुमत्य होगा।

200 किलोमीटर से अधिक तथा 500 किलोमीटर तक रेल संचलन की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर अथवा निम्नलिखित स्लैब पर, इनमें से जो भी कम हो, अनुमत्य होगी:–

संचलन (किलोमीटर)	प्रति एमटी रु. दर
0-200	सब्सिडी नहीं
201-300	316
301-400	407
401-500 (अधिकतम)	500

I. जिले में गंतव्य रेक प्वाइंट से ब्लॉक मुख्यालय तक सड़क द्वारा द्वितीयक संचलन के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

ii. राज्य कृषि विभाग अथवा किसी प्रत्यायित प्रयोगशाला द्वारा जारी गुणवत्ता प्रमाण पत्र (बी–2) पर आधारित एसएसपी नमूनों के फेल हो जाने की स्थिति में भुगतान की गई मालभाड़ा सब्सिडी की जुर्माना ब्याज सहित रिकवरी बाद के बिलों से की जाएगी।

iii. उपर्युक्त नीति के किसी भी दुरूपयोग पर उर्वरक विभाग द्वारा कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा लिया गया निर्णय एसएसपी विनिर्माताओं/एग्रीग्रेटर पर बाध्यकारी होगा।

iv. उपर्युक्त के संबंध में सभी विवादों का निपटारा दिल्ली के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा।

v. दुर्गम क्षेत्रों नामतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, 7 पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सभी पीएण्डके उर्वरकों के द्वितीयक मालभाड़ा हेतु विशेष प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। इन दुर्गम राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों हेतु विशेष क्षतिपूर्ति हेतु दरों को उर्वरक विभाग के दिनांक 23.07.2012 के दिशा–निर्देशों के द्वारा शासित किया जाएगा।

*****

अध्याय–6

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.1 फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)

1. संक्षिप्त अवलोकनः

फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की सिंदरी (झारखंड), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रामागुंडम (तेलंगाना) और तालचेर (ओडिशा) और कोरबा परियोजना (छत्तीसगढ़) में पांच इकाइयां हैं।

इकाइयों के प्रचालनों को बंद करनाः

भारत सरकार (जीओआई) ने सितम्बर, 2002 में एफसीआईएल के प्रचालनों को बंद करने तथा उसके सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीएसएस) के अंतर्गत कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया। इन इकाइयों में विशाल भूमि बैंक, रिहायशी क्वार्टर और कार्यालय भवन, रेलवे साइडिंग, विद्युत और जल संबंधित स्रोत जैसी विशाल बुनियादी सुविधाएं हैं।

एफसीआईएल की बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों को पुनर्जीवित करनाः

एफसीआईएल के पास उपलब्ध पूर्ण विकसित बुनियादी ढांचे और उर्वरकों की मांग पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने अक्तूबर, 2008 में एफसीआईएल की बंद पड़ी इकाइयों को पुनर्जीवित करने संबंधी सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन किया था।

ईसीओएस की सिफारिशों पर, सीसीईए ने 04.08.2011 को गोरखपुर और कोरबा इकाइयों को 'बोली प्रक्रिया' के माध्यम से और रामागुंडम, तालचेर और सिंदरी इकाइयों का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भूमि उपयोग और बुनियादी ढांचे के बदले एफसीआईएल को न्यूनतम 11% साम्या प्रदान करके 'नामांकन आधार पर पुनर्जीवित करने की मंजूरी दी।

इकाइयों का शीघ्र पुनर्जीवन सुनिश्चित करने के लिए सीसीईए ने दिनांक 09.05.2013 को भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने का अनुमोदन किया ताकि एफसीआईएल का निवल मूल्य सकारात्मक हो सके। बाद में, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने दिनांक 27.06.2013 को एफसीआईएल को अपने क्षेत्राधिकार से विपंजीकृत कर दिया। वर्तमान में, एफसीआईएल के पास एक कर्मचारी है।

विजन/मिशनः

बंद पड़ी चार इकाइयों नामतः सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम और तालचेर में से प्रत्येक में 12.7 लाख एमटीपीए यूरिया की स्थापना करके देश में घरेलू यूरिया की उपलब्धता में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एफसीआईएल की अनुमोदित इकाइयों को पुनर्जीवित करना।

2. औद्योगिक/व्यावसायिक प्रचालन (पिछले वर्ष और चालू वर्ष के अनुमान):

2.1 वित्तीय निष्पादनः

(रुपये करोड़ में)

पैरामीटर	2022-23	2023-24
अन्य आय	71.76	64.47
कर पूर्व लाभ	58.78	50.90
कर पश्चात लाभ	46.82	37.85

3. कार्य निष्पादन विशेषताएंः

3.1 उत्पादन निष्पादनः

क) रामागुंडम इकाई (एफसीआईएल के संयुक्त उद्यम–आरएफसीएल द्वारा उत्पादन):

(एलएमटी में)

उत्पाद	2022-23	2023-24
यूरिया	8.40	11.14
अमोनिया	5.00	6.38

ख) गोरखपुर इकाई (एफसीआईएल के संयुक्त उद्यम–एचयूआरएल द्वारा उत्पादन)

(एलएमटी में)

उत्पाद	2022-23	2023-24
यूरिया	8.66	13.50
अमोनिया	5.00	7.68

ग) सिंदरी इकाई (एफसीआईएल के संयुक्त उद्यम एचयूआरएल द्वारा उत्पादन)

(एलएमटी में)

उत्पाद	2022-23	2023-24
यूरिया	1.74	11.44
अमोनिया	1.13	6.60

3.2 नए निवेश/परियोजनाएंः नामित पीएसयू के संयुक्त उद्यमों द्वारा इकाइयों की भूमि और बुनियादी ढांचे का उपयोग किया गया है। एफसीआईएल को दीर्घावधि पट्टा करारों के अनुसार उनके द्वारा उपयोग की जा रही अवसंरचना और भूमि के बदले 11% साम्या (टीएफएल को छोड़कर, जहां साम्या 4.45% है) प्रदान की गई है।

4. संयुक्त उद्यम (आरएफसीएल, एचयूआरएल और टीएफएल) द्वारा कंपनी की बंद इकाइयों को पुनर्जीवित करने संबंधी प्रगति

4.1. रामागुंडम इकाई:

- नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामतः ईआईएल, एनएफएल और एफसीआईएल द्वारा 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ गैस आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी को निगमित किया गया है।
- एफसीआईएल को भूमि उपयोग, उपयोग योग्य परिसम्पत्तियों और अवसर लागत उपलब्ध कराने के बदले में 11% साम्या दी गई है।
- एफसीआईएल के साथ रियायत समझौते, पट्टा समझौते और प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- आरएफसीएल ने 22.03.2021 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

4.2 सिंदरी और गोरखपुर इकाइयाँ:

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13.07.2016 को नामित पीएसयू नामतः एनटीपीसी, सीआईएल और आईओसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के गैस आधारित प्रत्येक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए एफसीआईएल की सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया।
- एफसीआईएल और एचएफसीएल भी संयुक्त उद्यम के भागीदार होंगे, जिन्हें भूमि उपयोग, उपयोग योग्य परिसंपत्तियों और अवसर लागत के बदले प्रत्येक परियोजना में 10.99% साम्या प्राप्त होगी।
- मंत्रिमंडल ने पुनर्जीवन संबंधी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का भी गठन किया। इकाइयों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 'हिंदुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)' के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी को निगमित किया गया था।
- एफसीआईएल के साथ रियायत करार, पट्टा करार और प्रतिस्थापन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गोरखपुर और सिंदरी संयंत्रों में क्रमशः 03.05.2022 और 15.04.2023 को व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है।

4.3 तालचेर इकाई:

- सार्वजनिक क्षेत्र के नामित उपक्रमों नामतः आरसीएफ, गेल, सीआईएल और एफसीआईएल द्वारा 12.7 लाख मी. टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई है।
- एफसीआईएल को भूमि उपयोग, उपयोग योग्य परिसम्पत्तियां और अवसर लागत उपलब्ध कराने के बदले में 4.45% साम्या दी गई है। परियोजना संबंधी कार्य प्रगति पर है।
- परियोजना–पूर्व कार्यकलाप पूरे कर लिए गए हैं। विभिन्न एलएसटीके और गैर–एलएसटीके संविदा फर्मों द्वारा परियोजना कार्यकलाप प्रगति पर हैं।
- वर्तमान में, चल रहे निर्माण कार्य में 21 फर्म लगी हुई हैं। इस बीच, मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के साथ

कोयला लिंकेज को अंतिम रूप दे दिया गया है।

- एफसीआईएल और टीएफएल के बीच रियायत समझौते और प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) द्वारा विधिवत रूप से है।
- 31.03.2024 तक तालचेर उर्वरक संयंत्र की वास्तविक प्रगति 58.10% है।

6.2 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)

1. संक्षिप्त अवलोकनः

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), एक 'नवरत्न' कंपनी, 23 अगस्त, 1974 को निगमित की गई थी और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। इसकी अधिकृत पूंजी ₹1000 करोड़ और प्रदत पूंजी ₹490.58 करोड़ है, जिसमें से भारत सरकार की हिस्सेदारी 74.71% है और 25.29% वित्तीय संस्थानों और अन्य के पास है।

एनएफएल के पास पांच गैस आधारित अमोनिया–यूरिया संयंत्र हैं। पंजाब में नंगल और बठिंडा संयंत्र, हरियाणा में पानीपत संयंत्र और मध्य प्रदेश के विजयपुर, जिला गुना में दो संयंत्र। कंपनी की वर्तमान में कुल वार्षिक स्थापित क्षमता 35.68 एलएमटी है और यह देश में यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी देश में कुल यूरिया उत्पादन में लगभग 14% हिस्सेदारी है।

यूरिया के निर्माण के अलावा, कंपनी जैव–उर्वरक के पांच प्रकार (अर्थात्, एज़ोटोबैक्टर, राइजोबियम, फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया (पीएसबी), जिंक घुलनशील बैक्टीरिया (जेडएसबी) और पोटेशियम घुलनशील बैक्टीरिया (केएसबी)), बेंटोनाइट सल्फर (मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए जोड़ा गया एक बहु मूल्य उत्पाद), का भी उत्पादन करती है, और अपने प्रमुख बीज गुणन कार्यक्रम के तहत नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्राइट और प्रमाणित बीज जैसे विभिन्न औद्योगिक रसायन शामिल किए गए।

विनिर्माण के अलावा, एनएफएल विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे आयातित उर्वरक, प्रमाणित बीज, कृषि रसायन, शहरी खाद, पानी में घुलनशील उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व और शीरे से प्राप्त पोटाश आदि के व्यापार में भी लगा हुआ है।

एनएफएल अब एक बहु–उत्पाद कंपनी है, जो गैर–सब्सिडी वाले उत्पादों के लिए "किसान" के रूप में बाजार में लोकप्रिय ब्रांड नाम के तहत अखिल भारतीय उपस्थिति रखती है। एनएफएल को डीपीई के ओएम दिनांक 18.04.2024 के माध्यम से "नवरत्न का दर्जा" प्रदान किया गया है।

2. विज़न / मिशनः

एनएफएल का विज़न है "सभी हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ उर्वरक और उससे आगे की अग्रणी भारतीय कंपनी बनना"।

मिशन है "उर्वरक और अन्य उत्पादों और सेवाओं की समय पर आपूर्ति के माध्यम से कृषक समुदाय और अन्य ग्राहकों को उनकी संतुष्टि के लिए सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध एक गतिशील संगठन बनना, पारिस्थितिकी की चिंता और हितधारकों को अधिकतम रिटर्न देने के साथ "गुणवत्ता, सुरक्षा, नैतिकता, व्यावसायिकता और ऊर्जा संरक्षण में उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना।"

3. औद्योगिक/व्यावसायिक प्रचालन:

3.1 वास्तविक कार्य निष्पादन:

उत्पादन	इकाई	वार्षिक पुनर्आकलित स्थापित क्षमता	2022-23		2023-24	
			उत्पादन	पुनर्आकलित/ स्थापित क्षमता के संदर्भ में क्षमता उपयोग (%)	मार्च 2024 तक वास्तविक उत्पादन	पुनर्आकलित/ स्थापित क्षमता के संदर्भ में क्षमता उपयोग (%)
यूरिया	एलएमटी	35.68*	39.35	121.79	36.89	114.18
जैव उर्वरक	एमटी	700	654	93.43	661	94.43
बेंटोनाइट सल्फर	एमटी	25000	22302	89.21	20237	80.95
नाइट्रिक एसिड	एमटी	91400#	103102	112.80	120817	132.18
अमोनियम नाइट्रेट (एएन)	एमटी	118800@	26045	21.92	40510	34.10
सोडियम नाइट्रेट	एमटी	1980	1191	60.15	1222	61.72
सोडियम नाइट्रेट	एमटी	2970	1933	65.08	2520	84.85
प्रमाणित बीज - एसएमपी के तहत	क्विंटल	92000	234423	254.81	35689	38.79
कृषि रसायन (बठिंडा)$	(केएल/ एमटी)	3306	-	-	-	-

*पुनर्आकलित क्षमता: *32.31* एलएमटी. 2012-13 के दौरान विजयपुर-I और II में क्षमता वृद्धि परियोजनाओं के पूरा होने के बाद स्थापित क्षमता बढ़कर 35.68 एलएमटी हो गई।

#दो स्ट्रीम के लिए 182800 मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता।

@दो स्ट्रीम के लिए स्थापित क्षमता 237600 मीट्रिक टन है, तथापि, वर्तमान में केवल एक स्ट्रीम परिचालन में है।

$ बठिंडा में एग्रोकेमिकल्स प्लांट के शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है।

3.2 बिक्री निष्पादन:

विपणन/बिक्री	बिक्री (2022-23)	बिक्री (2023-24)
स्वयं उत्पादित		
यूरिया (एल.एम.टी)	39.96	36.66
जैव उर्वरक(एम.टी)	700	558
बेंटोनाइट सल्फर(एम.टी)	20910	20568

नाइट्रिक एसिड(एम.टी)	82095	88280
अमोनियम नाइट्रेट (एम.टी)	26038	40454
सोडियम नाइट्रेट(एम.टी)	1188	1219
सोडियम नाइट्रेट (एम.टी)	1927	2522
आरएफसीएल यूरिया (एल.एम.टी)	8.39	11.08
आयातित उर्वरक		
डीएपी (एल.एम.टी)	9.72	9.99
एमओपी(एल.एम.टी)	-	0.71
एनपीके(एलएमटी)	1.11	2.34
एपीएस एल.एम.टी)	**1.34**	**2.78**
कुल	12.17	15.82
यूरिया सरकारी खाता (एल.एम.टी)	5.36	5.46
एसएसपी (एम.टी)	17671	-
कम्पोस्ट (एम.टी)	**22071**	**19129**
पानी में घुलनशील उर्वरक (एम.टी)	2455	818
पोटाश, शीरे से प्राप्त (एम.टी)	19833	23810
खमीरीकृत जैविक खाद (एम.टी)	-	125
नैनो यूरिया (लीटर)	-	75084
बीज (क्विंटल)		
एसएमपी के तहत खुद के बीज	160334	223797
कृषि रसायन (किलोग्राम/लीटर) (केवल व्यापार)	2213.76	2532.99

3.3 वित्तीय कार्य निष्पादन :

(करोड़ रुपये में)

मद	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
संचालन से राजस्व	29616.52	23560.31
कर पूर्व लाभ	609.77	88.52
कर पश्चात लाभ	**456.10**	**64.74**

4. वर्ष 2023–24 के लिए एनएफएल के कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताएं:

1. सभी उर्वरकों की अब तक की सर्वाधिक बिक्री 69.73 लाख मीट्रिक टन।
2. 15.83 एलएमटी के आयाति पीएंडके उर्वरकों की अब तक की सबसे अधिक बिक्री।
3. नाइट्रिक एसिड और अमोनियम नाइट्रेट की क्रमशः88280 मीट्रिक टन और 40454 मीट्रिक टन की अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री।
4. वर्ष 2023–24 के दौरान, 75084 लीटर के साथ नैनो–यूरिया तरल उर्वरक की बिक्री शुरू की गई।

5. नये निवेश/परियोजनाएं:

5.1 क्रियान्वित:

क) संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी, मेसर्स आरएफसीएल के माध्यम से रामागुंडम संयंत्र को पुर्नजीवित करना :

मेसर्स ईआईएल और मेसर्स एफसीआईएल के सहयोग से एक संयुक्त उद्यम कंपनी, तेलंगाना राज्य के रामागुंडम में पुराने एफ. सी.आइ.एल संयंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई, जिसकी संशोधित अनुमानित लागत 6338.16 करोड़ रुपये (संशोधित लागत) और वार्षिक यूरिया क्षमता 12.71 एलएमटी है। इस संयुक्त उद्यम में साम्य भागीदारी मेसर्स एनएफएल और मेसर्स ईआईएल प्रत्येक की 26% और मेसर्स एफसीआइएल की 11% और अन्य की 37% (तेलंगाना सरकार–11%, मेसर्स गेल–14.3% और एचटी रामागुंडम–3.90%, डेनिश एग्रीबिजनेस फंड– 3.90% और आईएफयू – 3.90%) है। परियोजना 22.03.2021 को चालू की गई।

एन.एफ.एल को आर.एफ.सी.एल द्वारा उत्पादित यूरिया का 100% विपणन करने के लिए अधिदेशित किया गया है। 2023–24 के दौरान एनएफएल द्वारा 11.08 लाख मीट्रिक टन आरएफसीएल यूरिया बेचा गया।

ख) एनयूपी–2015 के तहत निर्धारित नए ऊर्जा मानदंडों को पूरा करने के लिए, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 में 675 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ पानीपत, बठिंडा और नांगल इकाइयों में हीट रिकवरी स्टीम जनरेशन (एच.आर.एस.जी) इकाई के साथ गैस टरबाइन जनरेटर चालू किए हैं।

ग) वर्ष 2021–22 के दौरान 235 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विजयपुर I और II इकाइयों में ऊर्जा कटौती योजनाएं कार्यान्वित की गईं।

घ) एनएफएल ने बठिंडा, पानीपत और इंदौर में तीन बीज प्रसंस्करण इकाइयाँ चालू की हैं। एनएफएल अपने प्रमुख बीज गुणन कार्यक्रम के तहत उगाए जाने वाले और काटे जाने वाले बीजों का प्रसंस्करण करेगा, जिसे अन्यथा तीसरे पक्ष को आउटसोर्सिंग के माध्यम से संसाधित किया जा रहा था। सभी 3 संयंत्रों के चालू होने के बाद कंपनी की कुल बीज प्रसंस्करण क्षमता 1.20 लाख क्विंटल है।

ङ) नांगल में नाइट्रिक एसिड संयंत्र की दूसरी स्ट्रीम अक्टूबर 2022 के महीने में पुनर्जीवित की गयी।

5.2 चल रही योजनाएँ:

क) कृषि–रसायन व्यवसाय में आत्मनिर्भर होने के लिए, एनएफएल बठिंडा में कृषि–रसायन विनिर्माण सुविधाएं स्थापित कर रहा है, परियोजना की कुल पूंजीगत लागत लगभग 12.57 करोड़ रुपये है। इस प्लांट के जून 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।

ख) पानीपत में 5000 मीट्रिक टन/वर्ष क्षमता का सल्फर कोटेड यूरिया (यूरिया गोल्ड) पायलट प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

ग) विजयपुर में जैव–उर्वरक संयंत्र की क्षमता को 700 मीट्रिक टन से दुगना 1400 मीट्रिक टन प्रति वर्ष किया जाएगा।

घ) एनएफएल उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ नैनो उर्वरक के उत्पादन की प्रक्रिया में है।

5.3 परिकल्पित :

निम्नलिखित संयंत्रों की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है:

क) एनएफएल, विजयपुर में बेंटोनाइट सल्फर (बीएस) संयंत्र।

ख) एनएफएल पानीपत में डीजल निकास द्रव (डीईएफ) संयंत्र।

ग) एनएफएल विजयपुर में जल घुलनशील उर्वरक (डब्ल्यूएसएफ) और सूक्ष्म पोषक तत्व (एमएन) संयंत्र।

5.4 रूग्ण/कमजोर इकाइयों को पुनर्जीवित करना स्थिति/कार्य योजना

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एनएफएल ने पहले ही संयुक्त उद्यम इकाई अर्थात रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) के माध्यम से रामागुंडम में एफसीआईएल के बंद यूरिया संयंत्र को पुनर्जीवित किया है, जिसे मार्च 2021 में चालू किया गया था। **आरएफसीएल संयंत्र 12.11.2022 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।**

6. मानव संसाधन प्रबंधन:

6.1 जनशक्ति:

ग्रुप	कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी/एसटी/ओबीसी/एक्सएसएम/पीडब्ल्यूबीडी की संख्या				
		एससी	एसटी	ओबीसी	एक्सएसएम*	पीडब्ल्यूबीडी**
ए	1245	229	55	180	1	6
बी (अधिकारी)	117	33	10	9	0	5
बी (कामगार)	796	192	36	101	2	8
सी	519	83	34	166	15	27
डी	42	10	1	17	2	1
डी (सफाई सेवक)	20	20	0	0	0	0
कुल	**2739**	**567**	**136**	**473**	**20**	**47**

* एक्सएसएम – *भूतपूर्व सैनिक* ** पीडब्ल्यूबीडी - *बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति*

6.2 शिकायत निवारण:

कर्मचारियों के लिए एक "शिकायत निवारण प्रकोष्ठ" एनएफएल, कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी इकाइयों में कार्यरत है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से शिकायतों के पंजीकरण के लिए, प्रत्येक ग्राहक/उपभोक्ता http://pgportal.gov.in पर CPGRAMS के माध्यम से अपनी शिकायतें अपलोड कर सकते हैं या एन.एफ.एल वेबसाइट www.nationalfertilizers.com पर हमारे फीडबैक सैक्शन में अपना फीडबैक ऑनलाइन दे सकते हैं। 2023–24 के दौरान, 36 शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका समाधान किया गया।

6.3 अल्पसंख्यकों का कल्याण: एनएफएल सभी समुदायों की समानता में विश्वास करता है और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण पर सभी सरकारी नियमों का पालन करता है, जैसे साक्षात्कार बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व।

6.4 महिलाओं का कल्याण, विकास और सशक्तिकरण:

एन.एफ.एल के कुल कर्मचारियों में महिला कर्मचारियों की संख्या 7% है। एन.एफ.एल ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण की सुविधा के लिए पर्याप्त उपाय अपनाए हैं। किसी भी तरह की लैंगिक असमानता का कोई उदाहरण नहीं है और पुरुष और महिला दोनों कर्मचारी समान अधिकारों का आनंद ले रहे हैं। काम का माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण है।

इसके अलावा, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए सभी इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में आंतरिक शिकायत समितियां गठित की गई हैं। एनएफएल कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम और स्थायी आदेशों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को 'दुराचार' के रूप में शामिल किया गया है।

6.5 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण:

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एनएफएल की सभी इकाइयों/ कार्यालयों में एक कार्यान्वयन प्रकोष्ठ पहले से ही कार्यरत है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण और उन्हें स्वीकार्य अन्य रियायतों से संबंधित आदेशों और निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक इकाई/कार्यालय में संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। संपर्क अधिकारी आम तौर पर मध्यम/वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के होते हैं।

6.6 प्रशिक्षण:

- 2023–24 के दौरान एन.एफ.एल के कर्मचारियों को 12483 मानव दिवस प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से 1250 मानव दिवस प्रशिक्षण महिला कर्मचारियों को दिया गया, अर्थात प्रत्येक कर्मचारी को 9.9 मानव दिवस प्रशिक्षण दिया गया।

- वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एन.एफ.एल ने एनएफएल संयंत्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में आंतरिक और बाहरी संकाय के माध्यम से कर्मचारियों को 450 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए हैं।

- कर्मचारियों को एफएआई, एससीओपीई, आईएमए, एएससीआई, एजेएनआईएफएम, आईसीएसआई, सीआईआई, आईएसटीएम और एनएएचआरडी जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित 100 बाहरी कार्यक्रमों और वेबिनार में नामांकित किया गया।

7. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास

7.1 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

- एनएफएल समाज में समावेशी विकास की दिशा में लगातार काम कर रहा है और अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को लागू कर रहा है।

- एनएफएल ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 140.00 लाख रुपये का सीएसआर बजट आवंटित किया और वर्ष के दौरान 174.42 लाख रुपये का व्यय किया। इसमें पिछले वर्षों में स्वीकृत लेकिन वर्ष 2022–23 में आगे बढ़ाई गई स्कीमों पर व्यय शामिल है।

- वर्ष 2022–23 में एनएफएल की सीएसआर गतिविधियों का फोकस सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा दिए गए थीम अर्थात स्वास्थ्य और पोषण पर था। निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी ने दिल्ली–एनसीआर की मलिन बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आवश्यक चयापचय संबंधी जांच के लिए एक मोबाइल डिजिटल स्वास्थ्य क्लिनिक चलाने की परियोजना शुरू की। इसके अलावा, एनएफएल ने आंध्र प्रदेश में समाज के कमज़ोर वर्ग के श्रवण बाधित व्यक्तियों को डिजिटल प्रोग्रामेबल हियरिंग एड्स प्रदान किए।

- एनएफएल ने आकांक्षी जिला गुना में "गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम" के माध्यम से सरकारी स्कूली बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ाने के उद्देश्य से एक परियोजना शुरू की। इस पहल के तहत, पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूली बच्चों को प्रतिदिन 200 एमएल फोर्टिफाइड, फ्लेवर्ड और स्टरलाइज्ड दूध की आपूर्ति की जाती है।

- एनएफएल ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में एचआईएल के लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) भी वितरित किए। ये मच्छरदानियाँ वेक्टर जनित बीमारियों को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में मदद करेंगी।

- इसके अलावा, एनएफएल ने समाज के वंचित वर्ग के छात्रों के बीच स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं भी शुरू की हैं। एनएफएल ने नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देने और पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए दिल्ली के नज़दीक दूरदराज के गांवों के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को शैक्षिक सामग्री वितरित की है।

- एनएफएल ने अपने संयंत्रों के आसपास के सरकारी स्कूलों को स्कूल डेस्क और बेंच, आईटी सक्षम स्मार्ट बोर्ड, आरओ जल सुविधाएं आदि के प्रावधान के साथ समर्थन दिया है। दिव्यांगजनों को जीवन की मुख्यधारा में लाने के लिए, एनएफएल ने चंडीगढ़ में नेत्रहीन छात्रों को ब्रेल मशीनें और विशेष खेल सामग्री प्रदान की हैं।

7.2 सतत विकास:

✓ एन.एफ.एल ने पर्यावरण प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और सामाजिक उत्थान के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में विभिन्न पहल की हैं जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिला है।

✓ एनएफएल संयंत्रों में फीड और ईंधन के रूप में स्वच्छ और हरित ईंधन अर्थात प्राकृतिक गैस का उपयोग। एनएफएल द्वारा इस दिशा में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों में से एक है नांगल, पानीपत और बठिंडा में अपने सभी ईंधन तेल फीडस्टॉक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस (एनजी) में बदलना, जो स्वच्छ और ऊर्जा कुशल ईंधन है।

✓ इस पहल से एनएफएल का 100% यूरिया उत्पादन अब फीडस्टॉक के रूप में गैस पर आधारित है। इसके अलावा, विशिष्ट ऊर्जा खपत में भी 20% से अधिक की कमी आई है।

✓ एनएफएल ने पानीपत, बठिंडा और नांगल में कोयले से चलने वाले बॉयलरों में सहायक ईंधन के रूप में ईंधन तेल की जगह प्राकृतिक गैस का उपयोग किया है। इससे ईंधन तेल का उपयोग समाप्त हो गया है और साथ ही विश्वसनीयता में सुधार हुआ है और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई है।

✓ एनएफएल वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थित निर्माताओं से प्राप्त 19129 मीट्रिक टन शहरी खाद की बिक्री करके भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के सपने के लिए प्रतिबद्ध है।

8. प्रदर्शन सुधारने के लिए पहलें :

✓ आयातित यूरिया का बंदरगाह प्रबंधन।

✓ आरएफसीएल यूरिया का विपणन

✓ कृषि रसायनों के नए अणुओं का व्यापार।

✓ जिंक घुलनशील बैक्टीरिया आधारित जैव–उर्वरकों का उत्पादन और बिक्री।

✓ जल में घुलनशील उर्वरकों (डब्ल्यूएसएफ) और सूक्ष्म पोषक तत्वों की बिक्री।

✓ शीरे से प्राप्त पोटाश (पी.डी.एम) की बिक्री।

✓ नैनो यूरिया (तरल) उर्वरकों की बिक्री।

✓ किण्वित जैविक खाद (एफओएम) की बिक्री।

✓ अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए पालमपुर विश्वविद्यालय में एनएफएल चेयर की स्थापना की गई।

✓ सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कृषक समुदाय की सहायता के लिए एनएफएल द्वारा 5 कृषि ड्रोन खरीदे गए ।

एन.एफ एल की प्रमुख गतिविधियों / कार्यक्रम और संयंत्र

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन में एनएफएल के मॉडल पीएमकेएस के का दौरा किया। इस कार्यक्रम में रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और एनएफएल के सीएमडी श्री यू. सरवनन भी मौजूद थे।

श्री रजत कुमार मिश्रा, सचिव (उर्वरक) किसानों को कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते हुए। इस अवसर पर एनएफएल के सीएमडी श्री यू. सरवनन भी उपस्थित थे।

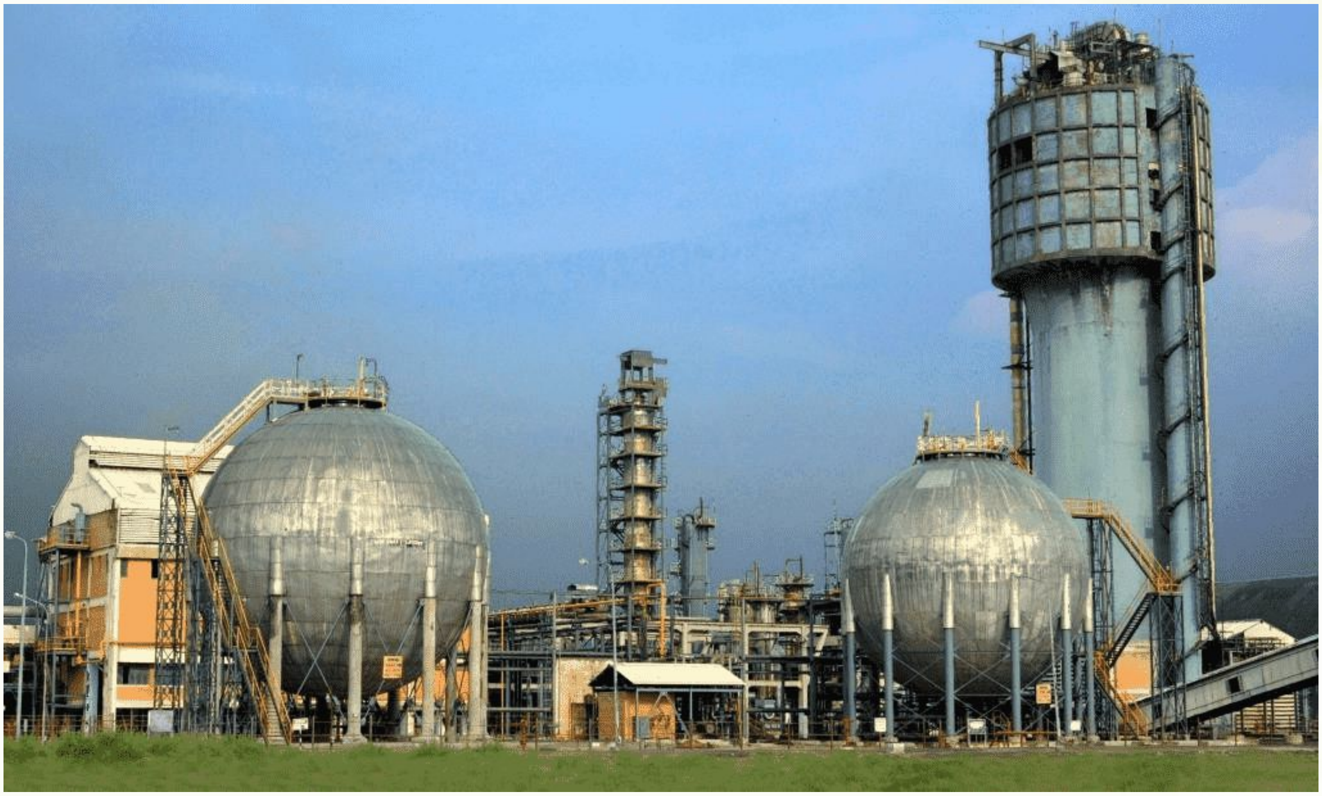

एन एफ एल पानीपत संयंत्र

एन एफ एल बठिंडा संयंत्र

एन एफ एल नांगल संयंत्र

एन एफ एल विजयपुर संयंत्र

6.3 राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ):

1. संक्षिप्त अवलोकन:

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) को तत्कालीन फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ़सीआई) के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 6 मार्च 1978 को एक अलग कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। आरसीएफ की अधिकृत शेयर पूंजी ₹800 करोड़ और सब्सक्राइब्ड और प्रदत्त पूंजी ₹551.69 करोड़ है। आरसीएफ में सरकार की हिस्सेदारी 75% है। अपनी स्थापना के समय, आरसीएफ की ट्रॉम्बे में केवल एक ही इकाई थी। 1985 में, आरसीएफ की एक और यूनिट थल में स्थापित की गई, जो ट्रॉम्बे से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। आरसीएफ के पोर्टफोलियो में यूरिया, मिश्रित उर्वरक, जैव–उर्वरक, सूक्ष्म पोषकतत्व, 100% पानी में घुलनशील उर्वरक और कई तरह के औद्योगिक रसायन जैसे कई उत्पाद शामिल हैं।

भारत सरकार ने 29 अगस्त, 2023 को राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को "नवरत्न" का दर्जा दिया है। आरसीएफ उर्वरक क्षेत्र में ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम है जिसे "नवरत्न" श्रेणी में पदोन्नत किया गया है।

2. विजन, मिशन और वेल्यू स्टेटमेंट:

❖ **विजन:** भारतीय बाजार में प्रमुख स्थान प्राप्त करने के साथ उर्वरकों और रसायनों के क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय कार्पोरेट बनना, संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, पर्यावरण का उचित ध्यान रखना और हितधारकों के मूल्य को बढ़ाकर अधिकतम करना।

❖ **मिशन:** विश्वसनीय, नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से उर्वरकों और रसायनों का विनिर्माण और बिक्री द्वारा हितधारक मूल्य को अधिकतम करने पर ध्यान देने के साथ–साथ व्यावसायिक उत्कृष्टता के माध्यम से तेजी से विकास करना।

❖ **वेल्यू स्टेटमेंट:** आरसीएफ हमारी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए, परिणाम प्रदान करते हुए और उच्चतम गुणवत्ता के लिए प्रयास करते हुए, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता और हितधारकों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ व्यवसाय के सभी पहलुओं पर कार्य करेगा।

3. औद्योगिक/व्यावसायिक प्रचालन:

3.1 वास्तविक निष्पादन :

उत्पादन	संस्थापित क्षमता (एमटीपीए)	2022-23		2023-24	
		उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)	उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)
यूरिया (ट्रॉम्बे यूनिट)	3,30,000 *	3,16,208	95.82	3,35,363	101.62

यूरिया (थल यूनिट)	17,06, 760 *	18,80,002	110.15	18,42,200	107.93
कुल नीम यूरिया	20,36,760	21,96,210	107.83	21,77,563	106.91
मिश्रित उर्वरक (एनपीके)					
सुफला (15:15:15)	4,20,000	6,38,218	151.96	5,77,400	137.48

* पुनर्आकलित उत्पादन क्षमता। क्षमता उपयोग की गणना यूरिया संयंत्रों की पुनर्आकलित उत्पादन क्षमता के आधार पर की जाती है।

आरसीएफ जैव–उर्वरकों (बायोला), सूक्ष्म पोषकतत्वों और 100% पानी में घुलनशील उर्वरक का भी उत्पादन करता है। वर्ष 2023–24 में 101.30 किलोलीटर बायोला, 316.61 किलोलीटर माइक्रोला तथा 3068 मीट्रिक टन 100% पानी में घुलनशील उर्वरक (सुजला) का उत्पादन किया गया। आरसीएफ ने 9.94 किलोलीटर ऑर्गेनिक ग्रोथ स्टिमुलेंट तथा 11.40 किलोलीटर वाटर पीएच बैलेंसर का भी उत्पादन किया। इन विशेष उर्वरकों का उत्पादन बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है।

उर्वरकों के अतिरिक्त, आरसीएफ मेथनॉल, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अमोनियम बाइकार्बोनेट, डाइमिथाइल एसिटामाइड, अमोनियम नाइट्रेट, मिथाइल अमाइन, अरगॉन, आदि जैसे कई औद्योगिक उत्पादों का भी उत्पादन करता है।

3.2 बिक्री निष्पादनः

विपणन	इकाई	बिक्री (2022-23)	बिक्री (2023-24)
यूरिया	एलएमटी	22.09	21.57
सुफला (15:15:15)	एलएमटी	6.10	5.60
उर्वरकों का व्यापार (डीएपी, एमओपी, आयातित एनपीके, सिटी कम्पोस्ट आदि)	एलएमटी	4.85	8.80
बायोला	केएल	151	122
माइक्रोला	केएल	352	312
सुजला (100% जल में घुलनशील उर्वरक)	एमटी	4,247	3,136

3.3 वित्तीय निष्पादनः

मापदंड	2022-23	2023-24
कुल आय (करोड़ रुपये में)	21,594.84	17,146.74
कर पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	1,273.98	303.63
कर के बाद लाभ (करोड़ रुपये में)	967.15	227.74

4 प्रदर्शन की मुख्य बातें:

4.1 वर्ष 2023–24 में प्रदर्शन की मुख्य बातें:

4.1.1 लॉन्च किए गए नए उत्पादः

- **यूरिया गोल्डः** लगभग 50–70% अतिरिक्त यूरिया पर्यावरण में नष्ट हो जाता है। यूरिया पर सल्फर की परत का उपयोग नाइट्रोजन की धीमी गति से रिलीज में मदद कर सकता है और नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में सुधार करने में योगदान कर सकता है। अनुसंधान और विकास विभाग ने इन–हाउस नवाचारो के माध्यम से यूरिया गोल्ड नामक सल्फर लेपित यूरिया (एससीयू) को सफलतापूर्वक तैयार किया है। उर्वरक के धीमी गति से रिलीज होने से पारंपरिक उर्वरक की अनुशंसित दर के उर्वरक के इस्तेमाल को संभावित रूप से 20 से 30 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है जबकि उपज उतनी ही प्राप्त हो जाती है। यूरिया गोल्ड को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2023 को राजस्थान के सीकर में एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया। वर्ष 2023–24 में 3706 मीट्रिक टन यूरिया गोल्ड का उत्पादन किया गया है।

- **जैविक उर्वरक प्रोमः** "आत्मनिर्भर भारत" के राष्ट्रीय विजन को ध्यान में रखते हुए तथा जैविक उर्वरकों की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए, आरसीएफ ने नवंबर 2023 में ट्रॉम्बे यूनिट में 18,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता का प्रोम प्लांट स्थापित किया है। रॉक फॉस्फेट की को–कम्पोस्टिंग द्वारा प्रोम उत्पादित किया जाता है तथा यह रासायनिक उर्वरकों की तुलना में मिट्टी में फास्फोरस मिलाने का एक कुशल तरीका है। प्रोम एक फॉस्फेट युक्त जैविक खाद है जो मिट्टी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में सुधार करता है तथा फसल उत्पादन को बढ़ाता है। यह विभिन्न रोगों के प्रति फसलों की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। अपघटन के दौरान $CO2$ उत्सर्जित होती है तथा मिट्टी की क्षारीयता को कम करने में मदद करती है। वर्ष 2023–24 में 1138.5 मीट्रिक टन प्रोम का उत्पादन किया गया है।

4.1.2 आयातित उत्पादों की अब तक की सबसे अधिक बिक्री: आयातित डीएपी की 5.17 एलएमटी, आयातित 10:26:26 की 1.66 एलएमटी और आयातित 20:20:0:13 की 1.35 एलएमटी बिक्री।

4.1.3 2023–24 में 1,77,086 मीट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट, 2916 मीट्रिक टन ट्राइमेथिलैमाइन और 1578 मीट्रिक टन नाइट्रोजन की उच्चतम वार्षिक बिक्री हासिल की गई।

4.1.4 11 अगस्त 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़सीसी) से ट्रॉम्बे में नैनो यूरिया परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई और 13 दिसंबर, 2023 को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) से स्थापना की सहमति प्राप्त हुई।

4.1.5 आरसीएफ थल में एक नया 1200 एमटीपीडी (डीएपी बेसिस) कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए 2 जनवरी, 2024 को पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी मिल गई है।

4.1.6 'राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' को 17 अक्टूबर, 2019 से 20 साल की अवधि के लिए 'नैनो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन' नामक आविष्कार के लिए एक भारतीय पेटेंट, पेटेंट संख्या 459677 प्रदान किया गया है।

4.1.7 "उर्वरक पर परत लगाने की एक प्रणाली और प्रक्रिया" पर एक भारतीय पेटेंट 19 मार्च 2024 को फाइल किया गया है।

4.1.8 आरसीएफ ट्रॉम्बे यूनिट को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए:

- सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए 21वां वार्षिक ग्रीनटेक सुरक्षा पुरस्कार 2023
- ऊर्जा दक्षता 2022–23 के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023
- पर्यावरण प्रबंधन में ग्रीन एक्सीलेंस अवार्ड 2023
- वर्ष 2023 के लिए ग्रो केयर इंडिया सेफ्टी प्लेटिनम अवार्ड।
- पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 23वां वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2023.
- ग्रो केयर इंडिया द्वारा ओएचएस प्रबंधन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उर्वरक क्षेत्र में सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार।
- इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए "ग्रीनटेक प्रदूषण नियंत्रण अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण (पीसीडब्ल्यूआर) पुरस्कार 2024"

4.2 नए निवेश/परियोजनाएँ:

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएँ:

- **ट्रॉम्बे अमोनिया V संयंत्र सुधार (केबीआर स्कीम):** ट्रॉम्बे यूनिट हेतु नए ऊर्जा मानदंडों को पूरा करने हेतु ऊर्जा सुधार योजनाओं के एक भाग के रूप में अमोनिया–V सुधार परियोजना लागू की जा

रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹101.88 करोड़ है। बेसिक इंजीनियरिंग मेसर्स केबीआर द्वारा की जा रही है और डिटेल इंजीनियरिंग पीडीआईएल द्वारा की जा रही है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप 0.18 जीकैल/एमटी अमोनिया की ऊर्जा बचत की परिकल्पना की गई है।

- **थल यूनिट में ईटीपी अप–ग्रेडेशन:** 10,000m3/दिन अपशिष्टों के उपचार के लिए मौजूदा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उन्नयन किया जा रहा है, ताकि अपशिष्ट को समुद्र में छोड़े जाने की बजाय उसे संयंत्र में पुनः काम में लेने के लिए पुनर्चक्रित करने के लिए उपचारित अपशिष्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। पहले चरण में, लगभग 5000m3/दिन उपचारित जल का पुनर्चक्रण किया जाएगा। दूसरे चरण में, ''जीरो लिक्विड डिस्चार्ज'' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, शेष अपशिष्ट को पुनर्चक्रित किया जाएगा। पहले चरण के लिए कमीशनिंग गतिविधियाँ शुरू कर दी गई हैं और 30 सितंबर 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

- **ट्रॉम्बे यूनिट में नया अमोनियम नाइट्रेट (एएन) मेल्ट प्लांट:** आरसीएफ नवीनतम तथा ऊर्जा कुशल तकनीक के साथ आरसीएफ ट्रॉम्बे यूनिट में 425 एमटीपीडी का नया एएन मेल्ट प्लांट स्थापित कर रही है।

- **नैनो यूरिया प्लांट:** नैनोटेक्नोलॉजी एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें कुशल पोषकतत्व प्रबंधन प्रदान करने की क्षमता है। नैनो यूरिया से यूरिया के उपयोग में कमी आने की उम्मीद है। आरसीएफ द्वारा ट्रॉम्बे में 75 केएल प्रतिदिन क्षमता का नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

- **थल यूनिट में ब्रिकेट फायर्ड बॉयलर:** कम लागत वाली भाप का उत्पादन करने के उद्देश्य से, आरसीएफ थाल यूनिट में ब्रिकेट फायर्ड बॉयलर स्थापित कर रहा है। इस कम लागत वाली भाप से रसायनों की परिवर्तनीय लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

- **एचटीए द्वारा न्यूनतम ऊर्जा उपयोग के लिए थल अमोनिया में सुधार:** आरसीएफ थल यूनिट में ऊर्जा स्कीमों को लागू करने की संभावना तलाश रहा है। मौजूदा अमोनिया उत्पादन स्तर पर अपेक्षित ऊर्जा बचत 0.4 जीकैल/एमटी अमोनिया है।

- **आरसीएफ थल यूनिट में नई एनपीके परियोजना की स्थापना:** आरसीएफ थल में एनपीके उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है, बशर्ते यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़सीसी) से पर्यावरण मंजूरी 2 जनवरी 2024 को प्राप्त हुई है।

4.3 रुग्ण/कमजोर इकाइयों में सुधार–स्थिति/कार्य योजना:

1. तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड:

(क) रुग्ण उर्वरक इकाइयों में सुधार की स्कीम के तहत, उर्वरक विभाग द्वारा फीडस्टॉक के

रूप में कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से ओडिशा के तालचेर में भारतीय उर्वरक निगम (एफ़सीआई) यूनिट को पुनर्जीवित करने के लिए तीन भागीदारों में से एक के रूप में आरसीएफ को नामित किया गया है। उत्पादन क्षमता में अमोनिया संयंत्र के लिए 2200 एमटीपीडी और यूरिया संयंत्र के लिए 3850 एमटीपीडी शामिल हैं।

(ख) यह परियोजना देश के लिए ख़ास महत्व की है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस की जगह पर घरेलू स्रोतों से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कोयले के रूप में फीडस्टॉक के वैकल्पिक स्रोत की तलाश करना है। इस परियोजना की सफलता से आमूल–चूल परिवर्तन होने की उम्मीद है तथा कोयले से रसायन और उर्वरक के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) के आयात कम होंगे। इससे देश के पूर्वी हिस्से के लिए अत्यंत आवश्यक यूरिया उत्पादन क्षमता को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

5 मानव संसाधन प्रबंधन:

5.1. जन शक्ति:

(31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कुल कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या (श्रेणीवार)						
		एससी	एसटी	भूतपूर्व सैनिक	पीडबल्यूबीडी	ओबीसी	अल्पसंख्यक	ईडबल्यूएस
ए	1304	238	76	0	19	293	75	21
बी	603	83	63	0	8	119	40	1
सी	613	89	45	2	14	222	33	11
ड़ी	5	3	0	0	1	1	2	0
कुल	2525	413	184	2	42	635	150	33

5.2 लोक शिकायतों का निवारण और कल्याणकारी उपाय:

क) लोक शिकायतों का निवारण: आरसीएफ ने अत्यधिक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली लागू की है। उत्पादन या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में शिकायत रखने वाला कोई भी नागरिक आरसीएफ से संपर्क कर सकता है। इसी तरह, कोई भी पीड़ित ग्राहक/डीलर या कोई अन्य नागरिक गुणवत्ता की किसी विफलता, वसूली गई कीमत या किसी अधिकारी/कर्मचारी के आचरण के संबंध में आरसीएफ से संपर्क कर सकता है।

ख) आरसीएफ में कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली भी है। इसके अलावा, आरसीएफ में एससी/एसटी शिकायत प्रकोष्ठ, यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए

जेंडर सैल है।

5.3 **कल्याणकारी उपाय:**

- एससी/एसटी/ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी आदि के लिए कल्याणकारी उपायों पर सरकार की नीतियों का सख्ती से पालन किया जाता है।

- भर्ती चयन बोर्डों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यकों को सेवाओं में पर्याप्त हिस्सा मिले।

- महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तीकरण और लैंगिक मुद्दों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास और पहलें की जाती हैं।

- आरसीएफ 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति' और 'लैंगिक समानता पर नीति' में अग्रणी है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

- महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ, नर्सिंग ब्रेक आदि जैसे कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार सभी लाभ दिए जाते हैं। महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा जांच/शिविर आयोजित किए जाते हैं। कर्मचारियों को मातृत्व/पितृत्व अवकाश दिया गया है।

- आरसीएफ 1990 में अपनी स्थापना के बाद से फोरम ऑफ वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (डब्ल्यूआईपीएस) के अग्रणी सदस्यों में से एक है। यह इस फोरम का एक कॉर्पोरेट सदस्य है और सभी गतिविधियों में पूर्ण समर्थन और भागीदारी के साथ फोरम की सभी गतिविधियों में प्रतिनिधित्व करता रहा है।

5.4 **प्रशिक्षण:**

डिप्लोमा/बीएससी छात्रों को संयंत्र प्रचालन, संयंत्र प्रक्रियाओं और रखरखाव, सुरक्षा पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्किल इंडिया के तहत, आरसीएफ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एमएसएमई, मुंबई और लघु उद्योग भारती द्वारा 12 और 13 फरवरी, 2024 को साकीनाका, मुंबई में आयोजित दो दिवसीय विक्रेता सम्मेलन में, आरसीएफ ने आरसीएफ के भीतर एमएसई विक्रेताओं के लिए उपलब्ध अवसरों का प्रदर्शन किया।

6. **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास:**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अपनी पहल के हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) ने ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई परियोजनाएं शुरू की हैं, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों और समाज की सामान्य भलाई के लिए है। वर्ष 2023–24 में आरसीएफ ने रु. 17.70 करोड़

का व्यय किया है, जिसमें रु.0.50 करोड़ को अगले वर्ष की सीएसआर गतिविधियों हेतु रखा गया है। आरसीएफ द्वारा की गई पहल इस प्रकार हैं:

- **आसपास के गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति,** पिछले 25 वर्षों से थल यूनिट के लगभग 20,000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

- **मोबाइल मेडिकल वैन:** तीन वैन ट्रॉम्बे और थल के आस–पास के गांवों में झुग्गी–झोपड़ियों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती हैं। एक मेडिकल वैन सालाना लगभग 25,000 मरीजों का इलाज करती है। इसके अलावा, चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आरसीएफ द्वारा चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।

- **जरूरतमंदों को एम्बुलेंस:** आरसीएफ ने मुंबई क्षेत्र में मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के लिए एम्बुलेंस की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

- **मध्याह्न भोजन योजना:** आरसीएफ ट्रॉम्बे के आसपास 29 गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों को मध्याह्न भोजन प्रदान कर रहा है। इस परियोजना के तहत कुल 2,800 छात्रों को शामिल किया गया है।

- **एससी / एसटी छात्रवृत्ति:** थल क्षेत्र और मराठवाड़ा के पांच सूखा संभावित जिलों अर्थात उस्मानाबाद, अहमदनगर, बीड, बुलढाणा और औरंगाबाद में एससी / एसटी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- **कृषि सहायता:** थल क्षेत्र में ग्रामीणों को धान, फलों के पौधे और उर्वरकों का वितरण।

- **स्वच्छ भारत मिशन:** आरसीएफ ने समाज की बेहतरी के लिए भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में दान किया।

- **सामान्य अवसंरचना का अनुरक्षण:** थल यूनिट ने ग्रामीणों के अच्छे परिवहन के लिए ग्रामीण विकास के तहत स्थानीय सड़कों की मरम्मत की है। कर्नाटक के बीदर जिले में 18 सामुदायिक फिटनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं।

- **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण:** आरसीएफ ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 9 उप–केंद्रों को चिकित्सा उपकरण मुहैया कराए हैं जो स्थानीय लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराते है।

- **विकलांगों के लिए व्यावसायिक / कौशल प्रशिक्षण सह आजीविका परियोजना:** आरसीएफ ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ डिसेबल्ड्स एंटरप्राइजेज (एनएडीई), मुंबई को उनके केंद्र के लिए छाता बनाने की मशीन खरीदने में सहायता की है।

- **महिला सशक्तीकरण:** आरसीएफ ने महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता में सुधार और महिलाओं के उत्थान और रोजगार के

लिए विभिन्न पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

7. प्रदर्शन में सुधार के लिए पहलें:

(i) मौजूदा संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न समस्या–समाधान अध्ययन किए गए हैं।

(ii) कम करें, पुनः उपयोग करें, रीसाइकिल करें की पद्धति को अपनाने से प्राकृतिक संसाधनों की खपत को अनुकूलित करने में मदद मिली है।

(iii) अन्य उर्वरक कंपनियों के सहयोग से उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास/नवाचार करने के लिए एक सोसायटी के रूप में भारतीय उर्वरक और उर्वरक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद (आईसीएफ़एफ़टीआर) में पंजीकृत। अनुसंधान एवं विकास टीम नैनो उर्वरकों, फसल विशिष्ट जैव उर्वरकों के विकास पर काम कर रही है और साथ ही जैव उर्वरकों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है।

6.4 दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी)

1. संक्षिप्त विवरण:

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड (एफएसीटी) को वर्ष 1943 में निगमित किया गया था। केरल के उद्योगमंडल में स्थित एफएसीटी ने 1947 में उत्पादन शुरू किया। एफएसीटी वर्ष 1960 में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया और 1962 के अंत में भारत सरकार एफएसीटी का प्रमुख शेयरधारक बन गया।

उद्योगमंडल स्थित मूल संभाग में वर्ष 1972 तक विस्तार के चार चरण हुए हैं। दूसरा उर्वरक एकक बीपीसीएल–कोच्ची रिफाइनरीस के निकट अंबलमेडु पर दो चरणों में स्थापित किया गया। चरण–I अमोनिया–यूरिया कॉम्प्लेक्स 1973 में कमीशन किया गया और चरण–II, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, फॉसफोरिक एसिड और मिश्रित उर्वरक संयंत्र शामिल था, को 1976–1978 में कमीशन किया गया। उक्त एकक को कोचीन संभाग का नाम दिया गया है। वर्ष 1990–91 के दौरान केप्रोलेक्टम के उत्पादन के लिए उद्योगमंडल में पेट्रोकेमिकल संभाग की स्थापना के साथ ही एफएसीटी का और अधिक विस्तार हुआ।

वर्ष 1965 में, एफएसीटी ने फेडो (फैक्ट इंजीनियरिंग एण्ड डिज़ाइन ऑर्गनाइज़ेशन), एक अभियांत्रिकी और परामर्शी स्कंध की स्थापना की। 1966 में एक विरचना संभाग एफईडब्ल्यू (फैक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स) की भी स्थापना की गई।

एफएसीटी ने 9 वर्षों के अंतराल के बाद वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान केप्रोलेक्टम संयंत्र को पुनर्प्रारंभ किया। केप्रोलेक्टम संयंत्र को पुनर्प्रारंभ करने से आयात प्रतिस्थापन में मदद मिली है और यह सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" नीति की दिशा में एक कदम है।

एफएसीटी ने सल्फ्यूरिक एसिड भंडारण टैंक, आयात के लिए बर्थ का पुनर्निर्माण, विभिन्न उत्पादन संभागों में अमोनिया के परिवहन के लिए अमोनिया बार्ज आदि जैसी नई पूँजीगत व्यय परियोजनाएं शुरू की हैं। अन्य प्रमुख परियोजनाएं जैसे एनपी 20:20:0:13 की क्षमता वृद्धि, अमोनिया भंडारण टैंक, फॉस्फोरिक एसिड भंडारण टैक आदि पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से एफएसीटी की उत्पादन क्षमता 10 लाख एमटी प्रति वर्ष से बढ़कर 15 लाख एमटी प्रति वर्ष हो जाएगी।

एफएसीटी ने दीर्घकालीन समय तक सतत प्रचालन के लिए क्षमता वृद्धि और ऊर्जा बचत के लिए अमोनिया संयंत्र, फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र और सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र के क्षमता विस्तार जैसी कुछ पूँजीगत व्यय परियोजनाओं की भी परिकल्पना की है। एफएसीटी इन परियोजनाओं को अपने आंतरिक संसाधनों से लागू करने की योजना बना रहा है।

एफएसीटी के मुख्य उत्पाद

उत्पाद	संस्थापित क्षमता
फेक्टमफोस (एन पी 20:20)	6,33,500 एमटी प्रति वर्ष
अमोनियम सल्फेट	2,25,000 एमटी प्रति वर्ष
केप्रोलेक्टम	50,000 एमटी प्रति वर्ष

2. विजन / मिशन

एफएसीटी का विज़न उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स एवं इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी सेवाओं जैसे अन्य व्यवसायों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है।

3. औद्योगिक और व्यावसायिक प्रचालनः

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एफएसीटी ने ₹5054.93 करोड़ का कारोबार और ₹146.17 करोड़ का लाभ हासिल किया। एफएसीटी का निवल मूल्य सकारात्मक हो गया है और संचित हानि समाप्त हो गई है। एफएसीटी ने 26 वर्षों के अंतराल के बाद वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश की घोषणा की। वर्ष 2023–24 के लिए लाभांश की भी सिफारिश की गई है।

एफएसीटी ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और पंजाब राज्यों में अपने विपणन प्रचालनों का विस्तार करना जारी रखा। वर्ष 2022–23 के दौरान, एफएसीटी ने सल्फर का आयात बंद कर दिया है और अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से घरेलू आपूर्ति से पूरा किया है।

3.1 वास्तविक निष्पादनः –

(आंकडे एमटी में)

उत्पादन	संस्थापित क्षमता	2022-23		2023-24	
		उत्पादन	क्षमता उपयोग	उत्पादन	क्षमता उपयोग
फेक्टमफोस (एन पी 20:20:0:13)	6,33,500	8,28,195	131%	8,27,717	131%
अमोनियम सल्फेट	2,25,000	2,44,732	109%	2,42,577	108%
केप्रोलेक्टम	50000	44,754	90%	34,662	69%

3.2 विपणनः –

वर्ष 2023–24 के लिए एफएसीटी का विपणन निष्पादनः

(एमटी में)

विपणन	बिक्री(2022-23)	बिक्री (2023-24)
उत्पाद		
फेक्टमफोस	7,42,627	8,21,012
अमोनियम सल्फेट	2,20,105	2,22,353
केप्रोलेक्टम	43,712	34,841
व्यापारित उत्पाद		
एम ओ पी (आयातित)	0	23,884
एन पी के (आयातित)	0	83,022
ऑर्गेनिक	17,179	10,160
ऑर्गेनिक प्लस	3,120	1,941
पीआरओएम (ऑर्गेनिक)	0	30
शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम)	0	85

3.2 वित्तीय निष्पादनः –

कुल कारोबार एवं प्रचालन लाभः

(₹ करोड में)

पैरामीटर	2022-23	2023-24
कुल कारोबार	6198.15	5054.93
कर पूर्व लाभ	612.83	43.5
कर पश्चात लाभ	612.83	146.17

4. नए निवेश/परियोजनाएं:

उर्वरक विभाग ने अगस्त 2019 में, केरल सरकार को 481.79 एकड़ भूमि बेचने और 608 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए बिक्री प्राप्तियों का उपयोग करने की अपनी मंजूरी के बारे में सूचित किया। तदनुसार, एफएसीटी ने उर्वरक उत्पादन क्षमता और उत्पाद मिश्रण को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी में सुधार करने, बाधाओं को दूर करने और मौजूदा क्षमता उपयोग को अधिकतम करने के लिए लॉजिस्टिक्स और कच्चे माल की हैंडलिंग सुविधाओं को उन्नत करने की पूँजीगत व्यय स्कीमों की योजना बनाई है। प्रमुख पूंजीगत व्यय स्कीमों में 1650 टी पी डी कॉम्प्लेक्स एनपी उर्वरक संयंत्र के साथ–साथ उत्पादन संभाग और कोचीन पोर्ट पर संबद्ध कच्चे माल/मध्यवर्ती भंडारण और हैंडलिंग सुविधाओं का विकास सम्मिलित हैं। नए संयंत्र के चालू होने से एफएसीटी का वार्षिक उर्वरक उत्पादन 15 लाख एमटी तक बढ जाएगा।

5. मानव संसाधन प्रबंधन:

5.1 जनशक्ति:

31.03.2024 तक नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 1523 है। 2023–24 के दौरान, एफएसीटी ने 60 प्रबंधकीय कर्मचारियों और 102 गैर–प्रबंधकीय कर्मचारियों की भर्ती की।

5.2 शिकायत निवारण:

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रक्रिया का उद्देश्य शिकायतों के निवारण के लिए एक सुगम तंत्र उपलब्ध कराना और ऐसे उपाय अपनाना जिससे सभी कर्मचारियों की शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो, जिससे प्रणाली में विश्वास पैदा हो, परिणामस्वरूप कार्य के प्रति संतुष्टि बढ़े तथा संगठन की उत्पादकता और दक्षता में सुधार हो।

5.3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण:

निगम स्तर पर एक अ.जा./अ.ज.जा. शिकायत सेल कार्यरत हैं जिसमें अध्यक्ष, मुख्य संपर्क अधिकारी, एफएसीटी के विभिन्न संभागों के संपर्क अधिकारी और अ.जा. एवं अ.ज.जा. प्रत्येक से संबंधित दो अधिकारी भी सम्मिलित हैं। यह प्रकोष्ठ फैक्ट में अ.जा./अ.ज.जा के आरक्षण से संबंधित मामलों और अ.जा/अ.ज.जा. कर्मचारियों की शिकायतों को देखता है। अ.जा/अ.ज.जा के लिए संपर्क अधिकारी बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के भी संपर्क अधिकारी हैं। एफएसीटी में अ.पि.व. के लिए भी एक संपर्क अधिकारी है।

5.4 प्रशिक्षण और विकास:

एफएसीटी अपने कर्मचारियों को आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। एफएसीटी द्वारा प्रदान किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण का विवरण:

आंतरिक प्रशिक्षण		
वर्ष	2022-23	2023-24
आयोजित कार्यक्रमों की कुल संख्या	37	81
कुल प्रतिभागी	588	1647
बाह्य प्रशिक्षण		
वर्ष	2022-23	2023-24
ऑफर किए गए कार्यक्रमों की कुल संख्या	58	96
कुल प्रतिभागी	227	283

6. निगम सामाजिक दायित्व एवं सतत विकासः

एफएसीटी ने विभिन्न निगम सामाजिक दायित्व पहलों को प्राथमिकता देना जारी रखा है। विभिन्न स्कीमों/योजनाओं के अंतर्गत सी एस आर गतिविधियाँ जिन पर 17.51 करोड़ रुपए का व्यय हुआ नीचे दी गई हैं:

- सरकारी स्कूलों का अवसंरचना विकास।
- कोच्ची में मोबाईल स्वास्थ्य इकाई।
- वैभव अपस्किलिंग कार्यक्रम।
- आदिवासी बस्तियों में एकल विद्यालय।
- अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तिपहिया वाहन की आपूर्ति।
- सरकारी सीएचसी के लिए जनरेटर।
- दक्षिण रेलवे के लिए व्हील चेयर।
- दिव्यांग छात्रों को स्पांसर करना।
- छात्रों को छात्रवृत्ति।
- मंजुम्मेल में पीने के पानी की आपूर्ति।
- विद्यार्थियों को कम्प्यूटर टैबलेट का वितरण।
- कर्नाटक के बीदर में सामुदायिक फिटनेस केंद्र की स्थापना।
- एर्नाकुलम में 3 स्मार्ट आंगनबाड़ियों की स्थापना।
- किसानों के बीच वितरण हेतु औषधीय मच्छरदानी।
- किसान ड्रोन और ड्रोन पायलटों की भर्ती।
- पीएम–एमकेडीके स्कीम के अंतर्गत ड्रोन उपलब्ध कराना और महिला ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण देना।
- पीएमकेएसके के लिए पुस्तकों की खरीद

सतत विकासः

एफएसीटी कई सतत विकास गतिविधियां

कार्यान्वित करता है। कंपनी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला – सोर्सिंग, खरीद, विनिर्माण, पैकेजिंग, परिवहन, विपणन और अंतिम उत्पाद उपयोग में जिम्मेदार और सतत व्यापार प्रचालन सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

कंपनी के पास बिजनेस दायित्व और सतत विकास (बीआरएसआर) नीति है जिसमें बीआरएसआर सिद्धांतों के अंतर्गत सभी आवश्यक नीतियाँ सम्मिलित हैं। कंपनी कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अपने परिचालन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कदम उठा रही है। फीडस्टॉक और ईंधन को हरित ईंधन आरएलएनजी में बदल दिया गया है।

7. कार्य निष्पादन में सुधार के लिए पहलें:

i. एफएसीटी ने अमोनिया संयंत्र के निर्बाध संचालन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ आरएलएनजी की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालीन करार किया है। एफएसीटी ने सल्फर की आपूर्ति के लिए बीपीसीएल और एमआरपीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे एफएसीटी उर्वरक उत्पादन को अधिकतम करने में सक्षम है।

ii. एफएसीटी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अपने केप्रोलेक्टम का पुनर्प्रचालन शुरू किया। संयंत्र को पूर्ण लोड उत्पादन के साथ स्थिर किया गया है। अब केप्रोलेक्टम संयंत्र को आपातकालीन बैकअप बिजली के लिए डीजी सेट प्रदान करके राज्य ग्रिड बिजली पर चलाने में सक्षम बनाया गया है।

iii. तकनीकी उन्नति के एक भाग के रूप में, उद्योगमंडल कॉम्प्लेक्स के उर्वरक संयंत्रों में वितरित नियंत्रण प्रणाली (डीसीएस) लागू की गई है।

iv. एफएसीटी ने सल्फर की आयात निर्भरता को समाप्त कर दिया तथा अपनी सल्फर आवश्यकता को पूरा करने के लिए बी पी सी एल एवं एम आर पी एल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

v. एफएसीटी ने अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे रसायनों के विपणन को स्थिर कर दिया है। केप्रोलेक्टम के पुनर्प्रचालन के अनुरूप सोडा ऐश और नाइट्रिक एसिड एवं साइक्लोहेक्सानोन का विपणन भी फिर से शुरू किया गया।

vi. एफएसीटी आवश्यक कच्चे माल की हैंडलिंग और भंडारण सुविधा के साथ एक नया 1650 टीपीडी कॉम्प्लेक्स एनपी संयंत्र स्थापित कर रहा है। एलएसटीके कार्य के लिए कार्य आदेश दिया गया है और सिविल कार्य प्रगति पर है। इससे 2024–25 के अंत तक चालू होने के बाद एफएसीटी का उर्वरक उत्पादन 10 लाख एमटी से बढकर 15 लाख एमटी हो जाएगा।

vii. एफएसीटी ने विपणन, बिक्री और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में कई डिजिटल प्रयास किए हैं।

श्री किशोर रूंगटा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एफएसीटी की सीएसआर पहल के रूप में प्रारंभ की गई मोबाइल हेल्थकेयर यूनिट (एमएचयू) को हरी झंडी दिखाते हुए।

एफएसीटी ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की 100 ड्रोन दीदियों को प्रायोजित किया और कृषि उद्देश्य के लिए किसान ड्रोन सौंपे गए। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नई तकनीक लाना और स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों की आजीविका में सुधार करना है।

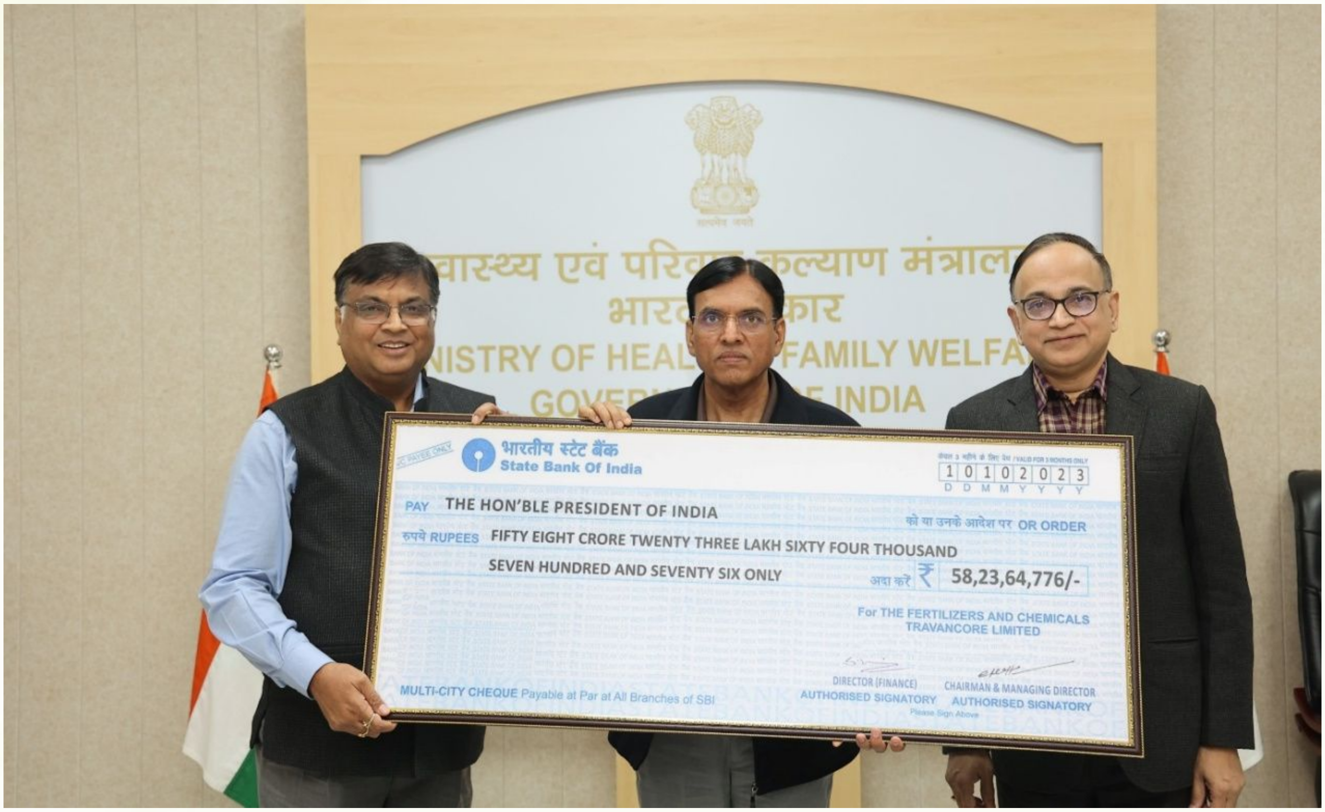

श्री किशोर रूंगटा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एफएसीटी ने श्री रजत कुमार मिश्र सचिव, उर्वरक विभाग की उपस्थिति में माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डा. मनसुख मांडविया को 58 करोड़ रुपए का लाभांश चैंक सौंपा।

कोचीन संभाग में नए अमोनिया भंडारण टैंक परियोजना का मैकेनिकल कार्य पूरा हो चुका है और प्री–कमीशनिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। उर्वरक क्षमता विस्तार परियोजना के साथ अवसंरचना विकास के भाग के रूप में, कोचीन संभाग में दो नए सल्फ्यूरिक एसिड टैंक शुरू किए गए।

6.5 मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)

1. संक्षिप्त अवलोकन:

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) को दिसंबर 1966 में भारत सरकार और एमोको इंडिया इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए (एमोको) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें भारत सरकार की इक्विटी शेयर पूंजी 51% था। वर्ष 1972 में, इंटरट्रेड कंपनी लि. (NICO) (इससे पूर्व नाम नफ्तिरन NIOC था) ने एमोको की 50% हिस्सेदारी हासिल कर ली और शेयरधारिता पैटर्न भारत सरकार 51% और एमोको और एनआईओसी प्रत्येक का 24.5% हो गया।

1985 में, एमोको ने अपने शेयरों का विनिवेश किया, जिन्हें 22.07.1985 को उनके संबंधित शेयरों के अनुपात में भारत सरकार और एनआईओसी द्वारा खरीदा गया था। संशोधित शेयर होल्डिंग पैटर्न भारत सरकार 67.55% और एनआईओसी 32.45% था।

1994 में राइट्स शेयर जारी होने के बाद, भारत सरकार और एनआईओसी की शेयरधारिता 69.78% और 30.22% थी।

1997 के दौरान, एमएफएल ने ₹10 के अंकित मूल्य और ₹ 5 प्रति शेयर के प्रीमियम के साथ 2,86,30,000 शेयरों का सार्वजनिक निर्गम (Public issue) जारी किया था। वर्तमान प्रदत्त शेयर पूंजी और शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार हैं:

शेयरहोल्डर	प्रदत्त शेयर पूंजी (₹ करोड़ में)	शेयर होल्डिंग %
भारत सरकार	95.85	59.50
नफ़्तिरन इंटरटेड कंपनी (एनआईसीओ) लिमिटेड	41.52	25.77
आम जनता	23.73	14.73
कुल	161.10	100.00

एमएफएल के विभिन्न संयंत्रों की उत्पादन क्षमता नीचे दी गई है:

संयंत्र	वार्षिक क्षमता	तैनात प्रौद्योगिकी
अमोनिया	3.46 एलएमटी	मेसर्स हल्दोर टॉपसो ए/एस, डेनमार्क
यूरिया	4.86 एलएमटी	मैसर्स यूरिया टेक्नोलॉजीज इंक., यूएसए
एनपीके	2.80 एलएमटी	मैसर्स हिंदुस्तान डोर ओलिवर, भारत

2. मिशन / विज़न:

उर्वरक उद्योग में अग्रणी बनना और वर्ड क्लास कुशल संचालन के माध्यम से राष्ट्र के कृषक समुदाय की जरूरतों को पूरा करने वाले उर्वरकों, कृषि रसायनों और अन्य पर्यावरण–अनुकूल उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन और विपणन को सुनिश्चित करना।

3. औद्योगिक / व्यावसायिक संचालन:

3.1 वास्तविक प्रदर्शन:

उत्पादन	स्थापित क्षमता (एमटीपीए)	2022-23		2023-24	
		उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)	उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)
यूरिया	4,86,750	519800	106.8	432500	88.9
एनपीके	2,80,000	7,507	2.7	0	0

यूरिया संयंत्र ने जनवरी, 2024 में 6.650 जीसीएएल / एमटी की न्यूनतम मासिक औसत विशिष्ट ऊर्जा खपत हासिल की है।

3.2 विपणन प्रदर्शन:

उत्पाद	बिक्री	
	2022-23	2023-24
स्वयं के उत्पादित उत्पाद		
एनपीके कॉम्प्लेक्स 20-20-0 (एमटी)	7504.250	0
नीम लेपित यूरिया (एमटी)	529879.410	427836.195
जैव उर्वरक (एमटी)	22.560	0
व्यापारिक उत्पाद		
जैव कीटनाशक - नीम (केएल)	157.420	114.500
जैविक खाद (एमटी)	7835.520	10740.080
शहरी खाद (एमटी)	9607.500	11307.000

3.3 वित्तीय प्रदर्शनः

(करोड़ रुपए में)

मानदंड	2022-23	2023-24
टर्नओवर (रु करोड़)	3447.09	2228.42
कर पूर्व लाभ	248.66	11.86
करोपरांत लाभ	185.33	5.56

4. प्रदर्शन की मुख्य बातेंः

नए निवेश/परियोजनाएंः

- अमोनिया विशिष्ट ऊर्जा न्यूनीकरण पुनरुद्धार अध्ययन प्रक्रिया लाइसेंसकर्ता मेसर्स हल्दोर टॉपसो द्वारा किया गया था और आगे उन्हें भारत सरकार के यूरिया ऊर्जा मानदंडों को 6.5 जीसीएएल/एमटी से कम प्राप्त करने के लिए बुनियादी इंजीनियरिंग अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया।
- यूटिलिटी बॉयलर–II ईंधन फायरिंग को नए डीसीएस–बीएमएस (बर्नर प्रबंधन प्रणाली) के साथ एफओ से आरएलएनजी में बदल दिया गया और सफलतापूर्वक चालू किया गया।
- यूटिलिटी बॉयलर–II इकोनॉमाइज़र और सुपर हीटर कॉइल को बदल दिया गया।
- यूरिया रिएक्टर बी लाइनर को एसएस316 से 2आरई69 तक उन्नत सामग्री के साथ बदल दिया गया, साथ ही दोनों रिएक्टरों की आउटलेट लाइनों को पूरी तरह से बदल दिया गया।
- रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर (K1901) सीसीसी प्रदर्शन नियंत्रक को एक उन्नत संस्करण के साथ नवीनीकृत किया गया।
- डुप्लेक्स एसएस ट्यूब के साथ अमोनिया कंडेनसरो (संख्या 4) का उन्नयन–बार–बार विफलता से बचने तथा अधिकतम ऑपरेटिंग फैक्टर प्राप्त करने के लिए संयंत्र की विश्वसनीयता में सुधार को, वार्षिक टर्न अराउंड 2023 के दौरान लिया गया।
- कूलिंग वाटर ब्लो डाउन के उपचार के लिए समर्पित आरओ प्लांट की स्थापना का काम प्रगति पर है, जिससे कच्चे पानी की खपत में भारी कमी आएगी।
- वैगन लोडिंग संचालन के लिए नया डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव (400 एचपी क्षमता) खरीदा गया।
- प्लांट संचालन और सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और प्लांट गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए बी एंड एस प्लांट में पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उद्घाटन किया गया।

माननीय केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा 21.11.2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत तमिलनाडु के तिरुवण्णामलै जिले में एक किसान बैठक को संबोधित करते हुए।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में वैगन लोडिंग कार्यों के लिए नए डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव (400 एचपी क्षमता) का उद्घाटन।

5 मानव संसाधन प्रबंधनः

5.1 जनशक्ति :

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार

समूह	कुल कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या (वर्गवार)				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पूर्व सैनिक	शारीरिक रूप से विकलांग	अन्य पिछड़ा वर्ग
ए	104	35	2	0	0	24
बी	145	33	3	0	3	14
सी	186	55	0	1	1	56
कुल	435	123	5	1	4	94

5.2 शिकायत निवारणः

शिकायत निवारण के लिए समिति :

1. पर्यवेक्षकों के लिए शिकायत निवारण समिति
2. श्रमिकों के लिए कार्य समिति
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के लिए आंतरिक शिकायत समिति
4. आंतरिक अनुपालन समिति– महिला कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे

5.3 अल्पसंख्यकों का कल्याणः

1. अंबेडकर जयंती मनाने के लिए प्रत्येक एससी/एसटी एसोसिएशन को ₹50,000/– दिए जाते हैं।
2. ओबीसी एसोसिएशन को अपने नेताओं की जयंती मनाने के लिए ₹50,000/– दिए जाते हैं।

5.4 प्रशिक्षणः

2023–24 की अवधि के दौरान 434 कर्मचारियों और 81 अनुबंध श्रमिकों को तकनीकी, सॉफ्ट और जीवन कौशल पर प्रशिक्षित किया गया है।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सतत विकासः

लगभग ₹6.32 करोड़ की लागत से निम्नलिखित स्कीमों के तहत सीएसआर गतिविधियाँ की गईं।

- झंडा दिवस निधि।
- विकसित भारत संकल्प यात्रा।

7. प्रदर्शन में सुधार के लिए पहलें:

- लगभग 100 मीट्रिक टन संरचनात्मक प्रतिस्थापन किया गया।
- यूरिया रिएक्टर बी इनर लाइनर को SS316 से 2RE 69 तक उन्नत सामग्री के साथ नवीनीकृत किया गया।

- लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को अतिरिक्त अमोनिया की बिक्री।
- तरल जैव उर्वरकों के उत्पादन के लिए परियोजना अध्ययन शुरू किया गया।
- भंडारण से अमोनिया वाष्प को द्रवीभूत करने के लिए नए प्रशीतन कंप्रेसर पैकेज की खरीद शुरू की गई।
- जटिल उर्वरकों का व्यापार शुरू किया गया।
- एनपी (20–20–0) जटिल उर्वरकों के नए ग्रेड का उत्पादन और सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

6.6 ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)

1. संक्षिप्त अवलोकनः

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) को 5 अप्रैल 2002 को हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से असम की नामरूप इकाई के अलग होने के बाद शामिल किया गया था। इसके कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय भी नामरूप में स्थित हैं।

31.03.2024 तक बीवीएफसीएल की अधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त पूंजी क्रमशः ₹510 करोड़ और ₹365.83 करोड़ थी। इसकी 100% इक्विटी पर भारत सरकार का स्वामित्व है।

2. विजन / मिशनः

एक कुशल, किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का एक महत्वपूर्ण उत्पादक बने रहना और पूर्वी भारत में कृषि सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करना। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), पानी में घुलनशील एनपीके आदि जैसे अन्य उर्वरकों के उत्पादन में विविधता लाना और धीरे–धीरे अखिल भारत में उपस्थिति दर्ज कराने हेतु डीलरों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से आयातित यूरिया और अन्य कृषि उत्पादों के व्यापार के माध्यम से राजस्व आय को बढ़ाना ।

3. औद्योगिक / व्यावसायिक प्रचालनः

3.1 वास्तविक निष्पादनः

उत्पादन	स्थापित क्षमता (एमटीपीए)	2022-23		2023-24	
		उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)	उत्पादन (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)
यूरिया (नामरूप II)*	240000	0	0	0	0

यूरिया (नामरूप III)	270000	223342	82.71	180153	66.72
कुल	510000	223342	82.71	180153	66.72

** नामरूप-II संयंत्र अमोनिया संयंत्र के संश्लेषण खंड में बड़ी खराबी के कारण 06.01.2020 से बंद रहे। इससे पहले, अनुबंधित मात्रा से अधिक प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता के कारण, यूरिया संयंत्र की केवल एक स्ट्रीम ही चलाई गई थी, जिसकी प्रभावी स्थापित क्षमता 1,20,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी।*

3.2 वित्तीय निष्पादन:

(करोड़ रुपए में)

पैरामीटर	2022-23	2023-24
कुल कारोबार	1146.49	748.96
कर पूर्व लाभ	24.37	8.71
कर पश्चात लाभ	24.37	8.71

3.3 विपणन निष्पादन:

उत्पाद श्रेणी	विपणन	बिक्री 2022-23 (मीट्रिक टन में)	बिक्री 2023-24 (मीट्रिक टन में)
बीवीएफसीएल के स्वयं के उत्पाद	नीम लेपित यूरिया	2,27,870.160	175339.800
	तरल जैव-उर्वरक	147.84	152.134
	वर्मी कम्पोस्ट	60.66	41.040
	एनपीके (19:19:19)	59.94	195.480
आयातित/ट्रेडीड उत्पाद	आयातित यूरिया	218897.38	257694.265
	मुक्ता पावर	3450.22	1424.810
	एग्रो पावर	257.500	0.000
	एचयूआरएल यूरिया	0.00	49023.000
	फैक्टमफोस	426.00	1455.400
	अमोनियम सल्फेट	16867.51	6455.700

	रॉक फॉस्फेट	10115.00	4943.800
	एसएसपी	71927.60	32468.000
	एमओपी	6988.60	1965.500
	डीएपी	17566.85	375.000
	कीटनाशक	7.67	0
	जिंक सल्फेट	261.98	254.525
	मैगनीशियम	0.00	0
	बोरान	9.00	0
	एनपीके (10:26:26)	2742.60	119.000
	एनपीके	53.52	0
	एनएफएल यूरिया	65705.22	13993.380
	सिटी कम्पोस्ट	397.00	0
	एचआईएल नेट	7000.00	0
	बीज	110.00	14,000
	ए पी एस	3583.60	0
	पीडीएम	4052.95	345.500
	नैनो यूरिया	0.00	0.816
	नैनो डीएपी	0.00	0.186
	इफको - यूरिया	0.00	273.735
	सागरिका - इफको	0.00	0.060
	सागरिका - इफको 10 किलोग्राम बाल्टी/बैग (संख्या)		51,000
	बेंटोनाइट सल्फर	0.00	4.260
	कैल्शियम नाइट्रेट	0.00	68,000
	जल में घुलनशील उर्वरक	0.00	0.100

4.1 कार्य निष्पादन की मुख्य विशेषताएं:

2023–24 के दौरान उत्पादों की बिक्री का विवरण नीचे दिया गया है:

क) मुक्ता नीम लेपित यूरिया: वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बीवीएफसीएल ने 175339.8 मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री की।

ख) जैव–उर्वरक: ₹ 228.20 लाख मूल्य के 152.134 किलोलीटर तरल जैव–उर्वरकों की बिक्री की गई।

ग) वर्मी कम्पोस्टः 5.75 लाख रुपये मूल्य की 41.04 मीट्रिक टन वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री की गई।

घ) एनपीके (19:19:19): 195.480 मीट्रिक टन मुक्ता एनपीके (19:19:19) की बिक्री हुई।

ड) आयातित यूरियाः 14551.14 लाख रुपये मूल्य का 257694.265 मीट्रिक टन आयातित यूरिया की बिक्री हुई।

<u>नामरूप–II संयंत्रः</u> नामरूप–II में उत्पादन 2023–24 के पूरे वर्ष के दौरान निलंबित रहा । नामरूप–II संयंत्र में 17.05.2019 और 06.01.2020 को दो बड़ी खराबियों का सामना करना पड़ा और तब से संयंत्र बंद है। नामरूप–II संयंत्रों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उर्वरक विभाग द्वारा एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है और एनएफएल तथा आरसीएफ के विशेषज्ञों वाली एक तकनीकी टीम ने संयंत्रों का दौरा किया है।

<u>नामरूप–III संयंत्र</u> वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, नामरूप–III में यूरिया उत्पादन 180153 मीट्रिक टन था, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में 223342 मीट्रिक टन उत्पादन किया गया था। पुराने, अविश्वसनीय उपकरणों की विभिन्न अप्रत्याशित खराबी के कारण 2023–24 में लक्षित यूरिया उत्पादन हासिल नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2023–24 में नामरूप–III में उत्पादित यूरिया की प्रति मीट्रिक टन ऊर्जा खपत 13.27 जीकेल/एमटी थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में यह 12.20 जीकैल/एमटी थी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, नामरूप–III संयंत्र में वित्तीय वर्ष 2022–23 में 315 दिनों की तुलना में 239.41 ऑन–स्ट्रीम दिन प्राप्त किए जा सके हैं।

4.2 नये निवेश एवं परियोजनाएंः

अप्रचलित प्रौद्योगिकी और उपकरणों की खराबी के कारण बीवीएफसीएल संयंत्र खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। संयंत्र की क्षमता वर्तमान के न्यूनतम आर्थिक मात्रा से बहुत कम है और इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी वर्तमान के संयंत्र के बराबर ऊर्जा दक्षता के लिए कोई लाभ प्रदान नहीं करती है। अनुभवी और योग्य जनशक्ति की भारी कमी भी इसके निष्पादन को काफी हद तक प्रभावित कर रही है।

उपलब्ध प्राकृतिक गैस का सर्वोत्तम उपयोग करने और कंपनी को पुनर्जीवित करने के लिए, प्रस्तावित नए संयंत्र के चालू होने तक अल्पकालिक स्थिरता के लिए कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन के साथ–साथ पीपीपी मोड पर नामरूप में एक नए बड़े आकार के ब्राउनफील्ड अमोनिया–यूरिया संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव शुरू किया गया था। प्रस्ताव के अनुसार, इस परियोजना की 48% इक्विटी नामांकन के आधार पर आवंटित की जानी थी और परियोजना की शेष 52% इक्विटी बोली के माध्यम से निजी/सार्वजनिक को आवंटित की जानी थी। प्रस्तावों को 21 मई 2015 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली। हालांकि, बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक निजी/सार्वजनिक भागीदार को 52%

इक्विटी आवंटित करने की कार्रवाई से कोई परिणाम नहीं निकला। वर्तमान में, उर्वरक विभाग बीवीएफसीएल में नामरूप– IV इकाई स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त और संधारणीय मॉडल खोजने के लिए सभी संभावित विकल्पों की जांच कर रहा है।

4.3 रुग्ण/कमजोर इकाइयों को पुनर्जीवित करना:

नामरूप के सभी संयंत्र 1960 और 70 के दशक में उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। इसलिए, ऊर्जा की खपत आधुनिक संयंत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। चूंकि प्रौद्योगिकी पुरानी हो गई है, इसलिए मशीनरी/उपकरणों के रखरखाव और प्रतिस्थापन के लिए पुर्जों की उपलब्धता लगातार मुश्किल होती जा रही है। मशीनें पुरानी होने के कारण, रखरखाव की आवृत्ति और डिग्री भी अधिक है।

बीवीएफसीएल ने लीन गैस आपूर्ति आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण मेसर्स पीडीआईएल को बीवीएफसीएल नामरूप– II और नामरूप– III के लिए ऊर्जा खपत मानक को बढ़ाकर संशोधन की आवश्यकता के संबंध में अध्ययन का जिम्मा सौंपा, तदनुसार, बीवीएफसीएल द्वारा मेसर्स पीडीआईएल को दिनांक 25.09.2019 को कार्य आदेश जारी किया गया था। इस संबंध में,मेसर्स पीडीआईएल ने बीवीएफसीएल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और नए ऊर्जा खपत मानक को नामरूप–II के लिए 18.10 जीकैल/एमटी तथा नामरूप–III के लिए 13.24 जीकैल/एमटी करने का प्रस्ताव किया है।

5. मानव संसाधन प्रबंधन:

5.1 जनशक्ति:

(31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कुल कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या (श्रेणी)						
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पूर्व सैनिक	दिव्यांग	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	सामान्य
ए	272	22	31	शून्य	शून्य	81	शून्य	138
बी	30	2	9	शून्य	शून्य	5	शून्य	14
सी	54	3	5	शून्य	शून्य	11	1	34
डी	31	4	5	शून्य	1	12	1	8
कुल	387	31	50	शून्य	1	109	2	194

5.2 शिकायत निवारण:

बीवीएफसीएल में समय–समय पर आने वाली शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण समिति है।

5.3 अल्पसंख्यकों का कल्याण:

भर्ती एवं पदोन्नति के लिए चयन समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रतिनिधि को

भी शामिल किया गया है। बीवीएफसीएल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण के मामले में समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशा–निर्देशों/आदेशों का पालन कर रहा है। अन्य कर्मचारियों के साथ–साथ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को भी सभी कल्याणकारी सुविधाएं दी जाती हैं।

5.4 प्रशिक्षणः

2023–24 के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार कक्षा व्याख्यान के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षुओं को शामिल करने के अलावा, सीएमए प्रशिक्षुओं के भी साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षुओं को वास्तविक औद्योगिक परिवेश के संपर्क में भी रखा जाता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 07 इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम, 7 बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम और 3 वेबिनार आयोजित किए गए।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकासः

(क) बीवीएफसीएल अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और अनेक उपाय करता है, जो 8 किलोमीटर के दायरे में आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने तथा मूल्य संवर्धन के लिए हर संभव तरीके से योगदान देता है।

(ख) कर्मचारियों के बच्चों और टाउनशिप तथा आस–पास के गांवों के वार्डों को शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। बीवीएफसीएल एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एक केंद्रीय विद्यालय और एक मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) के अलावा एक प्राथमिक विद्यालय चला रहा है और नामरूप कॉलेज की स्थापना, उच्च शिक्षा के लिए एक बी.एड कॉलेज और नामरूप में एक राज्य औषधालय की स्थापना के लिए अपना संरक्षण प्रदान किया है। बीवीएफसीएल रियायती दर पर कॉलोनी क्षेत्र के भीतर आवास प्रदान करके एक जूनियर कॉलेज और एक असमिया माध्यम स्कूल को भी अपना सहयोग दे रहा है।

(ग) कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक उपकरणों से युक्त एक अस्पताल उपलब्ध है। इलाके के आस–पास के लोगों और ठेका श्रमिकों को भी मामूली शुल्क पर इलाज उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) इलाके की पूर्ण सामाजिक–सांस्कृतिक सद्भाव बनाए रखने के लिए समय–समय पर निकटवर्ती शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7. निष्पादन में सुधार करने के लिए पहलः

व्यवसाय के विविधीकरण द्वारा बीवीएफसीएल को विकास के पथ पर वापस

लाने के लिए हाल ही में शुरू किए गए कुछ कदम नीचे दिए गए हैं:

- बीवीएफसीएल के विद्यमान परिसर के भीतर 400 एमटीपीडी क्षमता की सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) विनिर्माण सुविधा स्थापित करना।

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए बीवीएफसीएल परिसर में खाली भूमि पर 2.4 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना,

- बीवीएफसीएल को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए राज्य ग्रिड में अधिशेष कैप्टिव बिजली का व्यापार करना।

- मौजूदा परिसर में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करना।

- बीवीएफसीएल को 2022–23 से शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए भारत सरकार के खाते में आयातित यूरिया की प्रबंधक और विपणन के लिए पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल पोर्ट, पारादीप आवंटित किया गया है। विपणन क्षेत्रों को छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश तक बढ़ा दिया गया है और बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में डीलरों का नेटवर्क बढ़ाया गया है। 2023–24 के दौरान, बीवीएफसीएल ने 06 जहाजों की हैंडलिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। बीवीएफसीएल अखिल भारतीय स्तर पर उपस्थिति करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विपणन क्षेत्रों के और विस्तार की भी योजना बना रहा है।

- बीवीएफसीएल ने 2023–24 के दौरान अपने उत्पाद की रेंज बढ़ाने के लिए नए व्यापार भागीदारों जैसे एचयूआरएल, इफको, एग्रोफोस इंडिया लिमिटेड, माधव एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, एचआईएल (पीएमकेएसके के लिए), एमएन क्रॉप एंड फर्टिको प्राइवेट लिमिटेड, दीपी केमिकल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- बीवीएफसीएल के अपने और ट्रेड किए गए उत्पादों की बेहतर आपूर्ति के लिए, लॉजिस्टिक्स उपलब्धता के आधार पर हाल ही में 2 नए रेक प्वाइंट, अर्थात जिरीबाम (मणिपुर), भैरबी (मिजोरम) जोड़े गए हैं और बीवीएफसीएल अधिक रेक प्वाइंट जोड़ने की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

8. स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण विनियमों का अनुपालन:

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम निर्देशानुसार, तरल अपशिष्ट और स्टैक गैस के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। अपेक्षित सूचना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निर्दिष्ट साइट पर लगातार और सीधे उपलब्ध है। संचालन की सहमति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ नियमित रूप से नवीनीकृत की जाती है।

- बीवीएफसीएल के पास एक पूर्णतः सुसज्जित फायर स्टेशन है जिसमें अग्निशमन गाड़ियां भी शामिल हैं।

- बीवीएफसीएल के पास पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा जारी कई लाइसेंस हैं, जिनमें एक 1500 मीट्रिक टन तरल अमोनिया हॉर्टन स्फीयर्स, 4 क्लोरीन सिलेंडर लाइसेंस और स्टेटिक और मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अन–फायर्ड) नियम 2016 और गैस सिलेंडर नियम 2016 के अनुसार एलपीजी और पेट्रोल पंप प्रत्येक के लिए 1–1 लाइसेंस शामिल हैं। इन लाइसेंसों को निरीक्षण के बाद वैधानिक अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से नवीनीकृत किया जा रहा है।
- प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं की सेवाएं लेकर नियमित रूप से बाह्य सुरक्षा लेखा परीक्षण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022 से 2024 के लिए बाह्य सुरक्षा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट बाह्य सलाहकार से प्राप्त कर ली गई है। बाह्य सुरक्षा लेखा परीक्षा 2 (दो) वर्षों के अंतराल के बाद किया जाता है।
- हानिकारक गैस आदि के किसी भी रिसाव से कवर करने के लिए पड़ोसी क्षेत्र के निवासियों को प्रति वर्ष ₹15.00 करोड़ का सार्वजनिक देयता बीमा किया जाता है।

पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल (पीआईसीटी), पारादीप पोर्ट से बीवीएफसीएल की यूरिया की दूसरी खेप का प्रेषण, जून 2023

बीवीएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और इफको के विपणन निदेशक की उपस्थिति में असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में विपणन साझेदारी के लिए बीवीएफसीएल और इफको के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

6.7 एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल)

1. संक्षिप्त अवलोकन

एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड (फैगमिल) का निगमन दिनांक 14.02.2003 को फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) के जोधपुर खनन संस्थान (जेएमओ) से अलग होने के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुआ। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार फेगमिल की अधिकृत शेयर पूंजी 50.00 करोड़ रुपए तथा प्रदत्त पूंजी 50.00 करोड़ रु. है।

2. विजन /मिशन

2.1 विजन

कार्यनीतिक एवं महत्वपूर्ण खनिजों, विशेषकर उर्वरक खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में अग्रणी बनना।

2.2 मिशन

फैगमिल का लक्ष्य भारत में अथवा संसार के किसी भी भाग में कृषि पर विशेष ध्यान देते हुए जिप्सम तथा अन्य खनिजों एवं उसके उप–उत्पादों से संबंधित सभी प्रकार के व्यवसाय स्थापित करना एवं बढ़ाना।

3. औद्योगिक / व्यापार प्रचालन :–

3.1 वास्तविक निष्पादन

उत्पादन	संस्थापित क्षमता (मी. टन / प्रति वर्ष)	2022-23		2023-24	
		उत्पादन (मी. टन)	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	उत्पादन (मी. टन)	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)
जिप्सम	1106000	453241	40.98	279326	25.25

विपणन	बिक्री (2022-23)		बिक्री (2023-24)	
	मात्रा (मी. टन)	राशि (रु. करोड़)	मात्रा (मी. टन)	राशि (रु. करोड़) (अनंतिम)
जिप्सम	441111	56.04	321615	30.01

3.2 वित्तीय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2022-23	2023-24
कारोबार	56.04	30.01
कर पूर्व लाभ	13.46	9.33
कर पश्चात लाभ	9.74	6.98

4. निष्पादन की मुख्य बातें:

नए निवेश/परियोजनाएँ:

अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के अपने प्रयास में, फैगमिल ने रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कदम उठाए हैं।

5. मानव संसाधन प्रबंधन

5.1 जनशक्तिः

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार

समूह	कुल कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या (श्रेणी-वार)				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पूर्व सैनिक	बेंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्ति	अन्य पिछड़ा वर्ग
ए	19	2	0	0	0	6
बी	7	1	0	0	0	1
सी	8	0	0	0	0	2
डी	1	0	0	0	0	0
कुल	**35**	**3**	0	0	0	**9**

5.2 शिकायत निवारण

शिकायत प्रकोष्ठ लोक शिकायत और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु कार्य कर रहा है।

5.3 कल्याणकारी योजनाएं:

(i) महिलाओं का कल्याण, विकास और सशक्तीकरण

फैगमिल महिलाओं के सशक्तीकरण का उचित ध्यान रख रही है।

(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण:

फैगमिल कर्मचारियों के कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक स्कीमों को भी कार्यान्वित कर रही है, जिसके अन्तर्गत कंपनी कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृति, शिक्षण शुल्क प्रदान करती है और बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री की लागत की प्रतिपूर्ति करती है।

(iii) बेंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्ति

अभी फैगमिल में कोई भी शारीरिक रूप से निःशक्त कर्मचारी नहीं है। तथापि, बेंचमार्क निःशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण को अभिशासित करने वाले मौजूदा नियमों के अनुसार, फेगमिल द्वारा अनुपालन किया जाता है।

6. निगमित सामाजिक दायित्व और सतत विकास

फेगमिल अपनी खदानों के आसपास स्थित गांवों में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जीवन–यापन की दशाओं की स्थिति में सुधार के लिए सामाजिक आर्थिक एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित करती है। फैगमिल ने एक सीएसआर स्कीम विकसित की है और इस पर पिछले तीन वर्षों के अपने औसत लाभ का कम से कम 2% खर्च करती है। वर्ष 2023–24 के दौरान 31.64 लाख रु. शिक्षा, स्वास्थ्य देख–भाल में सुधार, पेयजल सुविधाओं और सफाई आदि पर व्यय किए गये।

7. संगठन के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए पहल:

अन्य खनिजों के क्षेत्र में भी काम शुरू करना:

❖ **रॉक फॉस्फेट, जैसलमेर, राजस्थान:**

खनन पट्टे के लिए आवेदन राजस्थान सरकार के विचाराधीन है।

❖ अन्वेषण एजेंसी के रूप में प्रत्यायन:

केंद्र सरकार ने दिनांक 12.01.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मैसर्स फैगमिल को अधिसूचित सरकारी अन्वेषण एजेंसी के रूप में मान्यता दी है।

❖ फैगमिल कार्यनीतिक एवं महत्वपूर्ण खनिजों, विशेष रूप से उन उर्वरक खनिजों जिनके लिए भारत आयात पर निर्भर है, की ख़ोज पर ध्यान केन्द्रित करने की योजना बना रहा है।

❖ **डोलोमाइट, फलोदी, राजस्थान:**

खनन पट्टा हेतु आवेदन राजस्थान सरकार के पास प्रक्रियाधीन है।

8. मुख्य बातें:

श्री भगवंत खुबा, माननीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री तथा तत्कालीन सचिव (उर्वरक) श्री अरुण सिंघल की मौजूदगी में डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री को12.55 करोड़ रु. के लाभांश का चेक प्रस्तुत करते हुए ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौर, सीएमडी, फैगमिल।

6.8. हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)

1. संक्षिप्त अवलोकन :

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार), दुर्गापुर और हल्दिया (दोनों पश्चिम बंगाल में) में तीन इकाइयां थीं।

इकाइयों के प्रचालनों को बंद करना:

भारत सरकार ने सितंबर 2002 में एचएफसीएल के प्रचालनों को बंद करने और उसके सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) के तहत कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया।

बंद उर्वरक इकाइयों को पुनर्जीवित करना:

एचएफसीएल के पास उपलब्ध बुनियादी ढांचे और उर्वरकों की मांग पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने 04.08.2011 को बोली प्रक्रिया के माध्यम से बरौनी, दुर्गापुर इकाइयों और हल्दिया मंडल को पुनर्जीवित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

बंद इकाइयों को पुनर्जीवित करने संबंधी प्रगति:

बरौनी इकाई:

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जुलाई, 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के नामित उपक्रमों नामत: एनटीपीसी, सीआईएल और आईओसीएल के संयुक्त उद्यम द्वारा एफसीआईएल की सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों के साथ–साथ बरौनी इकाई को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। एचएफसीएल और एफसीआईएल भी संयुक्त उद्यम भागीदार होंगे, जिन्हें भूमि उपयोग और अन्य उपलब्ध बुनियादी ढांचे के बदले प्रत्येक परियोजना में 11% साम्या प्राप्त होगी। पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त उद्यम कंपनी, 'हिंदुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)' को निगमित किया गया है। एचएफसीएल के साथ रियायत समझौते, पट्टा समझौते और प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एचयूआरएल ने बरौनी संयंत्र को पुनर्जीवित करने का कार्य पूरा कर लिया है और 30.04.2023 को अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

2. विजन/मिशन:

एचएफसीएल की सभी बंद इकाइयों को पुनर्जीवित करना ताकि तीन बंद इकाइयों नामत: बरौनी, दुर्गापुर और हल्दिया मंडलों में से प्रत्येक में 1.27 एमएमटीपीए यूरिया की स्थापना करके देश में घरेलू यूरिया की उपलब्धता में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।

3. औद्योगिक/व्यावसायिक प्रचालन:

3.1 वास्तविक कार्य निष्पादन:

बरौनी इकाई: एचयूआरएल द्वारा उत्पादन (एचएफसीएल का संयुक्त उद्यम): **(एलएमटी में)**

उत्पाद	2022-23	2023-24
अमोनिया	1.16	5.99
यूरिया	1.74	10.57

3.2 वित्तीय कार्य निष्पादन:

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2022-23	2023-24 (अनंतिम)
अन्य आय	**17.98**	**40.43**
कर पूर्व लाभ	**12.62**	**37.23**
कर पश्चात लाभ	**10.29**	**30.72**

4. कार्य निष्पादन विशेषताएं:

4.1 नए निवेश/परियोजनाएं: बरौनी इकाई की भूमि और बुनियादी ढांचे का उपयोग नामित सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यम द्वारा किया गया है, जो एचएफसीएल को बुनियादी ढांचे और उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि के बदले में 11% साम्या प्रदान करेंगे।

4.2 रुग्ण/कमज़ोर इकाइयों को पुनर्जीवित करना: हल्दिया इकाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता को सौंपा जा रहा है/सरेंडर किया जा रहा है।

6.9 प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)

1 परिदृश्य

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पी डी आई एल) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के अंतर्गत आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसओ 45001:2018 प्रमाणित एवं आईएसओ/आईईसी 17020:2012 प्राप्त मिनी रत्न श्रेणी–1 का भारत सरकार का उपक्रम है। पीडीआईएल एक अग्रणी अभियांत्रिकी एवं परामर्शी संस्थान है जिसने भारतीय उर्वरक उद्योगों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है ।

छः दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, पीडीआईएल

- उर्वरक क्षेत्र की परियोजनाओं की परिकल्पना से प्रवर्तन में लाने तक डिजाइन, अभियंत्रणा एवं संबंधित परियोजना निष्पादन सेवाएं प्रदान करता है।
- अन्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है।
- अन्य क्षेत्रों जैसे तेल एवं गैस, परिशोधन, रसायन, मूलभूत संरचना, आफॅसाइट एवं यूटिलीटिज में सेवाएं प्रदान करता है;
- तृतीय पक्ष निरीक्षण के लिए प्रमाणित एजेंसी है और तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं नॉन–डिस्ट्रक्टिव अविनाशी जांच (एनडीटी) के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है ;
- 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 60 करोड़ रूपये और प्रदत्त पूंजी 17.30 करोड रूपये है ।

2 विजन/लक्ष्य

2.1 दृष्टिकोण

एक अग्रणी अभियंत्रणा एवं परियोजना प्रबंध परामर्शी संस्थान ।

2.2 लक्ष्य

i सभी ग्राहकों को सर्वथा उपयुक्त लागत, गुणवत्ता एवं समयबद्ध समन्वित तकनीकी वाणिज्य समाधान प्रदान करना ।

ii अभियंत्रणा परामर्श तथा परियोजना प्रबंध में सर्वोत्तम विधाओं का समावेश करते हुए विश्वस्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु अनवरत प्रयास करना ।

3. औद्योगिक /व्यवसाय प्रचालन–

3.1 वित्तीय निष्पादन:

(रूपये करोड़ में)

मानक	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24
टर्नऑवर	107.21	106.59
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	4.59	14.38
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	3.58	10.62

टिप्पणी - वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़े कंपनी के आगामी वार्षिक आम बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के कंपनी के वार्षिक खाते की स्वीकृति शेयरधारकों द्वारा जाने के अधीन हैं।

4. निष्पादन उपलब्धियां

नई परियोजनाएं / निवेश

- ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड, नामरूप (नामरूप–IV) में अमोनिया–यूरिया संयंत्र के लिए ईपीसीएम / पीएमसी सेवाएं ।
- मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, हेतु अमोनिया यूरिया संयंत्र, चरण–2 परियोजना के लिए ईपीसीएम/ पीएमसी सेवाएं ।
- भारत में कोयला / लिग्नाइट से मिथेनॉल / सिंथेटिक नेचुरल गैस/ डी मिथाइल ईथर परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं।
- ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन अमोनियम परियोजनाओं के लिए अभियंत्रणा एवं / अथवा परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं ।
- तेल एवं गैस तथा परिशोधन क्षेत्र की विविध परियोजनाओं हेतु परामर्शी सेवाएं
- आर सी एफ , थाल में अमोनिया संयंत्र में उर्जा बचत परियोजना, और डीएपी / एनपीके संयंत्र हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं।

5 मानव संसाधन प्रबंधन

5.1 जनशक्ति

31·03·2024 की स्थिति के अनुसार

(कर्मचारी (श्रेणी-वार)				
श्रेणी	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
ए	263	42	16	65
बी	14	4	1	2
सी	4	0	0	0
डी	0	0	0	0
कुल	**277**	**46**	**17**	**67**

5.2 शिकायत निवारण तंत्र :

संबंधित इकाइयों अर्थातः नोएडा एवं वडोदरा के कार्यालयों में शिकायत निवारण तंत्र गठित है ।आज की तिथि में पीडीआईएल में कोई भी शिकायत लंम्बित नहीं है ।

5.3 अल्पसंख्यकों का कल्याण

सरकारी निर्देशों के अनुसार अल्पससंख्यकों का पूरा ध्यान रखा जाता है ।

5.4 प्रशिक्षण

पीडीआईएल ने कंपनी में सभी स्थानो पर सभी श्रेणी के अधिकारियों एवं कार्मिकों के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में चिन्हित किया है।

6 निगमित सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास

कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति (सीएसआर) एवं सतत विकास नीति है और यह निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियां के तहत सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर का कार्य कर रही है ।

i) कंपनी ने वर्ष 2023–24 के लिए 30.48 लाख रूपये सीएसआर बजट के रूप में आवंटित किया है ।

ii) गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोएडा, के साथ एक रेफ्रिजरेटिड सेंट्रीफ्यूज उपलब्ध कराने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है ।

7. संस्थान के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु प्रयास

(i) व्यावसायिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास

- एजिस ग्रुप से 2 प्रस्तावित रेफ्रीजरेटिड एलपीजी / प्रोपेन भंडारण टर्मिनल के मूल डिजाइन एवं विस्तृत अभियंत्रणा सेवाओं हेतु 7.15 करोड रूपये का कार्य आदेश प्राप्त किया है ।
- आईओसीएल से हल्दिया रिफाइनरी में ईटीपी संशोधन कार्यो हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के लिए 5.69 करोड रूपये का कार्यादेश प्राप्त किया है ।
- ग्रीन अमोनिया एवं यूरिया परियोजनाओं और रसायन परियोजनाओं जैसे नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट, इत्यादि के लिए अभियंत्रणा और /अथवा परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं हेतु निविदा जमा की गयी ।

(ii) कंपनी के राजस्व अर्जन करने को प्रभावित किए बिना जहां तक संभव हो व्यय को नियंत्रित करने संबंधी उपाय किए गए है।

सिंदरी उर्वरक संयंत्र

गोरखपुर उर्वरक संयंत्र

बरौनी उर्वरक संयंत्र

अध्याय–7

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

7.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 15.06.2005 को अनुमति दी गई थी और दिनांक 21.06.2005 को इसे अधिसूचित किया गया था। अधिनियम की कुछ धाराएं अर्थात धारा 4(10), 5(1) और (2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 तत्काल प्रभाव से लागू हो गईं जो रिकार्ड/सूचना के रखरखाव और कंप्यूटरीकरण के लिए लोक प्राधिकारियों के उत्तरदायित्वों, लोक सूचना अधिकारियों को पदनामित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन, कुछ संगठनों को शामिल न करने आदि से संबंधित हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के शेष प्रावधान इसके अधिनियमन के 120वें दिन अर्थात 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुए।

7.2 आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में इस विभाग ने सीपीआईओ व अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किए हैं। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों को आरटीआई अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुपालन में विभाग द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:–

क. विभाग की वेबसाइट http://fert. nic.in पर सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए अलग से एक लिंक बनाया गया है जिसमें विभाग के बारे में अधिनियम के तहत अपेक्षित सामान्य सूचना उपलब्ध कराने वाली एक हैण्डबुक उपलब्ध है।

ख. सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारियों को पदनामित करने के आदेशों को अपेक्षित ब्यौरे सहित विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है और समय–समय पर इन्हें अद्यतन किया जाता है।

ग. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए कमरा सं. जी–12, भू–तल, ए–विंग, शास्त्री भवन में उर्वरक विभाग का जन सूचना केन्द्र का एक काउंटर खोला गया है।

7.3 विभाग ने सीआईसी की वेबसाइट (http://rti.gov.in) पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआई_एमआईएस)

साफ्टवेयर पर आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदन और अपील का पंजीकरण करना प्रारम्भ कर दिया है।

7.4 विभाग ने डीओपीटी के आरटीआई वेब पोर्टल http://rtionline.gov.in/RTIMIS पर आरटीआई आवेदन/अपीलें प्राप्त करना शुरू कर दिया है।

7.5 वर्ष 2023 के दौरान फिजिकल रूप में और ऑनलाइन 544 आवेदन तथा 37 अपीलें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 531 आवेदनों तथा 36 अपीलों को उक्त वर्ष के दौरान निपटाया गया और 544 आवेदनों में से शेष 13 आवेदनों तथा 37 अपीलों में से 01 अपील पर आवेदकों को उत्तर भेजने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

*****

अध्याय–8

सतर्कता कार्यकलाप

8.1 इस विभाग के सतर्कता कार्यकलापों में इस विभाग के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उपक्रम तथा तीन संयुक्त उद्यम शामिल हैं। सतर्कता प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव हैं, जिन्हें इस विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में पदनामित किया गया है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता एक निदेशक/उप सचिव, अवर सचिव और एक अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सतर्कता कर्मचारियों द्वारा की जाती है। सतर्कता संबंधी कार्यकलापों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और लोक उद्यम विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ढांचे के अंतर्गत किया जाता है। यह विभाग शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने और रोकथाम संबंधी दिशा–निर्देश तैयार करने में अति सक्रिय भूमिका निभाता है। विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास किए जाते हैं जिससे भ्रष्टाचार की संभावना में कमी आती है।

8.2 इस विभाग में 30 अक्तूबर से 05 नवंबर, 2023 तक ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान कर्मचारियों में सतर्कता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग में विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए गए। सचिव, उर्वरक विभाग द्वारा कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई और इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।

8.3 वर्ष 2023 के लिए लोक सेवकों की सम्मत सूची और संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले लोक सेवकों की सूची को अंतिम रूप देकर सीबीआई को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के सतर्कता प्रभाग में प्राप्त शिकायतों के संबंध में डीओपीटी तथा सीवीसी द्वारा जारी मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार जांच की जा रही है।

*****

अध्याय—9

राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

9. राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

9.1 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय—समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु उर्वरक विभाग सतत रूप से प्रयत्नशील है। विभाग, इसके संबद्ध कार्यालय एफआईसीसी तथा 07 उपक्रमों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य संयुक्त सचिव (एएस) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। उनकी सहायता के लिए दो उप निदेशक (राजभाषा), दो सहायक निदेशक (राजभाषा), तीन वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और एक कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद सृजित हैं। उर्वरक विभाग वर्ष 2023—2024 के दौरान हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रयासरत रहा है। इसके लिए संघ की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम को अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित कर दिया गया।

9.2 विभाग में सभी 262 कंप्यूटर यूनिकोड समर्थित द्विभाषी सुविधायुक्त हैं। पत्राचार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग के अधिकतर अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। विभाग द्वारा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध कार्यालय एफआईसीसी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कारगर उपाय किए गए हैं। किए गए इन उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

9.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को हिंदी में पत्र भेजना सुनिश्चित करने के लिए विभाग में बनाए गए जाँच बिन्दुओं के आधार पर कार्य—योजना तैयार की गई है। राज्य सरकारों के साथ हिंदी में मूल पत्राचार बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

9.4 हिन्दी प्रशिक्षण

विभाग का राजभाषा प्रभाग हिन्दी में

कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता के संबंध में एक रोस्टर तैयार कर रहा है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात राजभाषा प्रभाग उन कर्मचारियों की संख्या पता लगाने की स्थिति में होगा जिनको हिन्दी टंकण/आशुलिपिक/हिन्दी शब्द संसाधन/प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत आदि का प्रशिक्षण दिया जाना है। ऐसे कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण स्कीम के तहत केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाएगा।

9.5 राजभाषा हिन्दी से संबंधित रिपोर्ट

विभाग की तिमाही/वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार की गई और राजभाषा विभाग को भेजी गई तथा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कार्यालयों से प्राप्त उक्त रिपोर्टों की समीक्षा की गई।

9.6 वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2023–24 का वार्षिक कार्यक्रम प्राप्त किया और उसे विभाग के सभी अनुभागों और विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कार्यालयों में परिचालित किया गया।

9.7 राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी)

विभाग में संयुक्त सचिव (एएस) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। यह समिति विभाग तथा इसके संबद्ध कार्यालय एफआईसीसी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के 07 उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की तिमाही आधार पर नियमित रूप से समीक्षा करती है। यह समिति राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित सुझाव देती है और उपायों की सिफारिश करती है।

9.8 हिंदी सलाहकार समिति

सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देने के उद्देश्य से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति, जो रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग, औषध विभाग और उर्वरक विभाग की संयुक्त समिति है, का पुनर्गठन उर्वरक विभाग के दिनांक 11.10.2021 के संकल्प सं.ई.11014/2/2019–राजभाषा के जरिये किया गया है। माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) की अध्यक्षता में इस समिति की बैठक दिनांक 30 मई, 2023 को इंडिया हैबीटैट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

9.9 हिन्दी में मूल टिप्पण/प्रारूप लेखन के लिए प्रोत्साहन योजना

हिंदी में टिप्पण/प्रारूप लेखन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई प्रोत्साहन योजना इस विभाग में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 5000/–रु. के दो प्रथम पुरस्कार, 3000/–रु. के तीन द्वितीय पुरस्कार और 2000/–रु. के पांच तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 2022–23 के लिए कुल 7

(सात) प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

9.10 हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी का संदेश विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी उपक्रमों को परिचालित किया गया। विभाग में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2023 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिंदी निबन्ध लेखन, हिंदी टंकण, हिंदी में आशुभाषण, हिंदी टिप्पण और प्रारूप लेखन (हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषियों के लिए अलग–अलग) सामान्य ज्ञान तथा राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया और कुल 33 पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी पखवाड़ा प्रतियोगिता की प्रथम, द्वितीय तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार राशि क्रमशः 5000 रु., 4000 रु., 3000 रु. और 2000 रु. है।

9.11 हिन्दी कार्यशालाएं

कर्मचारियों की हिंदी में काम करने की झिझक को दूर करने और अधिकाधिक काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभाग में दिनांक 22 और 25 सितंबर, 2023 को 2 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं के विषय क्रमशः "हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरना" तथा "कम्प्यूटर पर हिंदी में काम करने की सुविधाएं और आईटी टूल" थे। इन कार्यशालाओं में कुल 37 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

9.12 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निरीक्षण

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की देखरेख करने की दृष्टि से पिछले एक वर्ष के दौरान विभाग के 07 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया गया।

*****

डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक) की अध्यक्षता में दिनांक 30 मई, 2023 को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक) हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का दीप प्रज्ज्वलित करते हुए

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तीनों विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों से चर्चा करते हुए।

14 से 28 सितंबर 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अध्याय–10

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और बेंचमार्क निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों का कल्याण

10.1 उर्वरक विभाग में मौजूदा स्टाफ की समूहवार कुल संख्या नीचे चित्र में दी गई है; विभाग में सेवाओं के विभिन्न समूहों में अनुसूचित जाति (अ.जा), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा), अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व) व बेंचमार्क निशक्तता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों की भर्ती व पदोन्नति के संबंध में सरकार के अनुदेशों को कार्यान्वित करने पर पूरा ध्यान दिया गया है।

10.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बेंचमार्क निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु श्री जोहन तोपनो, उप सचिव को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बेंचमार्क निःशक्तताओं वाले व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु संपर्क अधिकारी तथा श्री पदमसिंग प्रदीपसिंग पाटिल, निदेशक को अन्य पिछड़ा वर्ग के संपर्क अधिकारी के रूप मे नामित किया गया है!

उर्वरक विभाग में स्टाफ की स्थिति (समूह–वार)

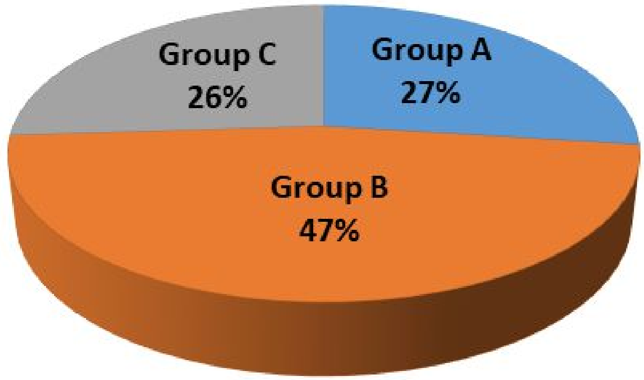

महिला सशक्तीकरण

10.3 महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू (पीपीआर) अधिनियम] के प्रख्यापन और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियमावली, 2013 [एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू (पीपीआर) नियम] की 9.12.2013 की अधिसूचना के अनुसरण में सरकार ने 19.11.2014 को केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 और वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली 1965 में संशोधन को अधिसूचित किया है।

10.4 मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, विभाग में यौन उत्पीड़न से संबंधित विशाखा दिशानिर्देशों के तहत उपलब्ध शिकायत समिति तंत्र का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। समिति की अध्यक्षता एक महिला अधिकारी सुश्री गीता मिश्रा द्वारा की जा रही है जो इस विभाग में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य हैं जिसमें से एक सदस्य की नियुक्ति विभाग के बाहर से, अधिमानतः महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे एनजीओ से, की जाती है। समिति प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करती है। वर्ष 2023–24 में (31.12.2023 तक) यौन उत्पीड़न के किसी मामले की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

*****

अनुलग्नक-I

उर्वरक विभाग की संगठनात्मक संरचना

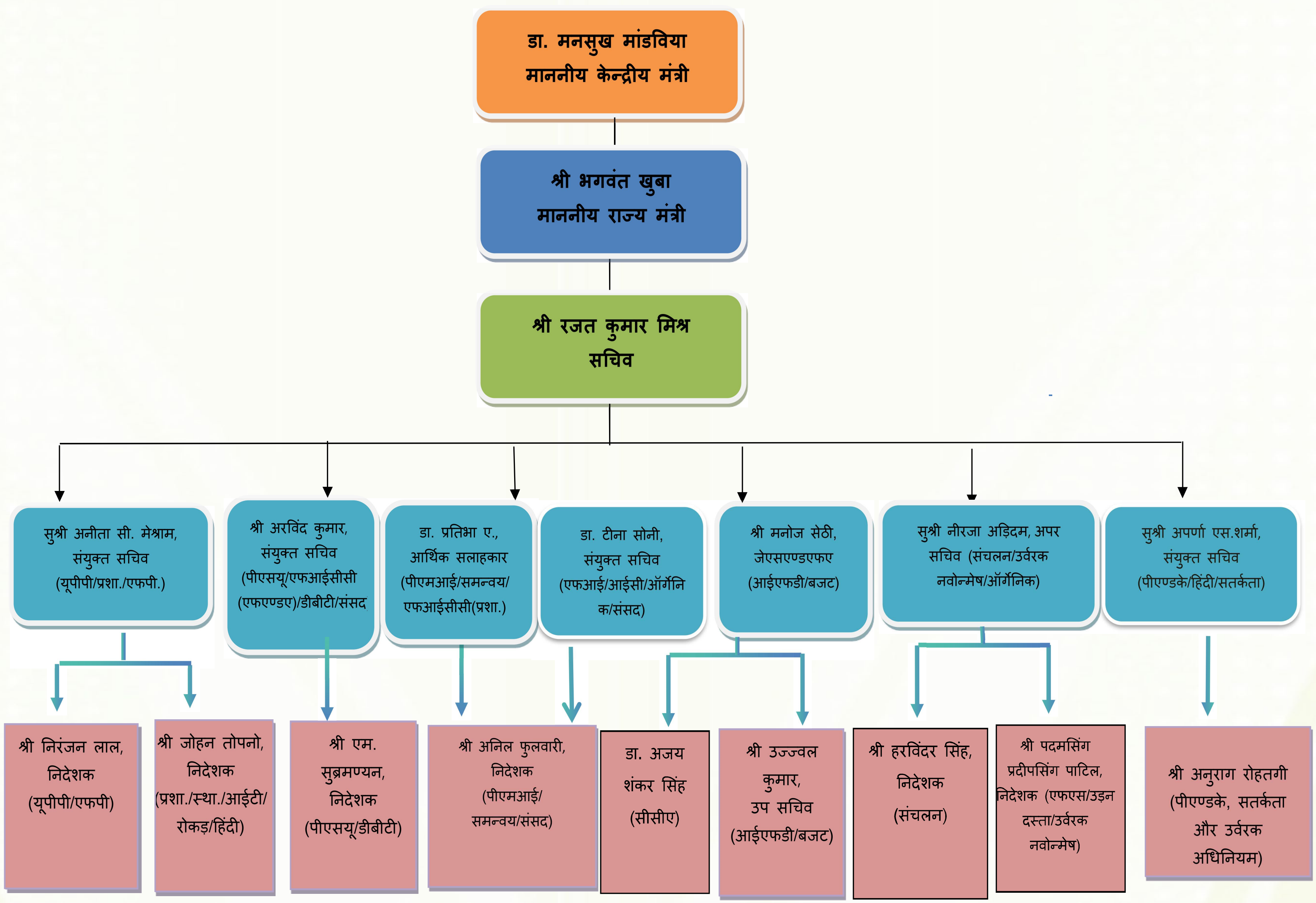

अनुलग्नक-II

भारत सरकार

कार्य आवंटन नियमावली, 1961

के अनुसार उर्वरक विभाग को आवंटित विषयों की सूची

1. नामित कैनालाइजिंग एजेंसी के माध्यम से उर्वरक के आयात सहित उर्वरक उत्पादन के लिए योजना बनाना।
2. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार यूरिया के संचलन और वितरण के लिए आवंटन और आपूर्ति लिंकेज।
3. रियायत स्कीमों का अभिशासन तथा नियंत्रित और नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए सब्सिडी के प्रबंधन के साथ-साथ यूरिया के लिए प्रतिधारण मूल्य, नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की रियायत की मात्रा, ऐसे उर्वरकों का मूल्य निर्धारण तथा फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों का मूल्य निर्धारण।
4. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1960 का अभिशासन।
5. सहकारी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन इकाइयों, अर्थात इंडियन फार्मर्स को-ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), कृषक भारती को-ऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) की प्रशासनिक जिम्मेदारी।
6. इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) की प्रशासनिक जिम्मेदारी।

अनुलग्नक-III

प्रमुख उर्वरक उत्पादन इकाइयों की क्षेत्र-वार क्षमता

क्र.सं.	राज्य का नाम	उर्वरक उत्पादन इकाइयों/स्थानों का नाम	01.04.2024 की स्थिति के अनुसार उत्पादित उर्वरक और उनकी क्षमता ('000' मी.टन में)			
			पुनराकलित क्षमता	कंपनी के अनुसार स्थापित क्षमता (01.04.2023 की स्थिति के अनुसार)		
सार्वजनिक क्षेत्र			यूरिया	डीएपी	मिश्रित उर्वरक	अमोनियम सल्फेट
1	हरियाणा	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड:पानीपत	511.50	-	-	-
2	मध्य प्रदेश	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड: विजयपुर-I	864.60	-	-	-
3		नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड:विजयपुर-II	864.60	-	-	-
4	पंजाब	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड:-नांगल-II	478.50	-	-	-
5		नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड: भटिण्डा	511.50	-	-	-
6	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड:ट्राम्बे	330.00	-	420.00	-
7		राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड:थल	1706.90	-	-	-
	असम	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लि.:नामरूप-II	240.00			
8		ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लि.:नामरूप-III	315.00	-	148.50	-
9	केरल	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि.:उद्योगमंडल	-	-	544.50	225.00
10		फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि.:कोचीन	-	-	485.00	-
11	तमिलनाडु	मद्रास फर्टिलाइजर लि.:चेन्नई	486.75	-	280.00	-
सहकारी क्षेत्र						
12	गुजरात	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि.:कांडला	-	1200.00	1215.4	-
13		इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि.:कलोल	544.50	-	-	-
14	ओडिशा	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि.: पारादीप	-	1450.00	470.00	-
15	उत्तर प्रदेश	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि.:फूलपुर-I	551.10	-	-	-
16		इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि.:फूलपुर-II	864.60	-	-	-
17		इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि.: आंवला-I	864.60	-	-	-

18		इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि.: आंवला-II	864.60	-	-	-
19	**गुजरात**	कृषक भारती को-आपरेटिव लि.: हजीरा	1729.20	-	-	-
निजी क्षेत्र						
20	**आंध्र प्रदेश**	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.:काकीनाड़ा-I	597.30	-	-	-
21		नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.:काकीनाड़ा-II	597.30	-	-	-
22		कोरोमंडल इंटरनेशनल लि.: काकीनाड़ा	-	0.00	1925.00	-
23		कोरोमंडल इंटरनेशनल लि.: वाइजैग	-	0.00	1300.00	-
24	**गोवा**	पारादीप फास्फेट लि. (पहले जेडएसीएल-गोवा)	399.30	200.00	586.00	-
25	**गुजरात**	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.:भरूच	636.90	-	142.50	-
26		गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.:वड़ोदरा	370.59	-	200.00	459.00
27		गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.:सिक्का	-	722.00	0.00	-
28	**कर्नाटक**	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.:मंगलौर	379.50	20.00	240.00	-
29	**महाराष्ट्र**	महाधन एग्रीटैक लिमिटेड/स्मार्टकेम/डीएफपीसीएल:तलोजा	-	-	880.00	-
30	**ओडिशा**	पारादीप फॉस्फेट लि.:पारादीप	-	725.00	895.00	-
31	**राजस्थान**	चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.: गड़ेपान-I	864.60	-	-	-
32		चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.: गड़ेपान-II	864.60	-	-	-
33		चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.: गड़ेपान-III	1270.50	-	-	-
34		श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.:कोटा	379.50	-	-	-
35	**तमिलनाडु**	कोरोमंडल इंटरनेशनल लि.: एन्नोर	-	-	0.00	-
36		सदर्न पेट्रोकेमिकल इंड. कॉरपोरेशन लि.:तूतीकोरिन	620.40	-	-	-
37		ग्रीनस्टार फर्टिलाइजर लि: तूतीकोरिन	-	513.40	386.58	-
38	**तेलंगाना**	रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (आरसीएफएल)	1270.50	-	-	-
39	**उत्तर प्रदेश**	इण्डोरमा/ग्रासिम/आईजीएफ : जगदीशपुर	864.60	-	-	-
40		यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्रा.लि./टीसीएल:बबराला	864.60	-	-	-
41		केएफएल/कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लि.:शाहजहांपुर	864.60	-	-	-
42		कानपुर फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स : पनकी	722.70	-	-	-
43		हिंदुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लि.(एचयूआरएल): गोरखपुर	1270.50			

44	**पश्चिम बंगाल**	इण्डोरमा इंडिया/टीसीएल: हल्दिया	-	558.00	945.50	-
45		मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.:पानागढ़	1270.50	-	-	-
46	**बिहार**	हिंदुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लि.(एचयूआरएल): बरौनी	1270.50			
47	**झारखण्ड**	हिंदुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लि.(एचयूआरएल): सिंदरी	1270.50			
48	**मध्य प्रदेश**	मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लि.(एमबीएपीएल-II)			240.00	
49		कृष्णा फॉस्केम लि. इंड.			330.00	
		योग	**28377.44**	**5388.40**	**11633.98**	**684.00**

अनुलग्नक – IV

यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का वर्ष-वार उत्पादन			
उत्पादन (आंकड़े एलएमटी में)			
वर्ष	**यूरिया**	**डीएपी**	**मिश्रित उर्वरक**
2011-12	219.84	39.63	77.70
2012-13	225.75	36.47	61.80
2013-14	227.15	36.11	69.13
2014-15	225.85	34.44	78.32
2015-16	244.75	37.87	83.01
2016-17	242.01	43.65	79.66
2017-18	240.23	46.50	82.57
2018-19	238.99	38.99	89.98
2019-20	244.58	45.50	86.61
2020-21	246.05	37.74	93.21
2021-22	250.72	42.22	83.27
2022-23	284.94	43.47	92.95
2023-24 (मार्च 24 तक)	314.09	42.93	95.48

स्रोत: dbtfert.nic.in

अनुलग्नक-V

2018-19 से 2023-24 के दौरान यूरिया का संयंत्र-वार वास्तविक उत्पादन

(आंकड़े एलएमटी में)

संयंत्र का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
सार्वजनिक क्षेत्र						
एनएफएल:नांगल-II	5.41	5.75	5.47	5.32	5.45	5.21
एनएफएल:भटिंडा	5.84	5.63	5.77	5.29	5.82	4.72
एनएफएल:पानीपत	5.74	5.52	5.83	4.69	5.70	5.30
एनएफएल:विजयपुर	10.29	9.84	9.66	10.41	10.50	10.43
एनएफएल:विजयपुर विस्तार	11.32	10.53	11.27	9.55	11.87	11.24
कुल(एनएफएल):	**38.59**	**37.27**	**37.99**	**35.25**	**39.34**	**36.89**
बीवीएफसीएल:नामरूप-II	0.58	0.46	0.02	0.00	0.00	0.00
बीवीएफसीएल:नामरूप-III	2.29	1.10	1.30	1.70	2.23	1.80
कुल(बीवीएफसीएल):	**2.86**	**1.56**	**1.32**	**1.70**	**2.23**	**1.80**
आरसीएफ:ट्रॉम्बे-V	3.92	3.25	3.39	3.27	3.16	3.39
आरसीएफ: थल	19.84	20.22	19.12	18.59	18.80	18.42
कुल(आरसीएफ):	**23.75**	**23.47**	**22.51**	**21.86**	**21.96**	**21.81**
एमएफएल: (चेन्नई)	3.94	3.45	4.81	5.04	5.20	4.33
कुल (सार्वजनिक क्षेत्र):	**69.15**	**65.75**	**66.63**	**63.85**	**68.73**	**64.83**
सहकारी क्षेत्र						
इफको:कलोल	6.02	6.02	6.24	5.45	6.62	6.19
इफको:फूलपुर	6.71	7.50	7.06	6.40	6.51	7.05
इफको:फूलपुर विस्तार	10.48	12.16	10.64	8.38	12.24	12.00
इफको:आंवला	11.22	12.20	11.04	12.07	11.52	12.26
इफको:आंवला विस्तार	11.18	10.87	11.77	11.32	11.92	11.36
कुल (इफको):	**45.62**	**48.75**	**46.75**	**43.61**	**48.80**	**48.86**
कृभको:हजीरा	23.42	23.31	23.23	22.08	22.21	23.35
कुल (सहकारी क्षेत्र):	**69.04**	**72.05**	**69.99**	**65.69**	**71.01**	**72.21**
कुल (सार्व.+सह.):	**138.20**	**137.80**	**136.61**	**129.53**	**139.75**	**137.04**
निजी क्षेत्र						
जीएसएफसी:वड़ोदरा	3.71	3.21	3.71	3.63	3.71	3.77
एसएफसी:कोटा	3.90	3.87	4.01	3.92	3.98	4.10
केएफसीएल (डीआईएल):कानपुर	6.73	7.23	6.72	6.73	6.28	6.85
पीपीएल/जेडएसीएल:गोवा	4.09	2.33	4.66	4.34	4.25	3.47
स्पिक:तूतीकोरिन	6.52	5.50	6.20	6.20	7.59	5.23
एमसीएफ:मंगलोर	3.50	3.80	3.54	4.29	3.32	4.35
जीएनएफसी:भरूच	6.45	6.91	6.43	6.61	6.38	6.41
इण्डोरमा/ग्रासिम:जगदीशपुर	11.37	11.15	10.95	10.45	11.17	11.38
एनएफसीएल:काकीनाड़ा-I	3.89	3.28	5.28	7.53	6.08	6.45
एनएफसीएल:काकीनाड़ा-II	1.96	3.65	2.16	1.61	5.13	6.65

सीएफसीएल:गड़ेपान-I	11.33	9.51	11.15	10.10	10.22	10.40
सीएफसीएल:गड़ेपान-II	9.87	10.45	9.62	9.49	10.39	9.58
सीएफसीएल:गड़ेपान-III	3.83	12.70	12.70	13.55	12.86	13.84
यारा/टीसीएल:बबराला	13.01	12.84	11.55	12.98	11.82	12.31
केएफएल/केएसएफएल:शाहंजहापुर	10.64	10.34	10.74	9.65	10.95	10.66
मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	0.00	0.00	0.00	6.29	10.52	14.99
आरएफसीएल-यूरिया		0.03	0.02	3.83	8.41	11.12
एचयूआरएल-गोरखपुर					8.66	13.50
एचयूआरएल-बरौनी					1.74	10.57
एचयूआरएल-सिंदरी					1.74	11.44
कुल निजी क्षेत्र:	**100.80**	**106.77**	**109.44**	**121.19**	**145.20**	**177.06**
कुल (सार्वजनिक+सहकारी+निजी):	**238.99**	**244.58**	**246.05**	**250.72**	**284.94**	**314.10**

स्रोत: dbtfert.nic.in

अनुलग्नक–VI

सं0 12012/3/2006-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 8 मार्च, 2007

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक,
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति,
8वां तल, सेवा भवन,
आर के पुरम, नई दिल्ली

विषय: यूरिया उत्पादन इकाइयों के लिए नई मूल्य-निर्धारण योजना के चरण-।।। हेतु नीति

महोदय,

मुझे इस विभाग के पत्र सं0 12019/5/98-एफपीपी दिनांक 30 जनवरी, 2003 तथा सं0 12019/19/2003 एफपीपी दिनांक 29-7-2003 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा दिनांक 1-4-2003 को लागू की गई नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के चरण-। और ।। की मुख्य विशेषताएं सूचित की गई थीं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सूचित किया गया था कि उर्वरक विभाग द्वारा चरण-।।। की पद्धति पर चरण-। और चरण-।। के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि आगे दिए गए पैराओं में निहित अनुसार कुछ संशोधनों सहित एनपीएस के चरण-।।। को कार्यान्वित किया जाए।

(क) अवधि

2. नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-।।। की नीति 1-10-2006 से 31-3-2010 तक प्रभावी होगी। चरण-।। की नीति को 30-9-2006 तक बढ़ाया गया है। एनपीएस के चरण-।।। के दौरान यूरिया के अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहित करने की नीति अधिसूचना की तारीख से लागू होगी और तब तक इकाइयों द्वारा उनकी क्षमता के 100% से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन सरकार और इकाई के बीच 65:35 के अनुपात में निवल लाभ को बाटने की मौजूदा नीति द्वारा अधिशासित होगा।

(ख) यूरिया इकाइयों का समूह बनाना

3. एनपीएस के चरण-।।। के दौरान यूरिया इकाइयों की रियायत दरों की गणना करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :-

(i) मौजूदा छः समूहों का वर्गीकरण **अनुलग्नक-।-क** में दिए अनुसार जारी रहेगा।

(ii) 31-3-2003 तक सभी लागत को बढ़ाने के बाद समह का औसत बनाया जाएगा।

(iii) दिनांक 31-3-2003 तक यूरिया इकाइयों की मूल रियायत दरों की गणना करने के लिए 92 पूर्व नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस आधारित संयंत्रों के लिए 93% तथा 92 पूर्व गैस, 92 उपरान्त नेफ्था तथा मिश्रित ऊर्जा आधारित संयंत्रों के लिए 98% के क्षमता उपयोग स्तर पर विचार किया जाएगा।

(iv) गैस की परिवहन लागत की गणना करके उसका अलग से भुगतान किया जाएगा।

(v) एनपीएस के चरण-I के दौरान अपनाए गए पैटर्न पर तय किए गए अनुसार 1-4-2003 तक सभी यूरिया इकाइयों की अद्यतन नोशनल रियायत दरें 1-10-2006 से शुरू होने वाले एनपीएस के चरण-III के दौरान प्रत्येक यूरिया इकाई को देय रियायत दर की गणना के आधार पर होंगी। एनपीएस के चरण-III में किसी इकाई को बाहरी इकाई का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(vi) प्रत्येक इकाई के लिए इस प्रकार तय की गई मूल रियायत दर पर वास्तविक आधार पर परिवर्तन लागत के घटकों पर केवल वृद्धि और कमी दी जाएगी बशर्ते चरण-III में पूर्व-निर्धारित ऊर्जा मानदण्ड दिए गए हों।

(vii) कम पूंजीगत संबंधित प्रभारों (सीआरसी)के लिए 92-पूर्व नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस आधारित रियायत दरों से 50 रुपए/मी.टन की तथा अन्य इकाइयों से 75 रुपए/मी.टन की कटौती की जाएगी।

(viii) एनपीएस के चरण-II के दौरान प्रत्येक यूरिया इकाई की संबंधित पूर्व-निर्धारित ऊर्जा खपत मानदण्ड या वर्ष 2002-03 के दौरान प्राप्त वास्तविक ऊर्जा खपत जो भी कम हो, को एनपीएस के चरण-III के मानदण्ड के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(ix) एनपीएस के चरण-III के दौरान प्रयुक्त फीड/ईंधन की भारित औसत की मूल दर के अनुसार पूर्व-निर्धारित मानदण्डों पर ऊर्जा बचत का भुगतान किया जाएगा।

(ग) <u>**बन्द पड़ी इकाइयों द्वारा यूरिया उत्पादन को पुन: प्रारंभ करना**</u>

4. वर्तमान में उत्पादन न कर रही यूरिया इकाइयों अर्थात आरसीएफ-ट्राम्बे-V, फैक्ट-कोचीन और डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड(डीआईएल) कानपुर उत्पादन को पुन: प्रारंभ करने की अनुमति प्राकृतिक गैस/एलएनजी/सीबीएम/कोयला गैस का इस्तेमाल करने पर दी जाएगी। उत्पादन पुन: शुरू होने पर इन इकाइयों की मूल रियायत दर समूह के चरण-III की रियायत दर होगी जिससे वे संबंधित है, या उनकी निजी रियायत दर को सभी लागत के लिए 31-3-2003 तक अद्यतन बनाया जाएगा और तत्पश्चात् फीडस्टॉक बदलने के लिए समायोजित किया जाएगा, जो भी कम हो।

(घ) <u>**गैर-गैस आधारित इकाइयों को एनजी/एलएनजी में परिवर्तित करना**</u>

5. (i) सभी कार्यात्मक नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयों को 3 वर्ष की अवधि में परिवर्तित किया जाना चाहिए (इनमें से श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (एसएफसी) कोटा को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक परिवर्तित किए जाने की संभावना है। उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर सरकार गैर-गैस आधारित यूरिया इकाइयों द्वारा उत्पादित उच्च लागत यूरिया पर राजसहायता नहीं दी जाएगी और ऐसी इकाइयों की रियायत की दर प्रचलित आयात सममूल्य (आईपीपी) की न्यूनतम दर या उनकी निजी

दर पर सीमित होगी। गैस प्राप्त न करने वाली इकाइयों को कोल बेड मिथेन (सीबीएम) और कोयला गैस जैसे वैकल्पिक फीडस्टॉक की संभावनाओं की खोज करनी होगी।

(ii) गैस में परिवतित करने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, चूंकि इकाइयों द्वारा परिवर्तन के लिए किए गए निवेश को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, अत: नेफ्था तथा एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयों के लिए 5 वर्ष की निर्धारित अवधि हेतु ऊर्जा दक्षता को नहीं लिया जाएगा। एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयों के लिए पूंजीगत राजसहायता पर विचार किया जाएगा जिसके लिए उर्वरक विभाग, व्यय विभाग(डीओई) वित्त मंत्रालय के परामर्श से एक अलग योजना अधिसूचित करेगा।

(iii) गैर-गैस आधारित यूरिया संयंत्रों को प्राकृतिक गैस(एनजी)/तरलीकृत प्राकृतिक गैस(एलएनजी) में परिवर्तन करने के लिए पेट्रोलियम सचिव की अध्यक्षा में एक समिति, जिसमें योजना आयोग, उर्वरक विभाग और व्यय विभाग के सचिव शामिल हैं, का गठन किया गया है ताकि गैर-गैस आधारित इकाइयों को गैस में परिवर्तित करने के लिए कनेक्टिविटी और गैस की आपूर्ति की सुविधा दी जा सके तथा गैस के मूल्य को पारदर्शी ढ़ग में निर्धारित करके पारदर्शी करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली विकसित की जा सके।

(ड.) अतिरिक्त यूरिया उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

6. देश में अतिरिक्त यूरिया के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) इकाई की पुन:आकलित यूरिया क्षमता के 100% से अधिक का उत्पादन करने के लिए सरकार से किसी अनुमति की जरूर त नहीं होगी।

(ii) मौजूदा पुन: आकलित क्षमता के 100 % के बीच के सभी उत्पादन की यदि सरकार को अनुमोदित उत्पादन योजना के अनुसार जस्रत होगी तो इसे सरकार और इकाई के बीच क्रमश: 65:35 के अनुपात में प्रोत्साहित किया जाएगा, बशर्ते कि इकाइयों को दी जाने वाली कुल राशि के परिवर्तन लागत के घटक में शामिल करने के बाद इकाई की निजी रियायत दर पर निर्धारित किया जाए।

(iii) 110% से अधिक का उत्पादन करने वाली इकाइयों को मुआवजा उनकी रियायत दर पर किया जाएगा बशर्ते कि आईपीपी को समग्र रूप से निर्धारित किया जाएगा।

(iv) यूरिया इकाइयों की पुन: आकलित क्षमता के 100% से अधिक अतिरिक्त यूरिया प्राप्त करते समय प्रापण की गुणावगुण आर्डर प्रणाली का पालन किया जाएगा। दूसरे शब्दों में ऐसी इकाइयों जो न्यूनतम लागत पर यूरिया की आपूर्ति करती हैं, प्रापण में वरियता दी जाएगी ।

(v) अनुमेय फीडस्टॉक/ईंधन की लागत सरकार द्वारा किसानों को बिक्री के लिए अपेक्षित यूरिया के बढ़े हुए उत्पादन के उपयोग पर यूरिया के वार्षिक वास्तविक उत्पादन की खपत के वास्तविक अनुपात के संदर्भ में गैस/एलएनजी/नेफ्था आदि के अनुपात में होगी। गैर-कृषि बिक्री/आयात के लिए ऊर्जा/आदान तथा अधिशेष अमोनिया महंगे फीड/ईंधन आधार पर आबंटित की जाएगी ।

(vi) यह देखते हुए कि सरकार किसानों को सीधे बिक्री के लिए अतिरिक्त उत्पादन की किसी मात्रा की जरूरत नहीं है, संबंधित इकाइयां बकाया मात्रा का निर्यात, मिश्रित उत्पादकों को बिक्री आदि के जरिए निपटान कर सकती है जिसके लिए उर्वरक विभाग की पूर्व अनुमति की जरूरत नही होगी।

(vii) सरकार अतिरिक्त उत्पादन पर राजसहायता नहीं देगी यदि इसकी कृषि खपत के लिए जरूरत नहीं है।

(च) वितरण और संचलन मुद्दे

7. जिला और उसके नीचे के स्तर पर यूरिया के संचलन के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू करने का निणृय लिया गया है:-

(i) सरकार स्थिति की तात्कालिकता के आधार पर 50% तक के उत्पादन को यूरिया स्टॉक के प्रत्यक्ष संचलन संबंधी प्राधिकार को बनाए रखेंगी।

(ii) राज्यों को नियोजित यूरिया आवक अर्थात जिलावार, माह-वार और आपूर्ति-वार प्रपत्र में नियंत्रित और नियंत्रणमुक्त यूरिया की सम्पूर्ण मात्रा को आबंटित करना होगा।

(iii) प्रत्येक इकाई को जिलों में जिला स्तर स्टॉक प्लाइंट को बनाए रखेगा जहां उसे यूरिया की आपूर्ति करनी होगी। ये जिला स्तरीय स्टॉक प्वांइट प्राथमिक गोदाम होंगे।

(iv) व्यक्तिगत इकाइयों को राजसहायता की प्रतिपूर्ति नियंत्रित और नियंत्रणमुक्त यूरिया दोनों के लिए जिला स्तर पर नियोजित संचलन के अनुरूप होगी। देशभर में यूरिया के संचलन और वितरण की निगरानी एक ऑन-लाइन कंप्यूटर आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाएगी। मौजूदा भुगतान प्रणाली की समय-सीमा अर्थात् 45 दिनों का पालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यूरिया इकाइयों को राजसहायता जारी करने के लिए राज्य सरकारों से किसी प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी। राजसहायता तभी दी जाएगी जब यूरिया जिलों में पहुंच जाएगा।

(v) विभाग राज्य संस्थावत एजेंसियों/उर्वरक कंपनियों के माध्यम से उनकी मौसमी आवश्यकता के 5% तक की सीमा तक बफर स्टॉक का संचलन करेगा।

(vi) ब्लॉक स्तर पर यूरिया की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग राज्यों के कृषि विभाग के माध्यम से कार्य करेगा।

8. एनपीएस-।।। के अंतर्गत यूरिया इकाइयों को भाड़ा प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जाएगी:-

(i) प्राथमिक भाडे की प्रतिपूर्ति रेल संचलन की वास्तविक दूरी के आधार पर की जाएगी;

(ii) रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के अनुसार होगी।

(iii) प्राथमिक भाड़े के सड़क घटक के लिए सड़क दूरी प्राथमिक गौदाम तक वास्तविक दूरी के अनुसार होगी तथा प्रति टन कि.मी. दरों में मिश्रित सड़क परिवहन सूचकांक (एचएसडी तेल, मोटर टायर ट्रक चेसीस और सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के भारित औसत) द्वारा वृद्धि की जाएगीं;

(iv) सड़क वाहनों पर 9 मी.टन की अधिकतम ट्रकभार सीमा संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रभाव को दूर करने के लिए प्राथमिक भाड़े के सड़क घटक पर 33% की एक बारगी वृद्धि की जाएगी।

(v) टेरिफ कमीशन से गौण संचलन के मामले में सड़क परिवहन के लिए औसत दूरी तथा सड़क परिवहन के लिए प्रति टन कि.मी. आधार दरों को निर्धारित करने का अनुरोध किया जाएगा। इन दरों को डब्ल्यूपीआई(मिश्रित सड़क परिवहन सूचकांक) द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा;

(vi) टैरिफ कमीशन द्वारा दूरी और दरों को अंतिम रूप दिए जाने तक गौण भाड़ा, जिसे एनपीएस के चरण-। और ।। के दौरान 2002-2003 की दरो पर स्थिर कर दिया गया था, को 2002-2003 से डब्ल्यूपीआई (मिश्रित सूचकांक) में वृद्धि/कमी के अनुसार बढ़ाया जाएगा;

(vii) नीति के अनुसार परिकलित और दिया गया भाड़ा इकाइयों द्वारा खर्च किए गए वास्तविक भाड़ा व्यय से अधिक नहीं होना चाहिए;

(viii) विशेष भाड़ा राजसहायता के लिए मौजूदा योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर को आपूर्तियां की जाती रहेंगी।

(छ) उच्च लागत इकाइयों से संबंधित नीति(आईपीपी से अधिक उत्पादन करने पर)

9. नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस आधारित 8 इकाइयों, जिनकी उत्पादन लागत मौजूदा आईपीपी से अधिक हैं, की उच्च उत्पादन लागत को हतोत्साहित करने से, उनकी गैस में शीघ्र परिवर्तित करने के उद्देश्य से इन इकाइयों को 100% क्षमता तक उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि वे गैस में परिवर्तित करने के लिए एक सहमत समय-तालि का का पालन करें और गैस/एलएनजी/सीबीएम/कोयला गैस के लिए अनुबंध करें। यदि वे ऐसा नहीं करते है तो उन्हें पहले वर्ष (1-4-2007 रियायत दर और परिवर्तन लागत घटक (अर्थात् क्षमता उपयोग के 93% से अधिक की संतुलित निर्धारित लागत के 75 % तक) के बीच अंतर का केवल 75% और दूसरे वर्ष (1-4-2008) के बाद से 93% क्षमता उपयोग के बाद निर्धारित लागत का 50% ही दिया जाएगा।

(ज) यूरिया के आयात की नीति

10. विनिर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) अर्थात् खनिज और धातुव्यापार निगम(एमएमटीसी), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के जरिए यूरिया के आयात की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी।

(झ) विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने संबंधी नीति

11. ऐसे देशों जहां गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, में संयुक्त उद्यम उर्वरक संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने के लिए यूरिया के उत्पादन हेतु, संयुक्त उद्यमों को विदेशों में स्थापित किया जाएगा बशर्ते कि सरकार गुण व गुण आधार पर विदेशों में संयुक्त उद्यमों के समय दीर्घविधि वापस खरीद का समझौता करे प्रोत्साहन दें तदनुसार, दीर्घावधि उर्वरक संबंधी आपूर्तियों को कारगर ढंग से बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी जिसमें निवेश और विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाना शामिल होंगे।

(ञ) अन्य उपाय

12. बैगों की लागत

बैगों की लागत, जिसे एनपीएस के चरण-। और ।। के दौरान स्थिर कर दिया गया था, कि पिछले तीन वर्षो में हुई मूल्य वृद्धि के लिए बैंगो की चल भारित औसत लागत के आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ष 2006-2007 के लिए प्रत्येक इकाई के लिए बैगों की लागत भारित औसत वर्ष 2002-03 के प्रारभ से तीन वर्ष होगी और तदनुसार तीन वर्ष के लिए तय की जाएगी।

13. **आदानों पर कर**

चरण-।।। के लिए यह निर्ण्ाय लिया गया है कि आरपीएस के अंतर्गत मान्य आदानों पर बिक्री कर और अन्य करों का वास्तविक आधार पर भुगतान किया जाएगा। जहां मूल्य संवर्धित (वैट) लागू किया गया है, इसमें ऐसे समायोजित उपर्युक्त करों का उस सीमा तक मान्यता दी जाएगी जिस सीमा तक वे मूल्य संवर्धित नहीं हैं।

नीति की व्याख्या से संबंधित किसी मुद्दे/विवाद के मामले में उर्वरक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। उपर्युक्त प्रावधान एनपीएस के चरण-।।। के दौरान या अलग आदेश होने तक, जो भी पहले हो, जारी रहेंगे।

भवदीय

हस्ता/-
(दीपक सिंघल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक-I-क

यूरिया इकाइयों का छह समूहों में वर्गीकरण

क्र.सं.	समूह का नाम	इकाई का नाम
i	1992 से पूर्व गैस आधारित इकाइयां	1. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)-नामरूप-III 2. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन (इफको)-आंवला-I 3. इंडो-गल्फ जगदीशपुर 4. कृषक भारती कॉपरेटिव (कृभको)-हजीरा 5. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)-विजयपुर-I 6. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)-ट्राम्बे-V
ii	1992 के बाद गैस आधारित इकाइयां	1. नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एनएफसीएल)-काकीनाड़ा-I 2. चंबल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल)-गड़ेपन-I 3. टाटा केमिकल्स लिमिटेड (टीसीएल) बाबराला 4. ओसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (ओसीएफएल) -कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (केएसएफएल)-शाहजहांपुर 5. एनएफसीएल -काकीनाड़ा -II 6. इफको - आंवला - II 7. एनएफएल - विजयपुर - II
iii	1992 से पूर्व नाफ्था आधारित इकाइयां	1. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स -ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट)-कोचीन 2. डकन्स इड्रेस्टीज लिमिटेड (डीआईएल) कानपुर 3. इफको - फूलपूर -I 4. मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमसीएफएल)- मंगलौर 5. मद्रास फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एमएफएल) मनाली 6. श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एसएफसी) - कोटा 7. साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसपीआईसी)-तूतीकोरिन 8. जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जेडआईएल)-गोवा
	1992 के बाद नाफ्था आधारित इकाइयां	1. इफको - फूलपूर - II 2. सीएफसीएल - गड़ेपन-II
v	एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयां	1. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (जीएनवीएफसी)-भरूच 2. एनएफएल-नांगल 3. एनएफएल-भटिंडा 4. एनएफएल-पानीपत
vi	मिश्रित उर्जा आधारित इकाइयां	1. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसएफसी)-वडोदरा 2. इफको - कलोल 3. आरसीएफ-थल

*उत्पादन नहीं कर रही हैं।

अनुलग्नक -II

(वचनबंध का नमूना)

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

जबकि भारत सरकार ने फर्टिलाइजर्स इंड्रस्टी कॉरपोरेशन कमिटी (एफआईसीसी) द्वारा प्रशासित की जाने वाली मूल्य निर्धारण योजना को सभी यूरिया का उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिनांक 1.4.2003 से लागू करने का निर्णय लिया है तथा ऐसी योजना का उद्देश्य दक्षता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित यूरिया उद्योग के सतत तथा विकास को सुनिश्चित करना है।

और जबकि योजना की व्यापक विशेषताएं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में चरण-I तथा II के लिए निर्धारित की गई उर्वरक विभाग ने दिनांक 30.01.2003 के पत्र संख्या 12019/5/98-एफपीपी को वर्तमान योजना पत्राचार सं. ईडी/एफआईसीसी/94/2002 दिनांक 4 जून, 2002 को बदलने के लिए इसे जारी किया तथा नई मूल्य निर्धारण योजना III की सूचना दिनांक मार्च, 2007 के पत्र संख्या ईडी/एफआईसीसी/XXदिनांक ....मार्च, 2007 के द्वारा दी गई।

हम... (जिसकी अभिव्यक्ति में सभी हमारे उत्तरधिकारी तथा वारिस शामिल होंगे) एतद्वारा यूरिया का उत्पादन कर रही इकाइयों के लिए मूल्य निर्धारण योजना के विभिन्न प्रावधानों में निहित सभी नियम एवं शर्तों जिसकी सूचना हमें उर्वरक विभाग के दिनांक 30.01.2003 पत्र सं. । 12019/5/98-एफपीपी तथा उसके अनुलग्नकों सहित दिनांक 08 मार्च, 2007 के पत्र संख्या 12012/3/2008-एफपीपी के माध्यम से दी गई है तथा उर्वरक विभाग/एफआईसीसी द्वारा योजना को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर तैयार किए गए नियमों अधिसूचनाओं तथा विनियमों को भी स्वीकार तथा उनका अनुपालन करने का वचन तथा वादा करते हैं।

इसके अलावा हम इस योजना के तहत ऐसे खाते या निधि के माध्यम से तथा सरकार/एफआईसीसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित या निदेश दिए गए तरीके से आवधिक वित्तीय संव्यवहार करने का वचन तथा वादा करते है।

इसके अलावा हम उर्वरक उद्योग समन्वय समिति, जो रियायत दरों को निर्धारित किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी है के निर्णयों का अनुपालन करने का वचन तथा वादा करते हैं।

निदेशक मंडल.......................... द्वारा पारित दिनांक ....के संकल्प सं. ....के अनुसरण में निष्पादित दिनांक .... सामान्य मुख्तारनामा के धारक के रूप में हमारी ओर से दिनांक ....को हमारे प्रतिनिधि श्री/श्रीमती...................... के द्वारा हस्ताक्षरित

उपस्थिति में

हस्ताक्षरित

के लिए तथा की ओर से

गवाह:

1.

2.

मुख्तारनामा

अनुलग्नक-VII

सं. 12012/1/2015-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
25 मई, 2015

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक

आरसीएफ/एमएफएल/बीवीएफसीएल/एनएफएल/कृभको/इफको/जीएसएफसी/जीएनवीएफ/एसएफसी/एनएफसीएल/सीएफसीएल/टीसीएल/जेडएसीएल/इंडोगल्फ/स्पिक/केएसएफसीएल/एमसीएफएल/एफसीआईएल/एचएफसीएल/फैक्ट/आईपीएल/मैटिक्स/केएफसीएल

विषय: विद्‌यमान गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लिए नई यूरिया नीति-2015

महोदय,

मुझे इस विभाग के दिनांक 2 अप्रैल, 2014 के पत्र सं. 12012/3/2010-एफपीपी का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके द्‌वारा आशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस)-।।। की मुख्य विशेषताओं को 02.04.2014 से एक वर्ष के लिए लागू करने हेतु संसूचित किया गया था। नई यूरिया नीति-2015 को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है जैसाकि आगामी पैराग्राफों में वर्णित है।

1. <u>अवधि</u>

नई यूरिया नीति-2015 1 जून, 2015 से 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगी। विद्‌यमान आशोधित एनपीएस-।।। और नई निवेश नीति 2008 के प्रावधान 31 मई, 2015 तक जारी रहेंगे।

2. <u>यूरिया इकाइयों का समूहन</u>

2.1 विद्‌यमान गैस आधारित यूरिया इकाइयों को निम्नलिखित तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा;

i. **समूह-।** में निम्नलिखित यूरिया इकाइयां सम्मिलित हैं जिनका पूर्व निश्चित ऊर्जा मानक 5.0 जीकैल/मी.टन से 6.0 जीकैल/मी.टन के बीच में है।

क. एनएफएल-विजयपुर-। एवं ।।, कृभको-हजीरा, इंडोगल्फ-जगदीशपुर, इफको-आंवला-। एवं ।।, केएसएफएल-शाहजहांपुर, सीएफसीएल गडेपान-। एवं ।।, टीसीएल-बबराला, एनएफसीएल-काकीनाडा-। एवं ।। और इफको-फूलपुर-।। (तेरह इकाइयां).

ii. **समूह-।।** में निम्नलिखित यूरिया इकाइयां सम्मिलित हैं जिनका पूर्व निश्चित ऊर्जा मानक 6.0 जी कैल/मी.टन से 7.0 जी कैल/ मी.टन के बीच है।

क. इफको-कलोल, जीएसएफसी-बड़ौदा, आरसीएफ-थाल और जीएनवीएफसी-भरूच (चार इकाइयां)

iii. **समूह-।।।** में निम्नलिखित यूरिया इकाइयां सम्मिलित हैं जिनका पूर्व निश्चित ऊर्जा मानक 7.0 जी कैल/मी टन से अधिक है।

.

क. एनएफएल-नंगल, एनएफएल-पानीपत, एनएफएल-बठिंडा, जैडएसीएल-गोवा, एसएफसी-कोटा, आरसीएफ ट्रॉबे-V, इफको-फूलपुर-। और केएफसीएल-कानपुर (8 इकाइयां)

2.2 एमएफएल-मणलि, एमसीएफएल-मंगलौर, स्पिक तूतीकोरिन, बीवीएफसीएल-नामरूप-।। और बीवीएफसीएल-नामरूप-।।। इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगी क्योंकि ये इकाइयां देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई नहीं हैं।

2.3 बीवीएफसीएल- नामरूप-।। और बीवीएफसीएल-नामरूप-।।। को नई उच्च दक्षता वाली इकाई की संस्थापना की दृष्टि से बंद किया जाना प्रस्तावित है और उन पर उनके पुनर्संरचना प्रस्ताव के अंतर्गत अलग से कार्रवाई की जाएगी। तब तक यह इकाइयां आशोधित एनपीएस-।।। के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करेंगी।

2.4 उपर्युक्त पैरा 2.1 में उल्लिखित पच्चीस इकाइयां 01 जून, 2015 से 31 मार्च, 2018 तक प्रत्येक समूह के लिए नियत संशोधित ऊर्जा मानकों के आधार पर रियायती दरें निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी:

3. तीन वर्षों (2015-16 से 2017-18 तक) के लिए संशोधित मानक

3.1 वर्ष 2015-16 (01 जून, 2015 तथा इसके आगे), 2016-17 और 2017-18 के संशोधित ऊर्जा मानक, एनपीएस-।।। के पूर्व निश्चित ऊर्जा मानकों की साधारण औसत और वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान प्राप्त औसत वास्तविक ऊर्जा खपत या एनपीएस-।।। के पूर्व निश्चित ऊर्जा मानक, जो भी कम हो, होंगे।

3.2 2018-19 के लिए ऊर्जा मानक

क) समूह-। के लिए

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इस समूह के ऊर्जा खपत मानक **5.5 जी कैल/मी.टन** होंगे जिसमें टीसीएल-बबराला शामिल नहीं है। टीसीएल-बबराला के लिए एनपीएस-।।। के विद्यमान पूर्वनिश्चित ऊर्जा खपत मानक अर्थात् 5.417 जीकैल/मी.टन जारी रहेंगे।

ख) समूह ।। के लिए

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इस समूह के ऊर्जा खपत मानक **6.2 जी कैल/मी.टन** होंगे।

ग) समूह ।।। के लिए

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इस समूह के ऊर्जा खपत मानक **6.5 जी कैल/मी.टन** होंगे।

3.3 एनएफएल की बठिंडा, नंगल और पानीपत तथा गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की भरूच स्थित यूरिया इकाइयों के लिए उर्वरक विभाग द्वारा जारी एफओ/एलएसएचएस यूरिया इकाइयों को प्राकृतिक गैस में बदलने संबंधी वर्तमान प्रावधान लागू रहेंगे।

3.4 जो इकाइयां नेफ्था से गैस में परिवर्तित हो गई हैं, यथा जैडएसीएल और केएफसीएल, उन्हें नेफ्था से गैस में परिवर्तन के लिए किए गए निवेश की वसूली के लिए एनपीएस-।।। के पूर्वनिश्चित मानकों पर ऊर्जा खपत पर बचत मिलती रहेगी। ऐसी सभी इकाइयों से आंकड़े प्राप्त किए जाएंगे और इन आंकड़ों के आधार पर उर्वरक विभाग, व्यय विभाग से परामर्श करके, उस अवधि की गणना करेगा जिसके लिए वर्तमान पूर्व निश्चित मानक अनुमत्य होंगे जो कि परिवर्तन की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, ताकि प्रत्येक इकाई ऊर्जा बचतों से, ब्याज सहित निवेश की वसूली करने की स्थिति में हो जाए।

4. अन्य परिवर्ती लागत उदाहरणार्थ थैले की लागत, जल प्रभार एवं वैद्युत शुल्क और नियत लागत के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण एनपीएस-।।। और आशोधित एनपीएस-।।। के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

5. पुन: निर्धारित क्षमता (आरएसी) से अधिक उत्पादन के लिए, इकाइयां अपने से संबंधित परिवर्ती लागत और सभी स्वदेशी यूरिया इकाइयों के प्रति मी.टन नियत लागतों के न्यूनतम एक समान प्रति मी.टन प्रोत्साहन के लिए हकदार होगी जोकि आयात क्षमता मूल्य और सरकार द्वारा आयातित यूरिया पर व्यय किए जाने वाले अन्य अनुषंगी प्रभारों की भारित औसत के अध्यधीन होगी।

6. रियायत दर की वृद्धि/कमी, नीम लेपित यूरिया, वितरण और संचलन, यूरिया आयात और यूरिया उत्पादन के लिए आदानों पर कर, मालभाड़ा प्रतिपूर्ति के संबंध में अन्य सभी विद्यमान नीति, इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी मार्ग निर्देशों के अनुसार जारी रहेंगे।

7. प्रचालनात्मक मुद्दों के संबंध में यदि नीति में किसी ऐसे आशोधन की आवश्यकता होती है जिससे नीति के मूल ढांचे अर्थात् गैस के एकत्रीकरण और ऊर्जा दक्षता लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं होता हो और वह सरकार के लिए वित्तीय दृष्टि से लाभकारी हो तो उर्वरक विभाग को इस मामले में व्यय विभाग से परामर्श करके निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भवदीय,

हस्ता./

(शाम लाल गोयल)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-011-23388481

प्रतिलिपि:

कार्यकारी निदेशक,
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति,
8वां मंजिल, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली

प्रति इन्हें भी:

सचिव (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) के प्रधान निजी सचिव/सचिव (उर्वरक) के प्रधान निजी सचिव/विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (एसएलजी) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (एसकेएल) के प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (एचएलएस) के प्रधान निजी सचिव।

अनुलग्नक-VIII

सं.12018/4/2014-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 17 जून, 2015

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक,
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति(एफआईसीसी),
8वां तल, सेवा भवन,
नई दिल्ली

विषय: नेफ्था को फीडस्टॉक के रूप में प्रयोग करते हुए मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)-मणलि, मंगलोर केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमसीएफएल)-मंगलोर और सदर्न पेट्रोकेमिकल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (स्पिक)-तूतीकोरिन से, इन यूरिया निर्माता इकाइयों को गैस की संयोजकता और उपलब्धता होने तक, यूरिया के उत्पादन को जारी रखना।

महोदय,

इस विभाग के दिनांक 7 जनवरी 2015 के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखित इन तीन संयंत्रों को निम्नलिखित शर्तों पर फीडस्टॉक के रूप में नेफ्था का प्रयोग करके प्रचालन जारी रखने का अनुमोदन दे दिया है:-

1. विद्यमान प्रावधानों पर एमएफएल-मणलि, एमसीएफएल-मेंगलोर और स्पिक-तूतीकोरिन को गैस पाइप लाइन अथवा अन्य किसी साधन से इन संयंत्रों को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने तक प्रचालन की अनुमति है।

2. ये इकाइयां इस अधिसूचना की तारीख (17 जून, 2015) से संशोधित ऊर्जा मानदण्डों के आधार पर राजसहायता की पात्र होंगी जो एनपीएस-।।। के पूर्व स्थापित उर्जा मानदण्ड और वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान प्राप्त निम्नतम वास्तविक ऊर्जा खपत के साधारण औसत अथवा एनपीएस-।।। के पूर्व स्थापित ऊर्जा मानदंडों, जो भी कम हो, के अनुसार होगी।

3. इन संयंत्रों के लिए रियायत दर, आरएलएनजी पर राज्य कर (वैट, प्रवेश कर) घटाने के पश्चात् हालिया परिवर्तित संयंत्रों को आरएलएनजी की सुपुर्दगी लागत अथवा नेफ्था/एफओ पर राज्य

कर (वैट, प्रवेश कर) घटाने के पश्चात् नेफ्था/एफओ से यूरिया के उत्पादन की लागत, जो भी कम हो, के भारित औसत पर प्रतीकात्मक रूप से निर्धारित की जाएगी।

4. अन्य परिवर्तनीय लागत यथा थैले की लागत, जल प्रभार और विद्युत प्रभार और नियत लागत के लिए मुआवजे का निर्धारण एनपीएस-।।। और आशोधित एनपीएस-।।। के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

5. उर्वरक विभाग, तिमाही आधार पर गैस प्राप्त करने के लिए इन तीन नेफ्था आधारित यूरिया इकाइयों की गैस की अपूर्ति के ढांचे और तैयारी की प्रगति की समीक्षा करेगा।

6. एमसीएफएल और स्पिक के लिए क्रमश: 17 अप्रैल, 2015 और 24 अप्रैल, 2015 से उत्पादन नियिमत किया जाता है और 16 अप्रैल, 2015 को विद्यमान प्रावधानों के अनुसार इस अवधि के लिए, इस अधिसूचना के जारी होने (17 जून 2015) तक ये इकाइयां यूरिया उत्पादन पर राजसहायता प्राप्त करने की पात्र होंगी।

7. वित्त वर्ष 2018-19 से इन इकाइयों के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंड यूरिया के 6.5 जी.कैल/मी.टन होंगे।

भवदीय,

हस्ता.

(विजय रंजन सिंह)

निदेशक (उर्वरक)

दूरभाष: 011-23386398

<u>प्रतिलिपि:</u>

1. निदेशक (संचलन)
2. सीएमडी-एमएफएल
3. एमडी-एमसीएफएल
4. सीईओ-स्पिक

अनुलग्नक-IX

सं0 12012/1/2015-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 28 मार्च, 2018

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक

आरसीएफ/एमएफएल/एनएफएल/कृभको/इफको/जीएसएफसी/जीएनवीएफसी/एसएफसी/
एनएफसीएल/सीएफसीएल/वाईएफआईएल/जेडएसीएल/जीआईएल/स्पिक/केएफएल/एमसीएफएल/केएफसीएल

सभी यूरिया विनिर्माता इकाइयां

विषय: नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 के तहत ऊर्जा मानकों में संशोधन।

महोदय,

मुझे नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 के कार्यान्वयन के संबंध में इस विभाग के पत्र सं.12012/1/015-एफपीपी दिनांक 25 मई, 2015 तथा गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी प्राप्त होने तक एमएफएल, एमसीएफएल और स्पिक द्वारा यूरिया उत्पादन हेतु फीडस्टॉक के रूप में नेफ्था का उपयोग जारी रखने के संबंध में पत्र सं.12018/4/2014-एफपीपी दिनांक 17 जून, 2015 के संदर्भ में, सभी यूरिया विनिर्माता इकाइयों (बीवीएफसीएल को छोड़कर) को प्रदत्त लक्ष्य ऊर्जा मानदण्डों के संदर्भ में निम्नलिखित निर्णयों पर अनुमोदन संसूचित करने का निदेश हुआ है:-

(i) 11 यूरिया विनिर्माण इकाइयों अर्थात् वाईएफआईएल, एनएफएल-विजयपुर-।।, जीआईएल, सीएफसीएल-गडेपान-। और ।।, इफको-आंवला-।।, आरसीएफ-थाल, इफको कलोल, इफको-आंवला-।, इफको-फूलपुर-। और ।। के लिए एनयूपी-2015 के पैरा 3.2 में यथा-उल्लिखित लक्ष्य ऊर्जा खपत मानदंड 1 अप्रैल 2018 से प्रवृत्त होंगे।

(ii) शेष 14 यूरिया विनिर्माण इकाइयों, अर्थात् एनएफएल विजयपुर-।, कृभको-हजीरा, केएफएल-शाहजहांपुर, एनएफसीएल काकीनाडा-।, एनएफसीएल काकीनाडा-।।, जीएनएफसी-भरुच, जीएसएफसी-वड़ोदरा, एनएफएल-बठिण्डा, एनएफएल-नांगल, एनएफएल-पानीपत, एसएफसी-कोटा, केएफसीएल-कानपुर, आरसीएफ ट्रॉम्बे-V, जैडएसीएल-गोवा के लिए नई यूरिया नीति-2015 के

मौजूदा मानदंडों को आगे 2 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च 2020 तक निम्नलिखित दंडों के साथ बढ़ाया जा सकता है:

(क) एनयूपी-2015 के ऊर्जा मानदंडों और लक्ष्य ऊर्जा के बीच अंतर की 2% ऊर्जा के समतुल्य जुर्माना प्रथम वर्ष के लिए अर्थात् 2018-19 के लिए लगाया जा सकता है।

(ख) एनयूपी-2015 के ऊर्जा मानदंडों और लक्ष्य ऊर्जा के बीच अंतर की 5% ऊर्जा के समतुल्य जुर्माना दूसरे वर्ष के लिए अर्थात् 2019-20 के लिए लगाया जा सकता है।

(ग) यूरिया विनिर्माण इकाइयां 2018-19 से 2019-20 तक बढ़ाई गई अवधि के दौरान लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों को अनिवार्यत: प्राप्त करें अन्यथा चूककर्ता इकाइयों पर व्यय विभाग के परामर्श से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

(iii) उक्त लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों को 31 मार्च 2025 तक जारी रखा जा सकता है। इस दौरान, नीति आयोग के अंतर्गत एक विशेषज्ञ निकाय 01 अप्रैल 2025 से प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा मानदंडों की सिफारिश करने का कार्य करेगा।

(iv) तीन नेफ्था आधारित यूरिया इकाइयों अर्थात् एमएफएल, एमसीएफएल, स्पिक को भी दिनांक 17 जून 2015 की नीतिगत अधिसूचना के पैरा (2) के तहत मौजूदा ऊर्जा मानदंडों के लिए अन्य दो वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च 2020 तक के लिए अथवा इन इकाइयों के पाइपलाइन कनैक्टिविटी प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, अनुमति दी जा सकती है। दिनांक 8 मार्च 2007 की एनपीएस-।।। नीति के पैरा 3(viii) और 5(ii) के अनुसार गैस पाइपलाइन कनैक्टिविटी की तारीख से 5 वर्ष की नियत अवधि के लिए ऊर्जा दक्षता की कोई मॉपिंग नहीं होगी।

भवदीय,

हस्ता./-

(धर्मपाल)

अपर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23386800

प्रतिलिपि:

कार्यकारी निदेशक
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति
8वीं मंजिल, सेवा भवन, आरके. पुरम, नई दिल्ली

अनुलग्नक-X

सं. 12012/1/2015-एफपीपी (खण्ड-III)
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 07 जुलाई, 2020

सेवा में,

एनएफएल, कृभको, केएफएल, एनएफसीएल, जीएनएफसी, जीएसएफसी, एसएफसी, केएफसीएल, आरसीएफ, जेडएसीएल के सभी सीएमडी/एमडी

विषय: नई यूरिया नीति-2015 के तहत ऊर्जा मानकों का संशोधन।

महोदय,

मुझे विद्यमान गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों के संबंध में दिनांक 25 मई, 2015 के विभाग के पत्र सं. 12012/1/2015-एफपीपी और उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28 मार्च, 2018 के पत्र का उल्लेख करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय विभाग के परामर्श से नई यूरिया नीति-2015 के अधीन विद्यमान ऊर्जा मानकों को 14 यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लिए अर्थात एनएफएल विजयपुर-I, कृभको-हजीरा, केएफएल-शाहजंहापुर, एनएफसीएल-काकिनाड़ा-I, एनएफसीएल-काकिनाड़ा-II, जीएनएफसी-भरुच, जीएसएफसी-वड़ोदरा, एनएफएल-बठिंडा, एनएफएल-नांगल, एनएफएल-पानीपत, एसएफसी-कोटा, केएफसीएल-कानपुर, आरसीएफ ट्रोंबे-V, जेडएसीएल-गोवा, के लिए 06 महीने की अगली अवधि हेतु अर्थात 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिसमें एनयूपी-2015 के एनयूपी ऊर्जा मानकों तथा लक्ष्य ऊर्जा मानकों के बीच के अंतर का 10% बढ़ाया हुआ दण्ड भी शामिल है।

2. यह भी नोट किया जाए कि 30 सितंबर, 2020 के बाद कोई विस्तार नहीं किया जाएगा और एनयूपी-2015 के अनुसार लक्ष्य ऊर्जा मानकों को विस्तारित अवधि के अंत तक अर्थात 01 अक्टूबर, 2020 तक लागू किया जाएगा। अत: उपर्युक्त यूरिया विनिर्माण इकाइयों को एततद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि वे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लक्ष्य ऊर्जा मानकों को प्राप्त करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए।

भवदीय,

(धर्मपाल)
अपर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23386800

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति:

1. ईडी, एफआईसीसी, 8वां तल, सेवा भवन, आर.के. पूरम, नई दिल्ली
2. उप निदेशक, पीएफसी-I (श्रीमती शलाका कुजूर), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली: को आई.डी. नोट सं. 06(07)/पीएफ-II/2011 दिनांक 12 जून, 2020 के संदर्भ में
3. निदेशक, एनआईसी, उर्वरक विभाग: उर्वरक विभाग की वेब-साइट पर यह अधिसूचना अपलोड करने के अनुरोध के साथ

प्रति सूचनार्थ:

माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) के निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री (रसायन और उर्वरक) के निजी सचिव, सचिव (उर्वरक) के प्रधान निजी सचिव/ अपर सचिव (उर्वरक) के प्रधान निजी सचिव/ अपर सचिव एंव वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (पीएस) के प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (जीएस) के प्रधान निजी सचिव

अनुलग्नक-XI

सं.12012/4/2019-यूपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 28 अप्रैल, 2021

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
प्लॉट नं.24, फिल्म सिटी,
सेक्टर-16ए, नोएडा-201301

विषय: तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा कोयला गैसीकरण मार्ग से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष राजसहायता नीति।

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह संसूचित करने का निदेश हुआ है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में यह अनुमोदित किया है कि तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा कोयला गैसीकरण मार्ग से उत्पादित यूरिया के लिए उत्पादन शुरू करने की तारीख से 08 वर्ष की अवधि के लिए साम्या पर 12% कर-पश्चात आईआरआर प्रदान करते हुए रियायत दर/राजसहायता का निर्धारण किया जाएगा।

भवदीय,

हस्ता./-
(निरंजन लाल)
निदेशक (यूपीपी)
दूरभाष: 011-23383814

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सीईओ, नीति आयोग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रस्तुत:

सचिव (उर्वरक) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (एपीएस) के निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार (उर्वरक) के प्रधान नीति सचिव/निदेशक (एफएण्डए)-एफआईसीसी, संयुक्त निदेशक (सीई)-एफआईसीसी

अनुलग्नक-XII

सं.12012/6/2016-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 28 मार्च, 2018

सेवा में,

सभी यूरिया निर्माता इकाइयों के सीएमडी/एमडी/अध्यक्ष

महोदय/महोदया,

विषय: निजी एजेंसियों और संस्थागत एजेंसियों द्वारा प्रभावित यूरिया की बिक्री के संबंध में डीलर/वितरण मार्जिन में 01 अप्रैल, 2018 से संशोधन।

स्वदेशी के साथ-साथ आयातित दोनों ही यूरिया की बिक्री के लिए डीलर/वितरण मार्जिन की दरों, जिसमें अंतिम बार दिनांक 18 जून, 1999 की अधिसूचना सं.12012/10/99-एफपीपी-।। के द्वारा संशोधन किया गया था, के संशोधन का मामला कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी ट्रेड के साथ-साथ संस्थागत एजेंसियों के द्वारा यूरिया की बिक्री हेतु 01 अप्रैल, 2018 से यूरिया के डीलर/वितरण मार्जिन को संशोधित कर 354/- रुपये/मी.टन की दर पर संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

2. यह भी नोट किया जाए कि डीलरों को डीलर/वितरण मार्जिन का भुगतान केवल पीओएस डिवाइस के द्वारा बेची गई मात्रा के आधार पर किया जाएगा।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुनीता बंसल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23388891

प्रतिलिपि:-

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रधान सचिव।
2. ईडी., एफआईसीसी, आरके. पुरम, सेवा भवन, नई दिल्ली।
3. वेतन और लेखा अधिकारी, पीएओ, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 10-शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली।
5. सहकारी समितियों के संयुक्त सचिव-सह-केन्द्रीय रजिस्ट्रार।
6. कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

प्रति निम्न को भी:-

1. अपर सचिव (डीपी), संयुक्त सचिव (एटी)।
2. निदेशक (संचलन)/निदेशक (एफए)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (सीई) (एफआईसीसी)।
3. निदेशक (एनआईसी)/डीओएफ-वेबसाइट हेतु/उप निदेशक (राजभाषा)-हिन्दी अनुवाद हेतु।
4. निदेशक (एफए)।

अनुलग्नक-XIII

सं.12012/20/2007-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 25 मई, 2015

सेवा में,

सीएमडी/एमडीज़
आरसीएफ/एमएफएल/बीवीएफसीएल/एनएफएल/फैक्ट/कृभको/इफको/जीएसएफसी/जीएनवीएफसी/एनएफसीएल/सीएफसीएल/टाटा/जेडएसीएल/इण्डो-गल्फ/स्पिक/केएसएफएल/एमसीएफएल/केएफसीएल/एसएफसी

विषय: देश में संपुष्ट एवं लेपित यूरिया की उत्पादन और उपलबधता को प्रोत्साहित करने के लिए नीति-के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उर्वरक विभाग के दिनांक 02 जून, 2008, 11 जनवरी, 2011, 07 जनवरी, 2015 तथा 24 मार्च, 2015 के समसंख्यक पत्र संख्या के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नीम लेपित यूरिया के रूप में राजसहायता प्राप्त यूरिया के अपने कुल उत्पादन का 100% उत्पादन करना यूरिया के सभी स्वदेशी उत्पादकों के लिए अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है।

2. दिनांक 02 जून, 2008 और उसके पश्चात् 07 जनवरी, 2015 के पत्र की अन्य निबंधन और शर्तें वही रहेंगी।

आपका,

हस्ता./-
(विजय रंजन सिंह)
निदेशक (उर्वरक)
दूरभाष 23386398

1. सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और सचिव (कृषि)।
2. सचिव व्यय विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सीईओ, नीति आयोग।
3. डीजी, एफएआई।
4. विभाग की सभी जानकारी एनआईसी ने वेबसाइट पर अपलोड करना।
5. गार्ड फाइल।

अनुलग्नक-XIV

सं.12012/20/2007-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 04 सितंबर, 2017

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक

आरसीएफ/एमएफएल/बीवीएफसीएल/एनएफएल/कृभको/केएफएल/इफको/जीएसएफसी/जीएनवीएफसी/एसएफसी/एनएफसीएल/सीएफसीएल/टाटा/जेडएसीएल/जीआईएल/स्पिक/एमएफसीएल

विषय: यूरिया बैग के आकार और उससे जुड़ी सामग्री को युक्ति संगत बनाना।

महोदय,

मुझे यूरिया के विद्यमान 50 किग्रा. के बैग के स्थान पर 45 किग्रा. के बैग की शुरूआत करने के संबंध में सरकार के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यूरिया इकाइयों को विद्यमान 50 किग्रा. के बैगों का निपटान करने तथा अपने संयंत्रों में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु उन्हें उपरोक्त नीति के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 6 माह की समय-सीमा दी जाती है।

3. ऐसे बैगों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बाद में अधिसूचित किया जाएगा। नीम लेपित यूरिया के 45 किग्रा. के प्रत्येक बैग पर यूरिया उत्पादकों द्वारा अतिरिक्त 5% भी प्रभारित किया जाएगा।

भवदीय,

हस्ता./-
(धर्मपाल)
अपर सचिव (उर्वरक)
दूरभाष: 23386800

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त सचिव (आईएनएम), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, एजीसीआर भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. लेखा नियंत्रक, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 10-शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली।

5. निदेशक लेखा, उर्वरक लेखा खण्ड, उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. वेतन और लेखा अधिकारी, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
7. निदेशक (एफएण्डए), एफआईसीसी, 8वां तल, सेवा भवन, नई दिल्ली-110066
8. निदेशक (सीई), एफआईसीसी, 8वां तल, सेवा भवन, नई दिल्ली-110066
9. वित्त-।। डेस्क, उर्वरक विभाग।
10. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एनआईसी को।
11. गार्ड फाइल।

हस्ता./-
(धर्मपाल)
अपर सचिव (उर्वरक)
दूरभाष: 23386800

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग